राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का १५वां दिवस [संख्या १०

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई.

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

प्रश्न संख्या २८०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २८१

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती सतवन्तकौर ।

रामपुरा सिधवा (त० सूरतगढ़) में खसरा नं० ३६ को श्रीमती सोमी से लेना

२८२. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) चक रामपुरा सिधवा, तहसील सूरतगढ़ में खसरा नम्बर ३६,४६ बीघे १ बिस्वा जो श्रीमती सोमी बेवा सरदार महांरसिंह के कब्जे में है, किस आधार पर कैंसिल किया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि भाखरा सिंचाई नहर के क्षेत्र से एक विशेष वर्ग को भूमि से वंचित रखे जाने की दृष्टि से ही यह किया गया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय में जांच कराने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) श्रीमती सोमी बेवा सरदार महारसिंह का स्थाई निवासस्थान राजस्थान के बाहर है अत. अप्रोचारी होने के कारण उनकी भूमि राजस्थान भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड अलोटमेंट रूल्स, सन् १९५५ की धारा १४ (१) के अन्तर्गत खारिज की गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या उनको भूमि देने के लिये सरकार कुछ इन्तजाम कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्रीमती सतवन्तकौर : तो फिर उनका गुजारा कैसे होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि वह यहां की राजस्थान की रहने वाली नहीं हैं, बाहर हैं, बाहर रहती हैं, इसलिये भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड अलोटमेंट रूल्स, सन् १९५५ की धारा १४ (१) के अन्तर्गत उनकी भूमि थी उसको खारिज कर दिया गया ।

श्री भीमसेन : जो अघोचारी हैं, उनके केसेज़ सरकार के ध्यान में लाये जायं तो क्या सरकार उनकी जमीनें भी खारिज करने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भाखरा प्रोजेक्ट लैंड के जो रूल्स बने हुए हैं उनकी धारा १४ सब-सेक्शन (१) है, उसके अन्तर्गत जो जमीनें आती हैं, उनकी जमीनें खारिज हो जाती हैं।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि सोमी बेवा सरदार महारसिंह अघोचारी हैं, राजस्थान के बाहर पंजाब में रहती हैं, इसलिये उनकी जमीन भाखरा प्रोजेक्ट लैंड अलोटमेंट रूल्स के अन्तर्गत खारिज कर दी गई है, तो क्या सरकार के ध्यान में इस प्रकार के दूसरे व्यक्तियों के केसेज़ लाने पर उनकी जमीनें भी कैंसिल की जा सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर भाखरा प्रोजेक्ट लैंड एलोटमेंट रूल्स के अन्तर्गत उनकी जमीन आती हैं तो उनको कैंसिल किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

राजस्थान में मुलतानी मिट्टी की खानों सम्बन्धी

२८३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) राजस्थान में मुलतानी मिट्टी की खानें कहां कहां हैं ?

(२) सन् १६५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष कितना खनिज निकाला गया और सरकार को उससे कितनी आमदनी हुई ?

(३) बाड़मेर जिले की खानों से उपरोक्त वर्षों में कितना खनिज निकाला गया और उससे क्या आमदनी हुई ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान में मुलतानी मिट्टी की खानें निम्नांकित स्थानों पर हैं :

कपुरडी, जिला बाडमेर।

आतमसरिया, जिला बाडमेर।

दादरा, जिला बाड़मेर।

मढ़, जिला बीकानेर।

इन्दों का बाला, जिला बीकानेर।

(२) इस खनिज का वार्षिक उत्पादन व उससे प्राप्त आमदनी की सूची, सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष: लिस्ट मिल गई है आपको ? आपको इसमें पूछना है तो पूछें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल :

वर्ष	उत्पादन (राजस्थान)
१६५०	४३१६
१६५१	४७६३
१६५२	११७०८
१६५३	२६३०
१६५४	६०३
१६५५	७८३८
१६५६	६०३२

वर्ष	आमदनी (रुपयों में)
१६५०—५१	६०८६०
१६५१—५२	६८४४६
१६५२--५३	१००६८०
१६५३—५४	८०१०३
१६५४—५५	५७४६०

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

वर्ष	आमदनी रुपयों में
१९५५--५६	११७२५३
१९५६—५७	१६२४७८

(३) बाड़मेर जिले की खानों से उत्पादन की मात्रा व उससे प्राप्त आमदनी की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

वर्ष	उत्पादन (राजस्थान)
१९५०	२३२४
१९५१	३३०६
१९५२	८३२३
१९५३	१७२३
१९५४	५०
१९५५	३८३८
१९५६	३४८२

वर्ष	आमदनी (रुपयों में)
१९५०—५१	४७१५८
१९५१—५२	२३२४५
१९५२--५३	५५०६५
१९५३—५४	३६८७६
१९५४—५५	३३३१०
१९५५—५६	५३७४३
१९५६—५७	७२०५८

(नोट : उत्तर का भाग (१) ही पढ़ कर सुनाया गया।)

श्री तनसिंह : ५४ में बहुत ही कम उत्पादन क्यों हुआ ? ६०३ टन हुआ जब कि ५२ में ११ हजार टन, ५० में ४ हजार, ५१ में ८ हजार, ५५ में ७ हजार, ५६ में ६ हजार टन हुआ है, ५४ में ६०३ टन ही क्यों हुआ, क्या इसका कारण बता सकेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह तो खानें ठेकेदारों के पास हैं, उनके उत्पादन के ऊपर तो गवर्नमेंट का नियन्त्रण नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि कोलायत की मुल्तानी मिट्टी की खान किसी को ठेके पर नहीं दी गई, इसलिये गवर्नमेंट को नुकसान हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल . इसकी जानकारी अलग से कर के बता सकता हूं।

श्री तनसिंह : बाड़मेर जिले की खानों में ५४ में ५० टन ही उत्पादन किया गया है, तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाय कि ५४ में मुल्तानी मिट्टी के ठेकेदारों ने मिल कर एका कर के इतना कम उत्पादन किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा निवेदन है कि कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया; ठेकेदार कौन कौन थे, किसने कितना उत्पादन किया, यह सब तफसील तो अभी मेरे पास नहीं, यह तो सब इकजाई उत्पादन बताया गया है। माननीय सदस्य, किसी ठेकेदार के बारे में जानकारी दें तो जानकारी हासिल कर के अर्ज कर सकता हूँ।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि ५४ में कोई ठेका दिया ही नहीं गया और खानें यों ही पड़ी रह गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं दिया गया होता तो उत्पादन कैसे होता ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दूसरे सालों के फिगर्स को देखते हुए ५४ के फिगर्स है वे लो हैं, इस साल में ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बता सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौनसी खान किस ठेकेदार के पास थी यह सब देखे

Page No.4

(श्री तनसिंह)

बगैर मैं नहीं बता सकता, ५, ६ जगह ठेके दिये हैं उनको देख कर ही बता सकता हूँ।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह तो साफ क्वेश्चन दिखता है। जब सभी वर्षों के मुकाबिले में इस वर्ष में इतनी कम आमदनी होती है तो इतनी बुद्धि तो हम भी रखते होंगे कि यह सप्लीमेंटरी जरूर करेंगे कि इस साल में इतना कम उत्पादन क्यों हुआ? इसका जवाब देने के लिये तो तैयार हो कर उपमंत्री महोदय को आना चाहिये था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उत्पादन और आमदनी के बारे में पूछा वह फिगर्स आपको बता दिये, अब किन किन आदमियों ने नहीं किया, यह अलग सवाल है।

श्री तनसिंह : मैं आदमियों का नहीं पूछता। इस साल उत्पादन कम क्यों हुआ, आमदनी कम क्यों हुई, तो क्या सरकार अपनी आमदनी और उत्पादन के बारे में जागरुक नहीं है, आमदनी और उत्पादन कम क्यों हुए, इसके कारण तो सरकार को मालूम होने चाहिये। मैं यह पूछ रहा हूं, आदमियों का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस साल के बारे में कि क्या किसी को ठेका नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष : Now you may examine this question from that point of view; why was there a fall in the output during that year?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी।

श्री अध्यक्ष : Next.

नापासर हाई स्कूल, जिला बीकानेर में कॉमर्स एवं विज्ञान वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई प्रारम्भ करने सम्बन्धी

२८४. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या नापासर हाई स्कूल, जिला बीकानेर में कॉमर्स एवं विज्ञान वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई प्रारम्भ करने की मांग जनता की ओर से है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां। यदि वहां की जनता ५,००० रु० हर एक वैकल्पिक विषय के लिए जमा कराये और विज्ञान और कॉमर्स के लिये कमरे बनवाये और उस विषय के लिये पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, तो आगामी वर्ष से यह विषय खोले जा सकते हैं। जनता की ओर से सूचना आने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीमसेन : क्या सरकार की नीति है कि पब्लिक ५,००० रुपया जमा करा दे तभी यह विषय खोले जा सकते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां।

श्री भीमसेन : क्या यह शिक्षा पर टैक्स नहीं है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : परिस्थिति ही ऐसी है, फाइनेन्सेज़ की कमी है, इस कारण ऐसा करना पड़ता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या जयपुर में और दूसरे जितने भी बड़े शहर हैं वहां की जनता से भी सरकार इस प्रकार पैसे लेती है?

Page No.5

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो फिर गांवों पर ही इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शहर में देने के लिये ना नहीं है, पर शहरों में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ने के लिये नहीं हों तो समय पर धनराशि नहीं मिलता, मजबूरी की हालत में शहरों में खोलना पड़ता है।

श्री भीमसेन : क्यों शहरों की जनता से भी पैसे लिये जाने का प्रयास किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम पैसा लेने से मना नहीं करते, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई देना चाहता है तो दे।

श्री भीमसेन : तो फिर गांव में इस प्रकार कम्पलसरी क्यों किया जाता है कि ५००० रुपये दो तभी खोला जायगा ? शहरों में भी इस प्रकार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गांवों में कम्पलसरी तो यह नहीं किया जाता, जो लोग इच्छुक हैं कि हमारे यहां तो खोलना ही चाहिये, उनको ऐसा कहा जाता है, नहीं तो हम तो हमारी नीति के अनुसार खोलते ही हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : किसी जगह की जनता पैसा जमा कराने के लिये तैयार नहीं है तो सरकार वहां खोलने की अपनी जिम्मेदारी समझती है कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार जिम्मेवारी समझती है, सरकार अपने बजट के अनुसार चलती है, पर फिर भी कोई ज्यादा इच्छुक हो कि हमारे यहां तो खोलना ही चाहिये तब यह शर्त रखनी पड़ती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उत्सुक की क्या परिभाषा है जब आपसे बार बार दरख्वास्त करते हैं ?

(विराम)

लालसोट प्राथमिक विद्यालय के भवन पर अधिकार सम्बन्धी

२८५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या लालसोट प्राइमरी स्कूल की इमारत वर्तमान अवस्था में ठीक है ?

(ख) क्या इस इमारत में किसी अन्य व्यक्ति का भी अधिकार है ?

(ग) यदि है, तो क्या सरकार उससे यह इमारत खरीदने का विचार रखती है ?

(घ) क्या उपरोक्त स्कूल के छात्रों के लिए कोई खेल का मैदान है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और इस कमी को कब तक पूरा किया जावेगा ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) दो कक्षाओं के लिए २ कमरों की और आवश्यकता है।

(ख) जी हां, श्री माधोलाल शर्मा का आधा हिस्सा है।

(ग) यह सब बजट प्रोवीजन पर निर्भर है। इसके साथ ही यदि मकान मालिक अपना आधा मकान बेचना चाहे व राज्य सरकार उसको खरीदना चाहे तो सम्भव हो सकता है।

(घ) छात्रों के लिए कोई प्रथक खेल का मैदान नहीं है। हाई स्कूल के छात्रों के साथ खेलते हैं।

Page No.6

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ङ) इसके लिए कलेक्टर, जयपुर को लिखा जा रहा है। कलेक्टर, जयपुर द्वारा खेल के मैदान के लिए जमीन अलॉट करने पर ही यह व्यवस्था हो सकेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : जयपुर कलेक्टर को इसके लिए कब से लिखा जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरे पास सूचना नहीं है कि कब से लिखा जा रहा है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह माना जाय कि अब लिखा जायेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : वह तो लिखा ही जा रहा है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : श्री माधोलाल मकान बेचने को तैयार हैं तो क्या उसे सरकार खरीदेगी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसमें दूसरी शर्त है कि अगर सरकार लेने को तैयार हो तो।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या सरकार लेने को तैयार है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह तो सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बजट में प्रोवीज़न है या नहीं यह भी देखना होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गांव वाले आधा खर्चा दे देंगे तब तो सरकार ऐसा कर सकती है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह भी मुमकिन नहीं है।

श्री तनसिंह : यदि आपका कोई कृपा-पात्र हो तो खरीद लेंगे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : हमारा न तो कोई कृपा-पात्र है और न यह आवश्यक है। बजट में प्रोवीज़न होगा तो जरूर खरीद लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उस स्थान पर स्कूल की आवश्यकता तो है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अब आवश्यकता तो सभी जगह है, मगर धन की कमी के कारण सभी जगह तो स्कूल नहीं खोले जा सकते। धन की हमारे पास कमी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर किसी गांव में आवश्यकता है और गांव वाले अगर नहीं मांगे तो क्या सरकार वहां अपनी तरफ से, वहां की आवश्यकता को देखकर, स्कूल नहीं खोलेगी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मकान मिल जाये और कहीं सचमुच आवश्यकता है तो जरूर खोले जायेंगे। फिर आवश्यकता में भी तो अति आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

१५ वर्ष पुराने मूलधन को एक ही किश्त में सरकार द्वारा चुकाने की राशियें

२८६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार पर ऐसे कर्ज की राशि क्या है जिसका मूलधन बिना किसी किश्त के १५ वर्ष बाद एक साथ सरकार को चुकाना है ?

(२) उपरोक्त श्रेणी का कितना कर्ज किस किस वर्ष में चुकाया जाना है तथा इन का ब्याज कितना कितना होगा ?

(३) क्या सरकार ने इन कर्ज की

(श्री तनसिंह)

राशियों को चुकाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) ऐसा कर्जा जिसका कि मूलधन मौजूदा शर्तों के अनुसार १५ वर्ष बाद सरकार को एक साथ चुकाना है, केवल भाखरा-नांगल योजना के लिए ही मिला है। उसकी राजस्थान भाग के लिए अब तक प्राप्त हुई कुल राशि ४,६२,२०,००० है इस ही योजना के लिए पंजाब सरकार को मिली हुई राशि इसके अतिरिक्त है जो कि सन् १६५६–५७ तक १८,८६,४१,४२२ है।

(२) कब कब कितना कितना कर्जा किस किस व्याज की दर पर मिला है एवं किस किस वर्ष में मूलधन एवं व्याज की कितनी कितनी रकम देय होगी यह संलग्न तालिका में दिया हुआ है। अब तक भाखरा में बेटरमेंट लेवी से होने वाली आय से यह ऋण चुकाया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(३) इस संबंध में राज्य सरकार ने वित्त आयोग के सम्मुख निम्न प्रस्ताव भी रखे हैं:–

(क) इन कर्जों को इन्टरमीनेबल लोन करार दे दिया जावे और राज्य सरकार से व्याज ही लिया जाया करे और व्याज की दर भी योजना से प्राप्त आय को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जानी चाहिए।

इस संबंध में वित्त आयोग ने अपने विचार राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख रख दिये हैं और अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि चम्बल योजना के लिए भी सरकार को इसी प्रकार १५ वर्ष तक एक साथ चुकाने की धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है। आप इसके बारे में अलग से पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रश्न पूछा था, अपने प्रश्न के (१) भाग में कि कितनी रकम मिली जो १५ वर्ष बाद बिना किसी किश्त के सरकार को चुकानी है आपने बतलाया····

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एक ही बतलाया है। उसके लिए तो भाखरा-नांगल से ही १५ वर्ष के बाद में चुकाने वाला ऋण है। वह तो भाखरा-नांगल का ही है।

श्री तनसिंह : क्या यह सारा का सारा कर्जा जो १८,८६,४१,४२२ हो गया है, १६५६–५७ में अलावा उसके व्याज के और भविष्य में आता जायगा यह सारा का सारा बैटरमेन्ट लेवी से चुकाने का इरादा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कर्जा तो पंजाब के लिए है। हमको जो मिला वह तो ४,६२,२०,००० है।

श्री तनसिंह : इसके अतिरिक्त क्या सरकार को और लोन मिलने की आशा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी तक इसके बारे में निश्चत तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितना लोन और मिलने की आशा है।

श्री तनसिंह : कितने लोन के लिए मांग की गई है ?

Page No.8

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप मेरा जवाब तो सुनें ! जितना भी धन मिलेगा और कितनी मात्रा में मिलेगा यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है और ज्यों ज्यों और जैसे जैसे सुविधा होगी वैसे ही मिलता रहेगा ।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कभी तो सवाल इर्रेलवेन्ट होते हैं और कभी कभी जवाब भी इर्रेलवेन्ट होते हैं । मैंने इसके लिए पूछा ही नहीं, फिर उसका मतलब क्या है ? मैंने पूछा है कि आपने कितनी मांग की है ? यह तो भारत सरकार के ऊपर है कि कितना दे और कितना न दे ; मगर आपने कितने की मांग की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कितनी मांग की है और कुल कितना है, यह जानकारी करके बता सकूंगा ।

श्री तनसिंह : आपने यह बतलाया कि वित्त आयोग के सामने आपने प्रस्ताव रखे हैं । क्या आपको यकीन है कि वित्त आयोग ने आपके इन प्रस्तावों को भारत सरकार के समक्ष रिकमन्ड कर दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, यह मालूम ही है तभी तो आपको निवेदन किया है । राष्ट्रपति के सामने रख दिये हैं, वहां से जैसा भी निर्णय होगा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री तनसिंह : क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि यदि भारत सरकार वित्त आयोग की इन सिफारिशों को जो कि राजस्थान के इस कर्जे के सिलसिले में की गई हैं, वह नहीं माने तो क्या हमारी राज्य सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है कि इस डेट को चुकाया जा सके ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो पन्द्रह वर्ष के बाद चुकाने का सवाल है । अब पन्द्रह वर्ष के बाद में आर्थिक स्थति क्या होगी ? अगर केन्द्रीय सरकार इसको नहीं मानेगी तो कोई न कोई योजना बना कर इस रुपये को चुकाने का निश्चय किया जायेगा ?

श्री तनसिंह : १५ वर्ष के बाद एक साथ कर्जा आयेगा और उसके लिए आप कह रहे हैं इसको चुकाने की योजना उसी समय बनाई जायेगी । क्या इसी समय योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि इस कर्जे को चुकाने के सिलसिले में अभी प्रोपोज़ल्स गये हैं जो कि वित्त आयोग ने राष्ट्रपति के सामने रखे हैं । मगर वित्त आयोग की भी सिफारिशें कोई मामूली नहीं होती हैं । उन सिफारिशों के ऊपर क्या होने वाला है वह राष्ट्रपति द्वारा कुछ कर दिया जायेगा तो ही आपको बताया जा सकता है । इस समय कोई भी बात कहना प्री-मैच्योर होगा ।

श्री सरदारसिंह : क्या सरकार की यह भी योजना है कि १५ वर्ष तक जो आबपाशी की रकम आने वाली है उसमें से चुकाने के लिए रकम अलग रख दी जायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

पूगल (बीकानेर) इलाके में जागीर पुनर्ग्रहण से रिक्त हुए चौधरियों के स्थान

२८७. **श्री भीमसेन** (लूनकनसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री भीमसेन)

(अ) लूणकरनसर एवं बीकानेर तहसीलों के पूगल के इलाके में जागीर पुनर्ग्रहण से कितने चौधरियों के स्थान रिक्त हुए व उनमें से अब तक वे कितने गावों में मुकर्रर किये जाने को हैं एवं अब तक मुकर्रर न किये जाने की क्या वजह है ?

(ब) तहसील लूणकरसर में १९५५–५६ व १९५६–५७ में उपरोक्त जागीर पुनर्ग्रहण इलाके में कितने चौधरियों को कितना कितना पिचौतरा किस आधार पर दिया गया ?

(स) क्या राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट में इस संबंध में नियम बन चुके हैं ! अगर नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (अ) १५८ देहातों के चौधरियों के स्थान रिक्त हुए। अब तक ७४ गांवों में चौधरियों की नियुक्ति हो चुकी है और अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

(ब) सन् १९५५–५६ में १४८ चौधरियों को ७६१४ रु० ३ नये पैसे। सन् १९५६ ५७ में १२४ चौधरियों को १२,१४७ रु० ७० नये पैसे।

(स) जी नहीं। प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चौधरियों की नियुक्तियां किन आधारों पर की जाती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों के आधारों पर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा मतलब यह है कि पुराने चौधरियों के पास पहले के पट्टे हैं उनको न मानकर क्या नये बनाये जा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि नियमों के आधार पर बनाये जाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह नियम मर्जी के नियम हैं या आपने ही बनाये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग-अलग यूनिट्स के अलग-अलग नियम हैं। अब सारे राजस्थान के नियम अलग बनाये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मालपुरा क्षेत्र में कौन से नियम हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही नियम हैं जो श्रीमाधोपुर में हैं।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह था कि अब तक चौधरी नियुक्त नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अपने जबाब में बता दिया है कि ७४ गांवों में चौधरियों की नियुक्ति हो चुकी है। कुल गांव १५८ थे और अन्य चौधरियों की नियुक्तियों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह है कि बाकी की नियुक्तियां क्यों नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाहियों का ताल्लुक जहां तक है तो कईयों को एतराजात भी होते हैं, आप तो खुद लायक वकील हैं। मैं ज्यादा विस्तार से क्या बताऊं।

सबसे अधिक संख्या वाली राजस्थान में बालिका हाई स्कूलें

२८८. **श्री गिरधारीलाल (नोखा)** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किस हाई स्कूल में

(श्री गिरधारीलाल)

लड़कियों की तादाद सबसे अधिक है ?

(ख) उक्त हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की तादाद कितनी है ?

(ग) बिल्डिंग में कमरों की तादाद क्या है और फर्नीचर कितनी लागत का है ?

(घ) किस हाई स्कूल में लड़कियों की तादाद सबसे कम है और उस हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की और कमरों की तादाद क्या है व फर्नीचर कितनी लागत का है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिला है। इसलिए इसे आगे को रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न।

दरबार इन्टर कॉलेज; किशनगढ़, में नॉन ग्रेजुएट अध्यापक

२८६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़, में ऐसे कौन कौन अध्यापक हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं ?

(ख) उक्त अध्यापकों की योग्यताएं क्या हैं तथा लैंग्थ ऑफ सर्विस कितनी है और वे किन किन क्लासों को पढ़ाते हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ऐसे दो अध्यापक हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं। एक लाइब्रेरियन व दूसरा संगीत अध्यापक।

(ख) उनकी योग्यता व सेवाकाल निम्न अंकित की जाती है :

लाइब्रेरियन—बी. ए. फेल व १।६।५५ से कार्य कर रहा है।

संगीत अध्यापक—इन्टर पास, विशारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राजस्थान कला संस्थान से भी ट्रेनिंग प्राप्त हैं, मेट्रिक ग्रेड में माह जुलाई, १९५७ से कार्य कर रहा है।

उक्त अध्यापक रेगुलर क्लासें नहीं लेते हैं। जब कभी कोई अध्यापक अवकाश पर होता है, तो संगीत अध्यापक से नवीं कक्षा को हिन्दी पढ़ाने में व लाइब्रेरियन को नवीं कक्षा को कम्पलसरी इंगलिश पढ़ाने में सहायता ली जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या नवीं क्लास के विद्यार्थियों को बी. ए. फेल लाइब्रेरियन अच्छी तरह से पढ़ा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : बी. ए. फेल भी योग्यता है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एफ. ए. तो पास है ही। बी. ए. में एपीयर हुआ पर पास नहीं हो सका और ऐसी क्या बात है वह नवीं को तो पढ़ा ही सकता है।

विधवाओं व अपाहिजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली शासकीय सहायता

२९०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा कितनी विधवाओं और अपाहिजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ?

(ख) उपरोक्त सहायता प्रत्येक जिले को कितनी दी जाती है ?

Page No.11

(श्री तनसिंह)

(ग) सबसे अधिक सहायता किस डिवि-जन में दी जाती है ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कुल ३८३३ विधवाओं, वृद्धों तथा अपाहिजों आदि को आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(ग) जोधपुर डिविजन में ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

हैण्डलूम का डिप्टी डाइरेक्टर एवं उसकी योग्यता इत्यादि

२६१. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Commerce and Industries be pleased to state:-

(a) Is there a Dy. Director of Handlooms ?

(b) If so, please give his name, qualifications and the date of his appointment on this post ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes.

(b) Shri R. K. Keshote. He is holding this post since 24-5-1957. His qualifications are as under:-

(i) Graduate in Veterinary Science G. V. S. C. (1935).

(ii) Training:

(a) Post graduate training at Mysore Serum Institute, Bangalore (1943).

(b) Short course in Animal Husbandry and Dairy at Imperial Dairy Research Institute, Bangalore.

(c) Post graduate training at Imperial Veterinary Research Institute, Izat Nagar and Mukteshwar, 1945.

श्री श्रीभानसिंह : I asked about the Handlooms and he has replied about Veterinary.

श्री अध्यक्ष : They are the qualifications of the Dy. Director, Veterinary.

श्री रिखबचंद धारीवाल : I will like to place before the House the following facts. Shri Keshote was holding the post of a Superintendent in the former Jaipur State. After the formation of Rajasthan he continued to hold this post till he was selected Superintendent, Industries & Commerce Department by the Selection Board constituted by the Government for the purpose. The post of the Supdt., Industries & Commerce Deptt. was later on re-designated as Assistant Director, Industries & Commerce. As Shri Keshote happened to be the senior most Supdt. he was appointed as officiating Dy. Director vice Shri A. C. Das Gupta who was deputed to the Government of India. Later on Shri A. C. Das Gupta came back and as Shri Keshote was the senior most, he was allowed to continue as Officiating Dy. Director. It is under the

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

cousideratiou of the Government that as soon as a suitable man is found we will replace him.

श्री श्रीभानसिंह : अब कोई गवर्नमेंट के पास क्वालिफाइड आदमी नहीं है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : At present we have not got in this department.

श्री श्रीभानसिंह : क्या किसी को अमेरिका ट्रेनिंग के लिये सरकार ने भेजा था ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : That is not to my knowledge.

दौसा, लालसोट व चाकसू में एक ही स्थान पर ३ वर्ष से कार्य करने वाले कर्मचारी

२६२ श्री प्रभुलाल पुरोहित: (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दौसा, लालसोट तथा चाकसू तहसीलों में कितने कर्मचारी ३ वर्ष से अधिक समय से एक ही जगह काम कर रहे हैं तथा उन्हें दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा जा रहा है ?

(ख) उपरोक्त तीनों तहसीलों में ५५ वर्ष से ऊपर की उम्र के कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

(ग) क्या उन्हें पेन्शन देकर सरकार नये कर्मचारी नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कबतक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) तहसील दौसा में २७ कर्मचारी, तहसील लालसोट में २७ कर्मचारी, तहसील चाकसू में १७ कर्मचारी। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार स्थानान्तरण किया जाता है और २५०) रुपये से कम वेतन पाने वालों को जहां तक सम्भव होता है उन्हें उनके निवास स्थान के समीप ही रखे जाने का राजाज्ञानुसार प्रयत्न किया जाता है।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, नाम नहीं बतलाऊंगा, कुछ जगह के लोगों को १५०) से कम पाने पर भी एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह भेज दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक समझें तो दूर भी भेजना पड़ता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी कोई शिकायत हो तब भेजें तो समझ में भी आ सकता है, पर जब वे अच्छी तरह से काम करते हों तो फिर भेजने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और भी दूसरे कई कारण हो सकते हैं।

एस. टी. सी. बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में अध्यापकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

२६३. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एस. टी. सी. बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में छात्रवृत्ति अध्यापकों को क्या दी जाती है ?

(श्री बहादुरसिंह)

(ख) इस वर्ष से पूर्व क्या दी जाती थी और यदि कमी की गई तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इसमें वृद्धि करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

(घ) एस. टी. सी. बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, धौलपुर में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और उनकी पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) २५) माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(ख) इस वर्ष से पूर्व शिक्षा विभाग में स्थाई रूप से कार्य करने वाले अध्यापकों को पूरे वेतन पर ट्रेनिंग लेने भेजा जाता था । यह छात्रवृत्ति पर्याप्त नहीं है परन्तु दूसरे राज्यों में कहीं पर भी पूरे वेतन पर अध्यापकों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाता, केवल छात्र-वृत्ति के आधार पर भेजा जाता है क्योंकि प्रति वर्ष नये बेसिक एस. टी. सी. स्कूल प्रशिक्षण के लिये खोले जा रहे हैं और प्रत्येक में १०० अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है । इस प्रकार के शिक्षा—विभाग का इस सम्बन्धी बजट को देखते हुए यह असम्भव सा हो गया है कि अध्यापकों को पूरे वेतन के ऊपर प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सके । इसके अतिरिक्त सरकार इस नीति को भी अपना रही है कि भविष्य में जो भी अध्यापक नियुक्त किये जावें वे प्रशिक्षण प्राप्त हों, जिससे नये खुलने वाले स्कूलों का कार्य सुचारु रूप से चल सके । इसके हेतु नये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में भेजने के लिये यह सुविधा दी गई कि वह छात्रवृत्ति के आधार के ऊपर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और शिक्षा विभाग को प्रशिक्षित अध्यापक प्रारम्भ ही से मिल सके ।

(ग) वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्कूल भवन में कुछ कमरों की, होस्टल की, क्राफ्ट्स के सामान की, फरनीचर की तथा चार अध्यापकों की कमी है । भवन की कमी के लिये बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल खाली करवाई जा रही है । होस्टल के लिये इस साल पुराने मकानों में कुछ मरम्मत वगैरह के लिये २०,००० रुपये मन्जूर किये हैं । बाकी चीजों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान के इन अध्यापक छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति कम मिलती है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप दुबारा कहिये, सुना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि दूसरे राज्यों में इस प्रकार का रिवाज है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अपने राज्य में उनके मुकाबले में कितने छात्रों को कम छात्रवृत्ति मिलती है, और उनसे कितनी कम वह होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना अभी हमारे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि दूसरे राज्यों में भी यह रिवाज है ; तो फिर आपने यह कैसे जाना ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जानकारी की गई थी उनसे पूछ कर ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इस जानकारी की आवश्यकता नहीं समझी गई कि वहां अध्यापक छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरे पास नहीं है । डिपार्टमेंट में हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : इस काल में उनकी सर्विस शुमार की जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सर्विस मानी जाती है ।

श्री बहादुरसिंह : जब सर्विस में शुमार किया जाता है तो ऐसा कौनसा कानून है कि जिससे उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके रूल्स बने हुए हैं ।

श्री बहादुरसिंह : कौन से रूल्स ? क्या ऐसे रूल्स संविधान के विपरीत नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी बात नहीं है ।

श्री बहादुरसिंह : ऐसे कितने छात्र हैं जिनको तनख्वाह कम मिलती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सन् ५४ की जुलाई से पहले वालों को पूरा वेतन दिया जाता है और वे २५ प्रतिशत हैं । ७५ प्रतिशत को २५) रुपया माहवार पर भेजे जाते हैं चाहे डिपार्टमेंट से आवें या नये आवें ।

श्री सरदारसिंह : ५४ के बाद वालों को इजाजत नहीं दी जाती, पर जिनका एकीकरण ५४ के बाद हुआ उनका आप क्या करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब उनका अपोइन्टमेंट कब से माना जावेगा, यह इस पर मुनस्सिर है ।

तहसील कोटड़ी (जिला भीलवाड़ा) में कोई हाई अथवा हायर सेकन्डरी स्कूल न होना ।

२६४. **श्री तेजमल बापना (बनेड़ा)** : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(1) How many are the Tehsils in Udaipur Division where there is no High or Higher Secondary School and whether Kotadi Tehsil in Bhilwara District is one of them ?

(2) Does the Government intend to start one High School or Higher Secondary School at Kotadi next year ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) २४ तहसीलें हैं । जी हां ।

(२) आगामी वर्ष अन्य ऐसे स्कूलों को हायर सेकन्डरी बनाते समय यहां के विद्यार्थियों की संख्या, भवन की सुविधा तथा सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस पर भी उचित विचार किया जावेगा ।

श्री सरदारसिंह : दूसरी पंचवर्षीय योजना चलने लग गई । मिनिस्टर भी काबिल काबिल आ गये और अब भी यह आर्थिक स्थिति इम्प्रूव नहीं हुई क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (स्वायत्त शासन मंत्री) : धीरे धीरे ठीक हो रही है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो हमारे हाथ में नहीं है, देश की आम स्थिति पर निर्भर है ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन

२९५. पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Whether the inter-laced seniority list of all the integrated staff has been published as required under the States Reoganization Act ?

(b) Since 1-11-1956 till date how many Government servants both gazetted and non-gazetted, have been confirmed, before their inter-laced seniority lists were published; and affected staff given an opportunity of appeal to the ad hoc committee as required by the States Reorganization Act ?

राजस्व मन्त्री श्री (दामोदरलाल व्यास) :

(a) The states Reorganization Act did not require the publication of inter-laced seniority lists. The inter-laced seniority lists of a number of Departments have been declared but not for all Departments.

(b) No ban against confirmation was placed since the States Reorganisation Act did not contain any provision prohibiting confirmations. The Appointing authrities might have made confirmations in the normal course and this information is not readily available for all Departments. Notice is required if detailed information is desired in respect of any particular service or Department. Information regarding R. A. S., Rajasthan Secretariat Service and Ministerial Service is as follows:—

R. A. S.	2.
R. S. S.	3.
Ministerial Service (Sectt)	
Office Supdts.	Nil.
U. D. Cs.	Nil,
L. D, Cs.	Nil,
Assistants.	17.

श्री पी. के. चौधरी : Did the Integration Rules visualized the preparation of the inter-laced seniority lists as required under the States Reorganization Act ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It has of course been visualized.

श्री पी. के. चौधरी : After the prepararion of such lists every employee has to be fixed in that list. Has it been done ?

श्री दामोदरलाल व्यास : In 17 department it has been done. For the remaining it is being done.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that in the principles it has been provided that the inter-laced seniority list will be prepared on the basis of the length of continuous service whereas the Government is taking the date of confirmation as the basis in the preparation of that list.

श्री दामोदरलाल व्यास : The rules are there.

Page No.16

श्री पी. के. चौधरी : I can myself read the rules before the House. "Whether temporary or officiating (this should exclude the term for which an appointment is held as a short-time arrangement) service and promotion will also be counted if the period of probation has been completed successfully."

Is it Correct that this principle is not followed and the date of confirmation is taken for determining the inter-laced seniority.

श्री दामोदरलाल व्यास : Date of confirmation has to be taken into consideration, Para 62 is quite clear.

श्री अध्यक्ष : But the Rules don't say that.

श्री दामोदरलाल व्यास : Integration Rules are being observed.

श्री पी. के. चौधरी : In sub-clause (4) (i) that provioion is there. The relative seniority as between two persons shall be determined on the following principles:- (1) Length of continuous service; (2) Quassi-permanent or permanent service in the equated grade should be counted for determining the seniority.

श्री दामोदरलाल व्यास : It should be counted.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that instead of following these Rules you are determining the inter-laced seniority on the basis of the date of confirmation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not aware of this.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the date of confirmation of the Rajasthan Secretariat Service Staff has been altered recently with retrospective effect ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Do you mean Assistants ?

श्री पी० के० चौधरी : Assistants, Office Superintendents and others-their date of confirmation has been altered recently with retrospective effect.

श्री दामोदरलाल व्यास : R. S. S. Staff has been confirmed.

श्री पी. के. चौधरी : But the date of confirmation has now been altered again with retrospective effect.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not aware. But if there are certain valid objections and the Rules so require, it is quite possible that we might have to...

श्री पी. के. चौधरी : I want to ask whether it has been altered or not

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that I am not aware of this.

गत वर्ष एकीकरण विभाग द्वारा लिये गये नायब तहसीलदार

२६६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.17

(श्री गिरधारीलाल)

(क) पिछले चालू वर्षों में एकीकरण विभाग द्वारा कितने नये नायब तहसीलदार रखे गये ?

(ख) क्या इन स्थानों का जन सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिया गया था तथा ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ?

(ग) क्या नव नियुक्त नायब तहसीलदारों की बराबर की योग्यता के व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में नहीं थे जिनको कि इस पद पर प्रमोट किया जा सकता था ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ३८६ का एकीकरण किया गया ।

(ख) जी नहीं । जैसा कि राजस्थान राजपत्र दिनांक ३१ जनवरी, १६५१ में प्रकाशित विज्ञप्ति में अंकित है, इन नायब तहसीलदारों के चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी स्थापित की गई थी जिसके अध्यक्ष जन सेवा आयोग के एक सदस्य थे और कमेटी के चुनाव के आधार पर नियुक्तियां की गई थीं ।

(ग) जो व्यक्ति पहले से ही भूतपूर्व रियासतों में सरकारी नौकरी में थे उनमें से ही कमेटी द्वारा चुनाव होकर इस पद पर नियुक्तियां की गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ।

वे सब डिवीजनल तहसील व उप तहसील हैड क्वार्टर्स जहां हाईस्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूलों की व्यवस्था नहीं

२६७. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान के किन किन सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स, तहसील हैड क्वार्टर्स या उप तहसील हैड क्वार्टरों पर हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं हैं और कब तक उपरोक्त हैडक्वार्टरों पर हाई स्कूल खोल दिये जावेंगे ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगली टर्न में ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बहादुरसिंह ।

धौलपुर उप जिले में भवन निर्माण, पत्थर एवं उनके ठेके

२६८. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर उप जिले में भवन निर्माण पत्थर के कौन कौन ठेकेदार हैं और उनके ठेके की क्या क्या शर्तें हैं ? पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत करें ?

(ख) ठेके देते समय क्या यह शर्त भी रखी गई थी कि किसान अपने उपयोग के लिये स्वयं निजी श्रम से नवीन खान लगा कर निश्चित राज्य कर जमा कर, पत्थर निकाल सकता है ? यदि हां, तो कितने ठेकेदारों ने इसका पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.18

(श्री बहादुरसिंह)

(ग) क्या यह सच है कि भवन निर्माण पत्थर के अभाव से धौलपुर उप जिले भर में असंतोष है ? यदि हां, तो इसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें उपस्थित हुई हैं कि ठेकेदारों ने रोयल्टी और बिक्री कर की चोरी की है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(ङ) क्या यह सच है कि खनिज विभाग ठेके की अवधि समाप्ति के उपरान्त जो नवीन ठेका करता है, उसमें उसे तीन माह और अधिक तक के विलम्ब हो जाने से ठेके की रकम में कमी हो जाती है ? यदि हां, तो राज्य को विभाग की इस लापरवाही से कितने धन की हानि हुई है ? भविष्य में इस हानि को रोकने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने की योजना है ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द-धारीवाल) : (क) ठेकेदारों की सूची निम्न है :

१. सरदार सतजीतसिंह, धौलपुर स्टोन कं० करौली, तहसील सरमथुरा में ।

२. हरिशंकर राजेन्द्रपालसिंह, तहसील धौलपुर में ।

३. श्री रमेशचन्द्र कन्ट्राक्टर, तहसील राजाखेड़ा ।

४. श्री हरीशंकर रोसनलाल, तहसील बाड़ी ।

५. श्री किरोड़ी लाल विरेन्द्रपाल, तहसील बसेड़ी ।

कुछ शर्तें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५५ में दी हुई हैं ।

(ख) नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये करौली में विजेन्द्रपाल हैं या वीरेन्द्रपाल ?

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि मकान के अलावा मुसलमानों को कब्रों के लिए भी पत्थर उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मकान बनाने के लिए पत्थर हैं । उसकी बिक्री के लिए व्यवस्था कर दी गई है और ऐसी कोई शिकायत गवर्नमेंट के पास नहीं आई है ।

श्री बहादुरसिंह : यह बिल्कुल सही है कि मकानों को छोड़ कर मुसलमानों को कब्रों के लिए भी पत्थर उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री बहादुरसिंह : यह सही है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यदि किसी व्यक्ति के लिए जानकारी दे दें तो मैं बताऊं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये विजेन्द्रपाल हैं या विरेन्द्रपाल ?

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि वहां सेल्स टैक्स और रोयल्टी की छूट हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी ।

Page No.19

श्री बहादुरसिंह : क्या बाड़ी से ऐसी कोई शिकायत आई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

रूंध खेमड़ी के लगभग ५० कृषकों को तहसील बसेड़ी से इजेक्ट करना

२६६ **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(a) Did the Tehsilder Baseri eject about 50 tenants of Rundh Khemri ?

(b) If yes, have they been reinstated ? If not, why ? After how long the ejected tenants were given possession of their land ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (a) Out of 425 bighas of culturable government land temporarily occupied by 42 cultivators, 100 acres of land was allotted to Agriculture Department for a Seed Multiplication Farm. The remaining area, when redistributed among those temporary cultivators, 21 cultivators who had already other land in possession had to be eliminated.

(b) The question of re-instatement does not arise in view of the position explained in part (a) of the question.

श्री श्रीमानसिंह : Did the Hon'ble Dy. Minister, Revenue, pass orders regarding their reinstatement ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not to my knowledge. Ordinarily no orders of reinstatement are passed.

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Dy. Minister passed orders for their re-instatement under Section 62 of the Land Revenue Act. Who should be responsible for that ?

श्री अध्यक्ष : He is not aware of any such orders.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have explained the circumstances in which the ejectment took place. If he wants a particular information regarding any order passed by the Deputy Minister or any other authority, he should have put a specific question in advance regarding that,

श्री श्रीमानसिंह : Mine is a very genuine supplementary. Orders for their reinstatment have been passed by the Government. You say that they cannot be reinstated. Which order is right-your version or the previous orders ?

श्री अध्यक्ष : He does not know of any order of the Secretariat.

श्री श्रीमानसिंह : Hon'ble Deputy Minister is a part of the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not my responsibility.

श्री अध्यक्ष : He denies knowledge.

श्री दामोदरलाल व्यास : It was

Page No.20

(श्री दामोदरलाल व्यास)

his duty to have tabled a specific question regarding information on a specific point. It is certainly not possible for me to remember all things and keep knowledge of all the records. If he wants any specific information he should have put in a specific question. There could have been a separate part in this very question viz. whether any orders for their reinstatement were passed by the Hon'ble Deputy Min .

श्री श्रीभानसिंह : It is a natural supplementary.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have denied.

श्री श्रीभानसिंह : Do I take it that no orders have been passed ?

श्री अध्यक्ष : You may take what you like, he has said what he knew.

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो भूमि वितरित की जाती है, तो क्या भूमि वितरण कमेटी है यहां ?

श्री अध्यक्ष : एक का उत्तर तो आने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : If the Hon'ble Member had listened to my answer, I think, this question would not have arisen. It was, "Out of 425 bighas of culturable government land temporarily occupied by 42 cultivators..." Temporary occupation is from year to yeea. If the allotting authority does not allot it, it becomes unoccupied.

श्री श्रीभानसिंह : Suppose it is brought to the government's notice that they were under occupation of land for six-seven years, will the Government...

श्री दामोदरलाल व्यास : It is difficult for me to answer any such hypothecated question.

श्री श्रीभानसिंह : It is not a hypothecated question, but a true fact.

श्री मूलचन्द डागा : टिनेन्सी एक्ट जब लागू हुआ है उससे पहले उनका जमीनों पर कब्जा था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They were temporary cultivators.

श्री श्रीभानसिंह : Under what provision they were ejected ? Where is the provision that temporary cultivators will be ejected soon after the coming into force of the Tenancy Act ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never said that on the date when this Tenancy Act came into force they were due for ejectment, I have only said, "Out of 425 bighas of cultutable Government land temporarily occupied by 42 cultivators, 100 acres of land was allotted to Agriculture Department for a Seed Multiplication Farm."

रावराजा श्री सरदारसिंह : जमीन वितरित की जाती है, तो क्या वितरण कमेटी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

सरकार द्वारा स्वीकृत राजनीतिक पीड़ित एवं उन्हें शासकीय सहायता

३००. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(क) सरकार ने राजनैतिक पीड़ित किनको स्वीकार किया है ?

(ख) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को अब तक कितनी सहायता दी जा चुकी है और कितनी सहायता देना बाकी है ?

(ग) उपरोक्त सहायता किस रूप में दी गई, जमीन के रूप में अथवा आर्थिक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को अब तक निम्नलिखित सहायता दी जा चुकी है-

(१) एकमुश्त सहायता १४,०००) रु०

(२) मासिक पेन्शन की रकम का योग ५१०) रु० ।

(३) जमीन १५ बीघा ।

(४) बोनस व उस पर हुए व्याज की वापसी २१८ रुपये ४ आने ।

(५) एक व्यक्ति की गवर्नमेंट सर्विस में पुन: नियुक्ति ।

और कितने राजनैतिक पीड़ित राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम सन् १९५६ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकेंगे, इसका अनुमान लगाना इस वक्त संभव नहीं है ।

(ख) यह सहायता एक मुश्त रकम और मासिक पेंशन के रूप में दी गई है। एक व्यक्ति का जब्त किया हुआ प्रावीडेंट फन्ड और उसका व्याज लौटायागया व एक व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस में पुन: नियुक्ति किया गया व एक व्यक्ति को कृषि के लिये भूमि प्रदान की गई ।

(ग) राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा, राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम सन् १९५६ के नियम २ (३) में दी हुई ।

डॉ० चन्द्रकला : इस नियम के सब रूल (३) में है 'अन्य राजनैतिक कारणों से है' ; यह अन्य राजनैतिक कारण क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है । I can give you some information but I cannot interprete what the law is ?

डा० चन्द्रकला : कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि इन नियमों में आते नहीं हैं, लेकिन वे राजनैतिक आन्दोलनों में बराबर भाग लेते रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या ऐसे लोग भी इन नियमों के अन्तर्गत सहायता के अधिकारी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नियम हैं वह मैंने अर्ज कर दिये हैं । कुछ संशोधन इनमें विचाराधीन हैं और एक कमेटी उन पर विचार कर रही है । आप कोई खास केस मेरे ध्यान में लायें तो मैं उस कमेटी को रेफर कर दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, उसका नाम क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry. that information is not with me at present but I will let the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Hou'ble members oi this House know tomorrow.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : १५ बीघा जमीन किस व्यक्ति को दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री हरनाथ, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर को १५ बीघा जमीन दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

जागीरदारों में सरकार की बकायां की समस्त धनराशि

३०१. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के जागीरदारों में सरकार की कुल कितनी सरकारी रकम बकाया है तथा सरकार ने इस बकाया रकम की वसूली के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) अब तक कितनी रकम वसूल की जा चुकी है व शेष कब तक वसूल कर ली जायगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) १, २२, १४,८१२ रु० ३ आ० ६ पा०

(२) १,२२,२३६) रु० वसूल हो चुके हैं व शेष रकम दावों पर अन्तिम निर्णय होने पर वसूल हो जायगी।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार ने जागीरदारों पर कर्ज के विषय को लेकर कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री गिरधारीलाल : उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कितना रुपया जागीरदारों पर बकाया निकाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही रकम है जो कि मैंने अभी अर्ज की है १,२२,१४,८१२ रु० ३ आ० ६ पा०

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि उस कमेटी ने १६ अरब रुपया कुल निकाला था जिसमें से ६ अरब रुपया बाद देकर १०,७८,२२,४२,७३०) रु० बाकी जागीरदारों में और निकले हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया है कि जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसने १,२२,१४,८१२) रु० निकाले हैं, और आपके पास कोई दूसरी इनफॉर्मेशन है।

श्री गिरधारीलाल : कमेटी ने जो कार्यवाही की है उसके अनुसार उन्होंने १०,७८, २२ ४२,७३०) रु० कुल बकाया निकाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन सी कमेटी की बात करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल : आपने कौनसी कमेटी का बतलाया है ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो जो नवम्बर १९५३ में कमेटी नियुक्त की थी उसकी बात कही थी।

श्री गिरधारीलाल : जागीरदारों के जिम्मे सरकार का जो कर्जा है उसके विषय में जो कमेटी बनी है उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् १९५३

Page No.23

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिशों के अनुसार १,२२,१४,८१२ रु० ३ आ० ६ पा० हैं।

श्री गिरधारीलाल : उसके सिवाय भी दूसरी कमेटी नियुक्त की है क्या ? जागीरदारों के कर्जे के विषय को लेकर कितनी कमेटियां नियुक्त की गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उससे पहले यदि कोई मुकर्रर हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : इतना रुपया बकाया है उसमें से कितना रुपया आज तक वसूल किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं जवाब दे चुका हूँ। तीसरी दफा फिर पढ़ देता हूं, १,२२,२३६) रु० ।

श्री गिरधारीलाल : बाकी रुपया अभी तक क्यों नहीं वसूल किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब दावे अपने मुकम्मल हो जायेंगे तब वसूल कर लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला ।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला ।

बुनियादी शिक्षा संबंधी शासकीय योजना

३०२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार की बुनियादी शिक्षा के संबंध में क्या योजना है ?

(ख) उपरोक्त योजना अब तक कितनी कार्यान्वित हुई तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बुनियादी शिक्षा के लिए निम्नलिखित योजना है :—

२५०० प्राथमिक पाठशालाओं को बेसिक पाठशालाओं में परिवर्तित करना । जिन पाठशालाओं में बेसिक शिक्षा नहीं है उनमें ३००० पाठशालाओं में क्राफट्स निर्धारित करना ।

२५ नये बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल्स खोलना ।

(ख) निम्नलिखित योजना कार्यान्वित हो गई :—

	५६—५७	५७—५८
बेसिक स्कूल्स	१००	२००
क्राफ्ट्स स्कूल्स	२००	३००
बेसिक एस. टी. सी. स्कूल्स	१०	४

डॉ० चन्द्रकला : जिन स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करते हैं उनमें क्या मूलभूत परिवर्तन होते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनमें क्राफट्स इन्ट्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिक एजुकेशन की पॉलिसी है, उसको जिस तरह से वह होना चाहिए वह करते हैं और क्या करते हैं ?

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : बेसिक स्कूल चालू करने में सरकार को क्या लाभ हुआ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बिल्कुल लाभ हुआ है। यह राष्ट्र की नीति है कि शिक्षा जो होगी वह बेसिक होगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को संतोष है कि बेसिक शिक्षा का सही ढंग से और सही आधार पर प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी हमें पूरी सफलता मिल गई हो ऐसी चीज़ हम नहीं कह सकते। हम आगे बढ़ रहे हैं और ठीक नीति और रीति से बढ़ रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : पूरा पहुँचने में हम कितने मील रह गये हैं ; कहां तक पहुँच गये हैं और कितने वर्षों में पहुंच गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां तक पहुँचे हैं वह ठीक है और हमारी ५ साल में करने की योजना है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि सरकार बेसिक शिक्षा में प्रगति केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने और नये स्कूलों के खोलने में ही मानती है या कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है स्वावलम्बन का उसको मानती है ? स्वावलम्बन के क्षेत्र में कितनी सफलता पर पहुँच सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब कि पढ़कर बच्चे जीवन में जायेंगे और उनको सफलता मिलेगी। अभी तो मैंने कहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वे १७-१८ साल के होंगे तभी मालूम पड़ेगा।

डॉ० चन्द्रकला : बेसिक स्कूलों में क्या पाठ्यक्रम ऐसा नहीं चलाया जाता है जो कि दूसरे स्कूलों में चल रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसमें कताई, बुनाई, खेती-बाड़ी करने का काम सिखाया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट इन्ट्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स इन्ट्रोड्यूस करते हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितने स्कूल हैं उनको बेसिक स्कूल कर दिया गया है और २६०० बेसिक ट्रेन्ड टीचर हर साल निकाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ३०३।

श्री पी. के. चौधरी : My question is not replied.

श्री अध्यक्ष : Your question is very wide.

इस वर्ष अकाल सहायतार्थ नागौर जिले में व्यय हेतु स्वीकृत धन-राशि

३३०. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नागौर जिले में इस वर्ष अकाल सहायतार्थ कितनी रकम व्यय करने के हेतु स्वीकृत की गई है ?

(२) क्या स्वीकृत मूल रकम खर्च की जा चुकी है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) उक्त रकम किन किन तहसीलों में कितनी कितनी और किन किन कार्यों में खर्च हुई है ?

(५) क्या प्रत्येक तहसील में अकाल के अनुपात से यह रकम खर्च हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) ३,८३,५०० रुपये ।

(२) जी नहीं ।

(३) बरसात हो जाने के कारण ।

१. सहायता कार्य बन्द करने पड़े ।

२. सड़कें जो बनाई थीं उन पर मुरड़ न डाली जा सकती थी ।

३. पीने के पानी की तकलीफ न रही इस कारण उपरोक्त मदों में खर्च होने वाली रकम बच गई ।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) अकाल के अनुपात व जो सहायता कार्य मंजूर हुए उनकी जरूरत के अनुसार रकम खर्च की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मानिकचन्द कोठारी : रकम दे दी गई है या देनी बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अकाल खत्म हो गया है, अब देने का सवाल ही कहां रहता है ।

जावजा में मिडिल स्कूल की स्वीकृति

३०४. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) Whether a Middle School has been sanctioned for Jawaja and the sixth standard ordered to be opened there ?

(b) When was it sanctioned and the orders passed to the above effect ?

(c) Did the Department make inquiries about the number of boys for the sixth standard ?If so, when ?

(d) Why has the class not yet been opened

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) जी हां ।

(ख) दिनांक २६–८–५७ को मंजूरी दी गई और दिनांक २१–६–५७ को कक्षा ६ खोली गई ।

(ग) जी हां, उप शिक्षा निरीक्षक, ब्यावर ने जांच की और अपनी रिपोर्ट तारीख २१-६-५७ को दे दी ।

(घ) कक्षा ६ खोल दी गई ।

श्री नारायणसिंह : Was it opened so late after the orders ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २६–८–५७ को मंजूरी दी गई और २१. ६. ५७ को खोली गई । यहां से ऑर्डर्स पास होकर डाइरेक्टर को गये, वहां से डिप्टी डाइरेक्टर को गये, वहां से इन्सपेक्टर को गये, फिर बच्चों को इकट्ठा किया गया, उनको भरती किया गया ; इन सब में टाइम लग जाता है ।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य हाजिर नहीं हैं, यह क्वेश्चन जरूरी है । इसको, माननीय अध्यक्ष, ले लिया जाय, तो अच्छा रहे ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दीजिये ।

बुनियादी शिक्षा हेतु खोले गये विद्यालय

३०५. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या वित्त मंत्री

(श्री गिरधारीलाल)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बुनियादी शिक्षा हेतु स्कूल कहां कहां खोली गई है ?

(२) किन जिलों की कौन कौन सी म्युनिसिपल स्कूल्स को बेसिक स्कूल्स में परिवर्तित किया गया है ?

(३) उपरोक्त स्कूलों में कौन कौन से हस्तकला के काम सिखाये जाते हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(१) राजस्थान में बुनियादी शिक्षा स्कूलें प्रायः लगभग सभी जिलों में खुली हुई हैं।

(२) किसी म्युनिसिपल स्कूल को बेसिक स्कूल में परिवर्तित नहीं किया गया, केवल राजकीय स्कूलों को ही परिवर्तित किया गया है।

(३) १. बुनाइ—कताई

२. कृषि।

३. गत्ते का काम।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्योंकि चमड़े के काम की कमी है, क्या यह भी बेसिक स्कूलों में सिखालाया जाता है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

मंडवा, जिला नागौर की जनता द्वारा मिडिल स्कूल भवन हेतु चालीस हजार रुपया

३०६. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(१) क्या नागौर जिले के मंडवा कस्बे की जनता वर्तमान मिडिल स्कूल भवन पर ४०,००० रु० व्यय करके हाई स्कूल के लिये उपयुक्त भवन बनाने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष वहां हाई स्कूल शुरू कर देगी ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अगर वहां पर हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या, आस पास में फीडर मिडिल स्कूलों की संख्या तथा पर्याप्त भवन हुआ तो अगले वर्ष अन्य ऐसे स्कूलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया जावेगा।

श्री तनसिंह : This is, I think, a cyclostyled reply.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, no; it is typed.

प्रश्न संख्या ३०७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०८

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०९

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

पोलो विक्ट्री सिनेमा घर के मालिक को दिया गया ऋण

२८१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री तनसिंह)

(क) क्या जयपुर के पोलो विक्ट्री सिनेमा घर के मालिक को सिनेमा घर बनाने के लिए सरकार से ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(ख) उपरोक्त ऋण में कितनी किश्तें वापिस वसूल हो चुकी है और कितना रुपया उनमें मूल धन और ब्याज का बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त सिनेमाघर के मालिक ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मार्फत टोंक की एक स्टेट से ५०,००० रु० और कर्ज लिया है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) हां ।

तारीख	रकम ऋण दी गई ।
३-७-४७	२,००,०००
६-१२-४७	५०,०००
२६-२-४८	१,००,०००
	३,५०,०००

(ख) एक किश्त रु० २५,००० तारीख २१-८-५० को वसूल हुए और उसके पश्चात् ऋण से ८,४०० रु० व ४,२०० रु० तारीख २-६-५७ और १०-१०-५७ को और जमा कराये हैं ।

(ग) बाकी रकम मूलधन	ब्याज तारीख
३,१२,४०० रु०	१४-१-५७
	१,०२,३६३रु०२ आ०

(घ) मालूम नहीं ।

(मूल प्रश्न के अनुसार उत्तर चारों भागों के दिये गये)

श्री तनसिंह : (ग) के लिए मालूम नहीं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरों से रुपया लिया हो, उसका मालूम नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका क्या इन्स्टालमेंट है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : २५,००० सालाना ।

श्री तनसिंह : जब यह रकम दी गई थी कर्जे के रूप में, उस वक्त उससे तमस्सुक लिखाया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह रुपया जयपुर स्टेट के जमाने में दिया गया था और उसके अनुसार मोर्टगेज डीड लिखी हुई है ।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या उससे कोई तमस्सुख लिखाया गया था ?

श्री अध्यक्ष : मोर्टगेज डीड लिखी हुई है ।

श्री तनसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या मोर्टगेज डीड में यह है कि सिनेमा घर को दिये गये कर्जे का पेमेन्ट नहीं किया गया तो सिनेमा घर सरकार ले लेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह पी. डी. आर. को दे दिया गया था, उसके बाद पार्टी ने यह रिप्रेज़ेन्ट किया कि चूंकि सिनेमा घर दो साल तक नहीं चला, इसलिए पेमेन्ट नहीं किया गया । वह इन्ट्रेस्ट की रेट बढ़ाने को तैयार है और किश्त देने को तैयार हैं ।

श्री तनसिंह : क्या किश्त बांधी गई थी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किश्त है २५,००० सालाना और ब्याज की बढ़ोतरी के बारे में कि साढ़े चार प्रतिशत से साढ़े पांच प्रतिशत की जाय; निगोशियेशन चल रहे हैं। स्थिति यह है कि सात लाख की प्रोपर्टी की वेल्यू है, जो कि मोरगेज है। अब रुपया वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जिन तारीखों को किश्त जमा होनी चाहिए वे उन्हीं तारीखों को जमा हुई हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं दे सका, इसलिए नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या कार्यवाही की गई, उसके खिलाफ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि कलेक्टर के पी. डी. आर. द्वारा केस चलाया गया तो पार्टी ने रिप्रेजेन्ट किया, कि उसकी हालत खराब है, वह बरबाद हो जायगा, इसलिए सहूलियत के साथ रुपया वसूल कर लिया जाय। फिर किश्त बन्दी की गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उन किश्तों के बारे में पूछ रहा हूं जो पी. डी. आर. में कार्यवाही हो रही थी, उसके बारे तय हुई हैं। वे किश्तें वसूल हुई हैं या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह बराबर नहीं दे सका, ऐसी सूरत में यह समझा गया कि सख्ती का व्यवहार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कितनी किश्तें जमा नहीं कर सका है, और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ८,४०० रु० और ४२०० रु० आये; इससे ज्यादा नहीं दे सका, इसलिए जल्दी जल्दी वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जब उसने रिप्रेजेन्टेशन किया, तो क्या सरकार ने पी. डी. आर. के मारफत चलने वाली कार्यवाही स्थगित कर दी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही स्थगित करने के समय सरकार ने सिक्योरिटी क्यों नहीं ली?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सिक्योरिटी मौजूद है। जो प्रोपर्टी मोर्टगेज है, उसकी वेल्यु ७ लाख की है, इसलिए इस रकम का कहीं जाने का अंदेशा नहीं है। अलबत्ता वसूल करने की कार्यवाही में सख्ती की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : अब तक सख्ती क्यों नहीं की गई?

श्री रिखबचन्द धारीवल : सख्ती बहुत की गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रश्न संख्या ३०९ का उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह। १२७, यह स्थगित किया हुआ प्रश्न है।

(११ नवम्बर, १९५७ को स्थगित किया गया प्रश्न)

१९५०-५१ से अब तक विभिन्न डिवीजनों में शराब की हुई बिक्री

१२७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री तनसिंह)

(१) सन् १६५०-५१ से अब तक शराब की कितनी बिक्री किस किस डिविजन में हुई ?

(२) कितनी अवैध शराब इन्हीं वर्षों में बरामद की गई और उसके कितने केसेज़ का चालान हुआ ? चलान की संख्या कृपया डिविजन-वाइज़ बतावें ?

(३) उपरोक्त मुकद्दमों में कितने केसेज़ में अभियुक्तों को सजा हुई तथा कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास, वित्त मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) तालिका 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जितनी अवैध शराब बरामद की जाती है वह ता-फैसल रखी जाती है और बाद में जाया कर दी जाती है। उसकी मिक-दार बताना मुमकिन नहीं है। चालान के केसेज़ का ब्यौरा तालिका 'बी' में वर्णित है।

(३) तालिका 'सी' इस सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री तनसिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १६५२-५३ से लगातार शराब की बिक्री में वृद्धि हो रही है और वृद्धि करीब १ लाख गैलन के करीब पहुंच गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १६५०-५१ में २,२८,२५८.६ थी और १६५६-५७ में १,३८,१७६.५ है।

श्री तनसिंह : मैं १६५२-५३ की बात नहीं पूछ रहा हूं। १६५३-५४ में ४,६३,६६७.६ थी, १६५६-५७ में ६,६३,८१६.४ हो गई है। यह उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते १ लाख गैलन तक बढ़ गई है, यह कैसे हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पीने वाले तरक्की कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री तनसिंह : पीने वाले तो तरक्की कर रहे हैं लेकिन आप भी तरक्की कर रहे हैं नशा बन्दी की नीति में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नीति के सम्बन्ध में जो एक्शन लिया गया वह सदन को मालूम है।

श्री तनसिंह : लेकिन क्या परिणाम हुआ, क्या एक्शन द्वारा इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये फिगर्स फ्लक्चुएटिंग हैं, १६५०-५१ में २,२८,२५८ थी, १६५१-५२ में १,५३,६०७ रह गये। १६५३—५४ में कमी हुई, १६५४-५५ में बढ़ गई, १६५५ में कमी हुई और फिर १६५६-५७ में बढ़ गई।

श्री तनसिंह : आप जयपुर के फिगर्स दे रहे हैं, मैं होल राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूँ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है। माननीय सदस्य जैसा फर्मा रहे हैं बढ़ोतरी हुई है ?

श्री तनसिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर डिवीजन में चालान के केसेज़ अवैध शराब के हैं, वे

(श्री तनसिंह)

ज्यादा हैं दूसरे डिवीजनों के मुकाबले में और वे करीब १० गुने हैं। इस डिवीजन में विशेष तौर से शराब बन्दी करने के लिए सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। जयपुर डिवीजन बड़ा है और यहां पर अवैध शराब बनाने वाले ज्यादा हैं, इसके विरुद्ध कदम उठाये जा रहे हैं, काफी तादाद के अन्दर फोर्स लगाई गई है। आपने अखबार में देखा होगा कि जयपुर और जयपुर के आस-पास तादाद के अन्दर रुकावट हुई है और चालान किये गये हैं ?

१२.१० म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये, जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१. श्री सम्पतराज जैन—१८-११-५७ से २५-११-५७ तक

२. श्री रामप्रसाद लड्ढा १४ व १५ ११-५७

३. श्री जयसिंह राणावत ६-११-५७ से १७-११-५७

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी रूल्स हैं कि गैरहाजिर रह जाय और फिर इसके लिये आपकी इजाजत चाहे ?

श्री तनसिंह : जी हां, रूल्स में सब है।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

(पुरः स्थापित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री तनसिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले हमें नकल मिलनी चाहिये ताकि हम इनीशियल स्टेज पर बोल सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आपको बाद में मिल जायगी।

श्री तनसिंह : बाद में क्यों, अभी मिलनी चाहिये ताकि इस स्टेज पर बोल सकें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूँगा कि यह ऑब्जेक्शन करने की स्टेज नहीं है।

श्री तनसिंह : ऑपोज़ तो कर सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : It will be circulated very soon.

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

१२.१२ म. प.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : Clause by clause consideration of the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957. Clause 35.

इसके बारे में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था श्री भैरोंसिंह, Division No. 14 का। (श्री भैरोंसिंह से) I think you are satisfied with the situation now.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३५ (ए)

There are some amendments. Shri P. K. Chaudhry.

श्री पी० के० चौधरी : I do not want to move them.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : These words "undue delay" be deleted; यह है मेरा तो अमेंडमेंट, वह एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे ।

श्री अध्यक्ष : Do you move ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes. Sir.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करता हूं । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसे विदड्रा कर लें ।

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave to withdraw the amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री श्रीभानसिंह ने क्लॉज़ ३५ (ए) में जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ (ए) विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३६ से ४१.

(विराम)

क्लॉजेज़ ३६, ३७, ३८, ३९, ४० और ४१; प्रश्न यह है कि ये क्लॉजेज़ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

ये क्लॉजेज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

फर्स्ट एण्ड सेकण्ड शिड्यूल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि फर्स्ट शिड्यूल और सेकिन्ड शिड्यूल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

शिड्यूल वन और शिड्यूल टू विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ वन में भी अमेंडमेंट है। श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I move the amendment, "that sub-clause (3) be retained as it was in the original Bill"

ओरीजिनल बिल में ऐसा था :

"This Act shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette appoint."

और सिलेक्ट कमेटी ने जो इसमें तब्दीली की है उसमें "एट वन्स" रखा है। मेरा अमेंडमेंट टेक्निकल सा है, इस दृष्टि से मैं मानता हूं यह बोर्ड इस एक्ट से एट् वन्स इफेक्ट में नहीं आ सकता, टेक्निकल डिफिकल्टी रहती है। 'एट् वन्स' रखने से इसमें टेक्निकल, लीगल डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिये जरूरी है कि जो ओरीजिनल बिल था वही रखा जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष, सेकन्डरी एज्युकेशन बिल पास होने से पहले सेकन्डरी एज्युकेशन का ऑर्डीनेन्स हो चुका है, और इस बिल के पास होते ही वह ऑर्डीनेन्स नहीं रखा जा सकता, इसलिये सोच-समझ कर "एट् वन्स" रखा गया था कि वह पास होते ही इफेक्ट में आ जाय, वेकुम नहीं रहे, उसी दिन से लागू हो जाय, इसलिये 'एट् वन्स' रखा जाय।

श्री पी० के० चौधरी : एक्ट के प्रोविज़न्स हैं, ऑर्डीनेन्स के प्रोविजन्स हैं, चेन्ज है....

(कुछ विराम के अनन्तर)

ठीक है। I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १ में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : There is an amendment in the Preamble also.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): My amendment in the Preamble is that in the last sentence of the Preamble, insert the words "system of" between the words "supervise" and "such education".

सिलेक्ट कमेटी ने जो इसमें रखा है, यह रखा है :

"With a view to developing the system of secondary education in the State on modern, scientific

Page No.33

(श्री पी० के० चौधरी)

and progressive lines, it is expedient to provide for the establishment of a Board to re-organise, regulate and supervise such education."

मेरा अमेंडमेंट है :

"such system of education."

मैं समझता हूं, supervising education is the function of the Director of Education or any person appointed by the Government for that purpose.

यह जो बोर्ड है वह एक्च्युअली एजुकेशन को सुपरवाइज नहीं करेगा; that will supervise the system of education by controlling the mode of examination.

इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। "such education"; this is a misnomer. The proper function of supervising is that of the Director of Education. The Board is only to supervise the system of education through prescribing the courses of studies etc. by conducting examinations etc.

और इसलिये अमेंडमेंट में रखा है :

"such system of education".

श्री अध्यक्ष : Instead of "supervise such education", the Hon'ble member wants to insert "supervise the system of such education ?"

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I do not accept this amendment.

श्री श्रीमानसिंह : There is a Note of Dissent of mine on this Preamble.

श्री अध्यक्ष : So what ?

श्री श्रीमानसिंह : I have a right to speak on this.

श्री अध्यक्ष : Will you speak on this ?

श्री श्रीमानसिंह : With your permission, Sir.

(विराम)

Mr. Speaker, Sir, the purpose of the Preamble is to lay down and define clearly the scope of the Bill, and if I may say so, in the 20th century, this type of Preamble is not used anywhere. It is termed as'old-fashioned'. The words used in the Preamble as "modern, scientific and progressive" do not convey at least to me any specific meaning. In law or in interpreting the statutes, or the sections of this Act, if the Courts look to the Preamble, they will rather be surprised at this. Such a vague, such a wide preamble does not give them any help in interpreting the sections of this statute. While the specific purpose of this Preamble should be that wherevere there is a doubt then the Preamble must provide them with a help or a guide in interpretation. Therefore, what the aim and object of this Bill is ? It is to establish a Board of Secondary Education; that is the aim of this Bill. While it is not the sub-

(श्री श्रीमानसिंह)

ject-matter of this Bill to provide an education on modern, scientific and progressive lines, it is a matter of policy and a matter of policy obviously concerns the Government and not this Board. The purpose of this Bill, as has amply been made clear by the Hon'ble Minister, is to lay down curricula, to prescribe courses of examinations, etc. This is the bare outline of the functions of this Board. While the words "modern, progressive and scientific" are vague and they embody terms and purpose which are beyond the scope of this Bill, therefore, to bring it in line within the scope of this Bill, within the purpose of the legislation, so that the courts may have a particular indication or in case of doubtfulness or certain terms and words of the statute, the Preamble may be provided that may be helpful in interpreting it. I would suggest that these general terms "modern, scientific and progressive", which convey no meaning except that they are good and as I said, they are ornamental, may be dropped, because a Preamble should not be ornamental, which is not the function of law, it may be a function of the artist but not of legislators. Therefore, I suggest that these words be deleted.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री): Mr. Speaker, Sir, during the course of debate on this Bill it was very vehemently argued that in this Bill there is nothing to show or there is nothing to guide the Board as to how the system of education shall develop. To that I replied that it shall be for the educationists to provide the curricula and to provide courses for the students in future. As in the functions of the Board we have laid down that they shall provide courses and they shall lay down the conditions of affiliation etc , etc., so for guiding them we have not said anything in the functions or duties of the Board. But we have said here that the Board shall lay down or shall organise examinations or prescribe courses or carricula, entire activities on modern, scientific and progressive lines. We have satisfied ourselves by saying this so that they shall serve to guide the Board, that whenever they actually sit to prescribe the courses or to evolve a now system of education, then they shall always look to the modern, scientific and progressive lines that are prevalent in the country or that are going to be adopted by our country. For this reason we have laid it down for their guidance. But for this the Board would not have any limitations over it to adopt any orthodox system or an out-of-date system. So in order to prevent them from going to that extent, we have laid it down thus, which, I think, is useful.

So I am unable to accept the...,

श्री श्रीभानसिंह : I have not put in any amendment.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : Yes. There is no amendment. I am unable to agree with the view of the Hon-ble Member.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ और प्रीएम्बल विधेयक के अंग बनें।

(मतदान के पश्चात्)

क्लॉज़ १ और प्रीएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "दि बिल टु प्रोवाइड फोर दि एस्टब्लिशमेंट ओफ ए बोर्ड फोर सेकन्डरी एजुकेशन इन राजस्थान" को पारित किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस बिल पर विचार कर चुके हैं, लेकिन इसके सम्बन्ध में एक बात कहनी है। कल अखबारों में देखा था कि परसों दिल्ली में सेकन्ड्री एजुकेशन पर विचार करने के लिये देश के शिक्षा शास्त्रियों की एक सभा हुई थी और उसके अंदर देश के विभिन्न सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड्स को एग्ज़ामिन किया था और इस नतीजे पर पहुँचे कि जो आउट पुट हैं उसमें बे असफल रहे। हम एक बॉडी आज बनाने जा रहे हैं उस संबंध में देश के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के इस तरह के विचार हैं। ऐसी हालत में आज हम बोर्ड के फंक्शन्स के बारे में पुनः विचार करें। मैं सोचता हूं बोर्ड के संबंध में शिक्षा शास्त्रियों की राय ठीक है। उस पर यदि सरकार सोचे तो ठीक होगा। एग्ज़ामिनेश्न्स के मामले में बोर्ड जो पर्सेन्टेज़ दे रहा है वह पर्सेन्टेज डिसअपोइंटिंग है। इसलिये बोर्ड का कम्पोजिशन ठीक ढंग से होना चाहिये जो यह सोचे कि विद्यार्थियों को किस ढंग से शिक्षा देनी चाहिये। आजकल लड़कों की क्या आवश्यकता है, उसका कोई ध्यान नहीं रखता है।

बोर्ड के कम्पोजिशन के संबंध में क्लॉज़ ४ पर काफी विचार सदन में हुआ और माननीय मंत्री जी ने भी ऐसा अनुभव किया कि माननीय सदस्यों की दलील मायने रखती है, इसलिये उन्होंने उसको डेफर कर दिया। केवल इसी क्लॉज को डेफर नहीं किया बल्कि बोर्ड के चेयरमैन के संबंध में जो क्लॉज़ थी उसको भी डेफर किया, बोर्ड की सारी जिम्मेदारी चेयरमैन पर है। लेकिन कल इस प्रकार का अनुभव हुआ कि जो कुछ पहले किया था उसको बेकडोर में पता नहीं क्या बात हुई जिसके कारण डेफर किये हुए क्लॉज़ को भी उसी ढंग से पास कर दिया जिस ढंग से सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में था। मैं पुनः कहता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाय। आज जो शिक्षा पद्धति लागू है उसके बारे में शिक्षा-शास्त्रियों ने यह अनुभव किया है कि प्रज़ेन्ट कम्पोजिशन और फंक्शन्स हैं उन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना जरूरी है। बोर्ड का वर्तमान कम्पोजिशन है उसके अन्दर २५ सदस्य रखे हैं, उनमें से १७ ऐसे हैं जो या तो ओफिशियल्स हैं या डीन्स वगैरा हैं और ६ सीनेट द्वारा चुने हुए हैं और केवल दो शिक्षा शास्त्री इस सारे बोर्ड में ऐसे होंगे जिनको कोप्ट किया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार का बोर्ड बना है वह किस प्रकार से जैसा कि प्रिएम्बल में लिखा है, हमें प्रोग्रेसिव स्तर पर ले जायगा, ये व्यक्ति किस प्रकार से प्रोग्रेसिव लाइन्स पर शिक्षा दे सकेंगे ?

Page No.36

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दूसरा संशोधन आया था कि जो टीचर्स इसमें लिये गये है वे या तो प्रिन्सिपल्स लिये गये हैं या डीन्स को लिया गया है लेकिन वास्तव में सेकन्ड्री शिक्षा देने वाले हैं, अध्यापक हैं जो सेकन्डरी एजुकेशन की कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यह जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा दी जाय और जो कठिनाइयाँ हैं, उनका किस ढंग से, किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है; उनका प्रतिनिधत्व पूरी तरह से इस बोर्ड पर नहीं हुआ है। इसका नतीजा वही होगा जो दिल्ली की मीटिंग में हुआ। तो इसके अन्दर भी उन लोगों की उपेक्षा की गई है। उन-अध्यापकों की जो शिक्षा देने वाले हैं, वास्तव में उपेक्षा की गई है। इस तरह, से उन लोगों की उपेक्षा की गई जो वास्तव में शिक्षा देने वाले हैं और मनुष्य का जीवन बनाने वाले हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव इस तरह का रखा था कि एक गार्जियन्स की कमेटी बनायी जाय जो एक परामर्शदात्री समिति की तरह हो। लेकिन यह माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। यदि इसको स्वीकार नहीं किया तो यह तो कर सकते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को तो बोर्ड में लिया जाता ताकि वे बोर्ड के अन्दर आकर वास्तव में उन लोगों को क्या कठिनाई हैं उनको रख सकते। आज जो बेसिक एजुकेशन हमारे यहां चल रही है उसके संबन्ध में वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं यह तो वे ही अध्यापक बता सकते हैं जिनको रात-दिन इसको पढ़ाने का अनुभव है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि जो बेसिक एजुकेशन हमारे यहां दी जाती है जिसमें तकली कातना, कार्ड बोर्ड बनाना बताया जाता है। क्या कभी माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में सोचा है कि आगे चलकर उन विद्यार्थियों के जीवन में यह कितना उपयोगी सिद्ध होता है? यह मैं मानता हूं, जैसे कि आंकड़े माननीय मंत्री महोदय ने बताये उनसे तो ऐसा पता चलता है कि वे इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे है, लेकिन जिन लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उनका कितना आउट-पुट होता है यह कभी नहीं सोचा। अभी दो तीन रोज पहले जो शिक्षा शास्त्रियों की बैठक दिल्ली में हुई थी उन्होंने अपनी राय इसमें, इस प्रकार दी है कि इसको केवल परीक्षायें होती हैं और परीक्षाओं में विद्यार्थी बैठ जाते हैं या तो पास हो जाते हैं या फैल या, रट रटाकर पास जो जाते हैं। स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है उससे क्या लाभ होता है, इस प्रकार का अनुभव नहीं है। वह अनुभव बोर्ड को तभी हो सकता है जब कि गार्जियन्स के प्रतिनिधि उसमें हो।

आज की शिक्षा पद्धति के बारे में आज की सरकार यह कह सकती हैं कि वह भी जनता की प्रतिनिधि हैं। वे भी जनता से चुन कर आये हैं, उनकी मनोभावनाओं को अच्छी प्रकार समझते हैं। सरकार यह मानती है कि जितने भी सदस्य चुनकर आये हैं सभी जनता से चुने हुए हैं। वे जो भी कुछ कहते हैं वह जनता की राय होती है। लेकिन जहां कुर्सी पर बैठने का अवसर आया नहीं कि हम एक पक्ष के बन जाते हैं। दूसरा पक्ष वह होता है, जो विद्यार्थियों के गार्जियन्स हैं, अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो जो शिक्षा उनको होगी वह कागजी शिक्षा होगी। लार्ड मेकॉले ने जो शिक्षा की प्रणाली हमारे यहां जारी की थी केवल 'जी हुजूर' कहलाने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वाले लोगों की, उसी प्रकार सरकारी काम काज में जिस प्रकार क्लर्क चाहिये ठीक उसी प्रकार की शिक्षा का विस्तार हम करने जा रहे हैं। जनतन्त्र का उद्देश्य, जहां हम प्रजातन्त्र का विकास करना चाहते हैं, जन समाज किस आधार पर आगे बढ़ सकता है, किस तरह से जन-समाज में प्रजातन्त्र की भावना पनप सकती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमने इस बोर्ड का निर्माण किया वह किस प्रकार के समाज को आगे बढ़ायेगा ? इसके अन्दर किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होगी ! जब हम इसको देखते हैं तो हमें निरुत्साहित होना पड़ता है। इस बोर्ड द्वारा हम ऑफिशियल्डम (officialdom) को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि इस पर दो साल के बाद में हमें पुनः सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमने जो कुछ निर्माण किया है वह ठीक नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निज का अनुभव है जब मैं सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ता था हमारे स्कूल में टेलरिंग भी सिखाई जाती थी मैंने पजामा, कोट काटना सीख लिया था। मैं टेलरिंग में पास भी हो गया लेकिन वह मेरे जीवन में आगे कुछ भी काम न आ सका। आज हमें देखना यह है कि जो बेसिक शिक्षा हम देने जा रहे हैं, जैसे तकली कातना, कार्ड बोर्ड बनाना, आखिर यह हमारे जीवन में कितनी सार्थक उतरती है, यह हमें देखना चाहिये। मेरा तो यह मानना है कि यह तो एक प्रकार से ढोंग है वास्तव में अगर हमारे जन-समाज को ऊपर उठाना है तो हमें इस शिक्षा प्रणाली पर गंभीरता से सोचना होगा। मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड का जो गठन हम इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं उस पर पुनः सोचें और उसमें तमाम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो, इस रूप में सोचें। अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जरूर लिया जाना चाहिये। क्योंकि आज जितने भी हायर सेकन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं उनके अध्यापकों को अगर इसमें लिया गया तो वे इस बात को बतायेंगे कि उनके सामने इस पढ़ाई में क्या क्या कठिनाइयां पेश आती हैं ? आज सेकन्डरी स्कूल्स में जो शिक्षा दी जारही है उससे अध्यापक वर्ग भी खुश नहीं है, वह तो इस बात से सन्तोष मानकर बैठा है कि उनका ग्रेड अच्छा हो गया, पहले सौ सवा सौ मिलते थे अब दो सौ रुपये मिलने लग गये, लेकिन जहां तक पढ़ाई का सवाल है उनको भी सन्तोष नहीं है। वे यह सोच रहे हैं कि वर्तमान में जो सेकन्डरी एजुकेशन दे रहे हैं वह लड़कों के भविष्य निर्माण में सहायक होने वाली नहीं है। इसमें आपने डीन्स, प्रोफेसर्स, डाइरेक्टर्स आदि को रख दिया है, लेकिन आपने इसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व नहीं लिया यह एक बहुत बड़ी खामी इस बिल में रह गई है।

दूसरी बात यह है कि जहां आपने इस बोर्ड का हैड जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उस संबन्ध में....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : He shall confine himself to the arguments as to why it should not be passed and not refer to those clauses which we have already passed, if they are not useful to this debate or if they are not in support of his general arguments.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने इस सारे बिल को पास कर दिया लेकिन जहां तक तृतीय वाचन का सवाल है हमें यह अधिकार है कि सम्पूर्ण बिल पर हम अपने विचार प्रगट करें।

श्री अध्यक्ष : आप सम्पूर्ण बिल पर बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: (जारी रखते हुए) मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, जो हमने बोर्ड का अध्यक्ष पद जिसको देने के लिये प्रोवीजन किया है, उसके बारे में विरोधी पक्ष की ओर से ही नहीं सरकारी पक्ष के सदस्यों की ओर से भी यह मांग की गई थी कि इस पद पर किसी शिक्षा शास्त्री को ही नियुक्त किया जाय। इस पर माननीय उप मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा शास्त्री ही होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जितना काम है वह पहले से ही बहुत है और उसको यह काम सौंप दिया गया तो वह काम और भी ज्यादा हो जायगा। उनके लिये इस बोर्ड में ठीक ढंग से काम करना नामुमकिन होगा और इस पर भी आप उस डाइरेक्टर को बोर्ड का काम करने पर कुछ न कुछ तो ओनरेरियम के तौर पर देंगे ही यह निश्चित है, तो वैसी अवस्था में आप जब कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इस काम के लिये ओनरेरियम देंगे तो आप सम्पूर्ण समय के लिये इस पद पर शिक्षा शास्त्री की नियुक्त क्यों नहीं कर देते हैं ? यह भी निश्चित बात है कि जो एलाउन्स शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को देंगे वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा एलाउन्स होगा। उस हालत के अन्दर यदि आप बोर्ड का काम करने के लिये किसी शिक्षा शास्त्री को पूरे समय के लिये रख लेते हैं तो विरोधी दल को किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होगी। आप जहां जिला विकास अधिकारी और डेवलपमेन्ट ऑफिसर को ५०० और ४०० रु० पर नियुक्त कर देते हैं तो जहां यह शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसके लिये किसी शिक्षा शास्त्री को नियुक्त कर देते हैं और अगर आप उसकी सेलरी दो हजार रुपया प्रति मास भी कर देते हैं तो विरोधी पक्ष को यह मानने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। यह वास्तव में मनुष्य के विकास का क्षेत्र है, मनुष्य का निर्माण और चरित्र का निर्माण इसी शिक्षा द्वारा होता है, बाकी का निर्माण तो अपने आप स्वयं ही हो जाता है। आज जो प्रावधान अध्यक्ष पद के लिये हमने इस बिल में किया है उससे तो ऐसा होगा जहां आज मास्टरों पर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन सवार है उसी प्रकार बोर्ड के ऊपर भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन सवार रहेगा। आज हमने दोनों घोड़ों पर सवार रखने का प्रोवीजन इस बिल में किया है। विरोधी पक्ष इस बात में कतई आपत्ति नहीं करेगा कि चाहे आप दो हजार रुपये देकर भी इस पद पर नियुक्त करें। अगर आप इस पद पर किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं तो किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बोर्ड के कन्ट्रोल के संबन्ध में जो क्लॉज़ेज़ हमने पास किये हैं, उनमें से क्लॉज़ २६ और २७ का संबन्ध बोर्ड के ऊपर सरकारी पक्ष के नियन्त्रण से है। क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत जिस प्रकार के पॉवर्स लिये हैं वे पावर्स ऐसे हैं जिसमें बोर्ड के दिन प्रतिदिन के कामों में हस्तक्षेप करने का हथियार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। एक तरफ वह ले लिया। उसके बाद में क्लॉज़ २७ के अन्दर बोर्ड को भंग करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मगर इस क्लॉज़ २७ से ज्यादा खतर-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नाक क्लॉज़ २६ है । ठीक है, इस बिल की क्लॉज़ २७ के अन्दर तो बोर्ड को भंग करने का अधिकार दिया है और इस प्रकार से अगर बोर्ड आज भंग हो जाता है तो वह दुबारा बन सकता है । यदि सरकार को बोर्ड की नीति पसन्द नहीं आई तो दूसरा बोर्ड सरकार बना लेगी । मगर क्लॉज़ २६ के अन्दर इस प्रकार से है कि मनमाने ढंग से जो हमारी सरकार जैसा देखे और जैसा चाहे वह बोर्ड को मानना पड़ेगा । बोर्ड के जो शिक्षा शास्त्री हैं वह किसी बात पर निर्णय करते हैं, उसके बाद में सरकार उसमें कोई संशोधन भेजती है और उसके बाद भी बोर्ड के सारे शिक्षा शास्त्री कहते हैं और शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी कुछ कहता है और उसकी मंशा यह है तो सारे सेक्रेटरी जो कि शिक्षा शास्त्री नहीं हैं, मंत्री जी शिक्षा शास्त्री नहीं हैं, शिक्षा विभाग का जो सेक्रेटरी है वह शिक्षा शास्त्री नहीं है, तो जो यह शिक्षा शास्त्री नहीं हैं इनकी राय उन सारे शिक्षा शास्त्रीयों को माननी पड़ेगी जो कि बोर्ड के सदस्य हैं । अब बोर्ड के जो सदस्य हैं और शिक्षा शास्त्री हैं वह किसी चीज पर पुनर्विचार कर के भी सरकार को लिखते हैं कि हमने जो पास किया उसको पास कर लें । मगर हमारी राय यह है कि इतना होने के बाद भी सरकार यही कहती है कि हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं । हमारे मंत्री चाहे कुछ न जानते हों, सेक्रेटरी चाहे कुछ न जानते हों, मगर फिर भी सरकार यही कहेगी कि हमारा विचार सुप्रीम रहेगा । ऐसा अधिकार इस बिल के क्लॉज़ २६ के अनुसार सरकार को दिया गया है । इमर्जेन्सी के अन्दर कुछ भी करें, बोर्ड को भंग कर दें उन सारी बातों का अधिकार तो सरकार दे दे तो कोई खास बात नहीं है । परन्तु यह बात कि शिक्षा शास्त्री को केवल एक गैर शिक्षा शास्त्री जो कि शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसकी बात को मानना होगा, यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है जिसको कि हमने क्लॉज़ २६ के अन्दर पास किया है । मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि परसों जो दिल्ली में कॉन्फ्रेन्स हुई है उसकी प्रोसीडिंग को पढ़ें । बोर्ड के गठन के संबंध में जो जो कमियां बताई; भविष्य में क्या क्या काम होना चाहिए और भविष्य में कैसा काम होना चाहिए; अगर अब भी हम इस पर पुनर्विचार करें तो सदन का समय व्यर्थ नहीं जायेगा । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम मनुष्यों का निर्माण करने के लिए एक कानून बनाने जा रहे हैं मकान, ईट या भवन नहीं बनाने जा रहे हैं । तो मेरा विचार है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे तो ठीक होगा, नहीं तो फिर सरकार अमेन्डमेन्ट्स लायेगी और हमें फिर उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा और बाद में समय व्यय होगा । हम इस बिल को अभी बना रहे हैं और वर्तमान में ही नये सुझाव आये हैं तो मैं सोचता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय तो ज्यादा उपयोगी होगा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, मेरे पहले जो बोलने वाले वक्ता महोदय थे शायद उनका ध्येय यह है कि भौतिकवाद की शिक्षा दी जाय या ऐसी शिक्षा दी जाये जैसा कि इस हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल का जो प्रिएम्बल है कि जो हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण हो वह वैज्ञानिक हो, यथार्थवादी हो, आधुनिक हो और जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनका मुकाबिला करने वाला हो । जब कि हमारा ध्येय जो

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रिएम्बल में बताया गया है, उस ध्येय को देखते हुए शिक्षा की क्या भावना हो सकती है और शिक्षा क्या हो सकती है। यह एक बड़ा पेचीदा सवाल है। यद्यपि यह बात सही है कि इन सब बातों में शिक्षा शास्त्रियों के अन्दर मतभेद जरूर है। लेकिन आजकल की शिक्षा क्या होनी चाहिये ? शिक्षा का ध्येय अलग अलग हो सकता है। एक शिक्षा का ध्येय यह हो सकता है कि हम अपने जीवन के अन्दर, जब विगत रूप में आने लगें तो शिक्षा जो है वह समाज की संस्कृति के अनुकूल हो सके। दूसरा ध्येय शिक्षा का यह हो सकता है कि जो शिक्षित पुरुष हैं, जो वयोवृद्ध पुरुष हैं, जो नीतिशास्त्री हैं और उनके आधार पर जो नीति निर्धारित की गई हैं, उनके आधार पर शिक्षा के प्रांगण में प्रवेश कर उस समाज में आयें जिस समाज में हम अपनी संस्कृति का और सभ्यता का संरक्षण कर सकें। तो दो चीजें यह हो सकती हैं, तीसरी चीज जो शिक्षा में है, वह यह है कि हम जगत के अन्दर रह कर व्यक्तिवाद का विकास कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। मेरी समझ में जो एजुकेशन बिल का सिद्धान्त है उसका दृष्टिकोण बिलकुल वैज्ञानिक है, बिल्कुल मुख्तसिर है और यथार्थवाद है। मैं यह नहीं कहता कि जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं या जो आपने कल बातें कहीं हैं उनका दृष्टिकोण यही था कि जो शिक्षा प्रणाली हो वह वैज्ञानिक होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए और सत्यवादी होनी चाहिए। उसके अनुसार कोई चाहे कि हम उन प्राचीन बातों को लेकर चलें कि हम चोटियां बढ़ाकर विद्याभ्यास करें तो यह अब नहीं हो सकता। यह मैं समझ नहीं पाया क्योंकि जहां तक इस सेकन्डरी एजुकेशन बिल का प्रिएम्बल है उसके नीचे जिन जिन लोगों को बोर्ड में लिया गया है वे विज्ञान-शास्त्री हैं, वे नीतिशास्त्र हैं, वे शिक्षा शास्त्री हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि आपके इस उद्देश्य को देखते हुए और इस बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी ओर देखते हुए और इसके साथ में जो बोर्ड को पॉवर्स दी गई हैं वह इस बिल के प्रिएम्बल के अनुसार यह दी गई हैं कि उसके अन्दर रद्दोबदल करने के लिए अपने नियम और उपनियम बना सकते हैं। इस हालत में इसको पास नहीं करने के बारे में जो विरोध उठाया जा सकता है, मैं समझता हूं, कि वह विरोध केवल विरोध के लिए ही हो सकता है। क्योंकि इसके अन्दर जितने भी सेक्शन्स हैं और जितने भी क्लॉज़ेज़ पास किए हैं उनमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारे यहां के जो बोर्ड के मेम्बर्स होंगे वह केवल दार्शनिक ही नहीं होंगे बल्कि हम चाहते हैं कि वह शिक्षा शास्त्री भी हों। साथ ही साथ हमने विज्ञान का ज्ञान रखने वाले मेम्बर्स रखे हैं, बुद्धिवादी हैं उनको भी रखा है। इस हालत में उनको पूरे अधिकार दे दिये हैं कि वे अपनी इच्छानुसार राजस्थान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और हमारे उद्देश्यों को देखते हुए इस प्रकार की प्रणाली निश्चित कर सकते हैं जिसके आधार पर हम अपने राजस्थान के अन्दर शिक्षा का प्रसार कर सकें। एक बात जरूर है कि आजकल की शिक्षा के अन्दर जो बातें आपने बताने की कोशिश की वह आदर्शवादी की ओर संकेत था और आपने कहा कि आजकल की शिक्षा आदर्शवाद की ओर नहीं है। हमारी आज की परिस्थिति देखते हुए शिक्षा के अनुकूल जो नवनिर्मित परिस्थितियां देश में हो गई हैं उनका

(श्री मूलचन्द डागा)

हमें मुकाबला करना होगा। यदि हम शिक्षा के कोष को पढ़ना शुरू कर दें और यह कहें कि हम कामयाब हो सकेंगे या पुरानी गाथायें पढ़ना शुरू कर दें, तो हम सोचते हैं कि यह समयानुकूल बातें नहीं हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा वह होनी चाहिए जो हमारी आधुनिक स्थिति में कामयाब हो सके। इस हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल के बनाने का सवाल है वह उन लोगों के हाथ में सुपुर्द कर दिया गया है जो कि इन बातों को समझते हैं। क्योंकि आप यह भी विचार करेंगे कि आजकल के शिक्षण के अन्दर जो शिक्षा का मूल्य है वह किस प्रकार अंकित किया जा सकता है। हमारी तरफ का जो ध्यान है वह यह है कि व्यक्ति का जो विकास है वह प्राथमिक वस्तु है, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। दूसरी ओर यह है कि हम लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहिए जिससे जीवन की जरूरतें पूरी हो सकें। तो दो चीजें हैं; एक तरफ सभ्यता और संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही विकास होना चाहिए। इस हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल के अन्दर जो उद्देश्य दिए हैं, वह यह दिये हैं कि 'एजुकेशन मस्ट बी प्रोग्रेसिव, मॉडरेट एण्ड साइन्टिफिक'। तो इससे हम सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, संस्कृति का भी विकास करना चाहते हैं। जहां तक सभ्यता का सम्बन्ध है हमारा मतलब भौतिकवाद से है। हां, केवल भौतिकवाद के समर्थक यह जरूर करते हैं कि वे आदर्शवाद को भूल जाते हैं। हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य यही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का भी विकास करें। मनुष्य अपनी जो आत्मा है उसका मूल्य आंकने लग जाता है। इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वही इस बिल का उद्देश्य है। इसके अन्दर जो बातें निश्चित की गई हैं उन बातों से मालूम होता है कि यह बिल्कुल प्रोग्रेसिव और साइन्टिफिक बेसिस पर बनाया गया है, हमें इसे मानना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार इसे कार्यान्वित किया जाय। यह तो समय बतायेगा लेकिन इस बिल का जो ध्येय है वह सही तरीका है और हमें इसे पास करना चाहिए।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बिल के बारे में मेरे एक मित्र ने कुछ बातें इस अन्तिम स्तर के दौर में उठाई हैं, उनकी कुछ बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि बहुत सी बातें वे महसूस करते हैं और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बहुत सी बातें जो इस बिल के द्वारा की जाने वाली हैं वे उन्हें भूलते भी हैं।

दिल्ली में हुई शिक्षा शास्त्रियों की किसी बैठक का जो उन्होंने हवाला दिया, उससे मैं यह समझा कि दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा शास्त्रियों की जो कॉन्फ्रेन्स हुई उसमें परीक्षा के एक सवाल को लेकर काफी चिन्ता प्रकट की गई।

अध्यक्ष महोदय, सही तो यह है कि माध्यमिक शिक्षण की प्रणालिका में परीक्षा प्रथा का भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यह एक ही सवाल हो ऐसी बात नहीं है। और भी सवाल हैं जो देश के शिक्षा शास्त्रियों को उलझन में डाले हुए हैं और यदि मैं उन सवालों की ओर इंगित करूं तो पाठ्य-पुस्तकों का भी सवाल है, विद्यार्थियों के चारित्र के सम्यक विकास का भी सवाल है और स्कूलों के प्रगतिशील प्रबन्ध और संचा-

(श्री जनार्दनराय नागर)

लक की सारी परिस्थिति और इसके वातावरण के विकास करने का भी सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, आज माध्यमिक शिक्षण के क्षेत्र में जो प्रश्न और सवाल चल रहे हैं उनका यहां कोई विद्वत्तापूर्ण विवेचन करूं, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि हम उन बातों की एक पैनी समझ अपने आप में विकसित करें। इस बोर्ड के निर्माण में यह नहीं कहा गया है कि परीक्षा प्रथा के बारे में जो ढ़र्रा आज हमारे देश में चला आ रहा है उसको कायम रक्खा जावेगा। सही बात तो यह है कि इस बिल में यह उम्मीद व्यक्त की गई है कि प्रगतिशील दृष्टिकोण से जब सारी शिक्षा की व्यवस्था की जाने वाली है तो इसकी कसौटियां भी प्रगतिशील दृष्टि से ही ली जावेंगी। तो इसमें यह आशा है इस ओर मेरे माननीय मित्र का ध्यान नहीं गया, कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को एक वैज्ञानिक, प्रगतिशील और निरन्तर विकास करने वाली स्थिति में विकसित किया जावेगा। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के जरिये राजस्थान के लोगों को, जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा वादा किया गया है और वह वादा यह है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणालिका के इस बिल को इस-वादे के द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद एक आधुनिक, प्रगतिशील, वैज्ञानिक आधार पर और इसकी दृष्टि से संचालित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा वादा है जो यह सदन राजस्थान की जनता को इस बिल के द्वारा देने जा रहा है।

यह निश्चित बात है कि अभी तक हमारे देश में और खास कर राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा का पुराना ढर्रा चला आ रहा है, यह बहुत पुराना है, इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया है, इतना खोखला हो गया है कि मैं समझता हूं कि अब वह अधिक चल नहीं सकता, उसे शीघ्रातिशीघ्र बदलने की आवश्यकता है। पर अभी तक हमने एक प्रबन्ध और विषय की दृष्टि से ही इस विषय पर अधिक सोचा है। इस बिल में भी प्रबन्ध और विषय की दृष्टि से अधिकांश क्लॉजेज़ बनाए गए हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से कम सोचा है। मुझे खुशी है कि इस बिल में भूमिका के रूप में निश्चित रूप से एक मक्सद प्रगतिशील, महत्वाकांक्षी, माध्यमिक शिक्षा को चलाने की दृष्टि से हासिल किया गया है। हम शिक्षा प्रणाली को केवल विषय की दृष्टि से और व्यवस्था की ही दृष्टि से नहीं सोचते हैं, तो आप निस्सन्देह शिक्षा की किसी भी प्रणाली को, उसके उद्देश्य की दृष्टि से उस पर विचार करना पड़ेगा और वह उद्देश्य इस बिल की भूमिका के रूप में दिया गया है।

अब यह कहना कि बालक के चारित्र निर्माण के बारे में, माता-पिताओं को सुधारने के बारे में और अनेकों ऐसे सम्यक् सिद्धान्तों के विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया है तो मैं समझता हूं कि हम शायद एक बोर्ड की बात के बजाय, कोई विधेयक के रूप में शिक्षा के बारे में एक पुस्तिका की कल्पना करके चलते हैं।

इस बिल की विशेषताओं की ओर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्वीकृति से मेरे मित्रों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने एक बोर्ड बनाया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बिल को सरकार ने इस सदन में जो रक्खा

(श्री जनार्दनराय नागर)

वह यों ही नहीं रक्खा है । एक प्रक्रिया और एक स्थिति ऐसी बना ली गई थी कि जिससे यह यहां आ सके । आज से कोई दो-ढाई वर्ष पहले एक माध्यमिक शिक्षण कमीशन की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई थी । उस कमीशन ने देश में दौरा करके इस वर्तमान शिक्षाप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की दृष्टि से सभी शिक्षा शास्त्रियों से बातचीत की, सुधारवादी और जिन्होंने नये नये परीक्षण शिक्षा के क्षेत्र में किये उन लोगों से भी बात चीत की, फिर उन्होंने अपनी अच्छी सिफारिशें देश की सरकार के सामने रक्खीं और माध्यमिक शिक्षण की प्रचलित हाई स्कूलों को तब्दील करके उनका एक नया प्रगतिशील स्वरूप हमारे सामने रक्खा । जब से देश स्वतन्त्र हुआ, इस शिक्षा प्रणाली के बारे में भारत के सभी विद्वान लोगों द्वारा विचार शुरू होने लगा । केन्द्रीय सरकार ने कमीशन की सिफारिशों को मन्जूर करके देश के विभिन्न राज्यों मे इसके अनुसार इस पर अमल करने के लिये निवेदन किया । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम है कि देश के कई राज्यों ने आज दिन तक इस प्रणाली पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है । आज भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां इस प्रणाली के बारे में केवल सोच-विचार चल रहा है और सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा विरोध इस प्रणाली का हमारे भारत के विश्व-विद्यालयों की ओर से होने लगा और वह विरोध इसलिये होने लगा कि अगर इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया तो डिग्री कोर्स को तीन साल का करना पड़ेगा ।

इसी समय राजस्थान सरकार की ओर से विश्व-विद्यालय शिक्षण के पुनर्गठन के लिये एक समिति कायम की गई । सौभाग्य से मुझे भी उस समिति का एक सदस्य मनोनीत किया गया था । मेरी जहां तक स्मृति है, उस समिति की मीटिंगों में इस पर गम्भीरता से विचार करने की बजाय, इस सारी प्रणालिका के प्रति एक सुखद व्यंग से ही विचार किया गया था और मुझे स्मरण है कि जो एक उच्च शिक्षण संस्था के संचालक हैं उन्होंने कहा था कि यह जो शिक्षा प्रणाली का प्रश्न है यह तो दो युगों में तै होने वाला प्रश्न है । पर उस समय भी मैंने कहा था और आज भी मेरा यही विचार है कि देश के आजाद हो जाने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में सुधारवादी और प्रगतिशील तत्व दो युगों तक राह नहीं देख सकते । देश के शुभ-चिन्तकों का, विचारकों का और प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों का देश की स्वाधीनता के बाद यह निश्चित मत रहा है कि सर्व प्रथम देश की दो ही चीजें त्वरित गति से विकसित की जानी चाहिये । एक तो देश की सुरक्षा करने वाली शक्ति को और दूसरी देश की प्रतिभा को शिक्षा कि द्वारा विकसित करने की शक्ति को । उस समय भी यह सवाल था और आज उस सवाल पर विचार करने का ही प्रतिफल है कि धीरे धीरे देश के कई राज्यों ने और राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के अन्दर जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्होंने, इस बात का एक वातावरण उत्पन्न किया कि विश्व-विद्यालयों को निस्सन्देह तीन साल का डिग्री कोर्स मान कर चलना चाहिये । कुछ ही अर्से पहले राजस्थान के शिक्षा सलाहकार बोर्ड का एक सम्मेलन हुआ, इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से, और मैं कहूं, थोड़े से तनाव से विचार हुआ और अब उस बोर्ड में सिफारिश मन्जूर की गई कि तीन साल का डिग्री कोर्स राजस्थान विश्व

Page No.44

(श्री जनार्दनराय नागर)

विद्यालय के द्वारा कायम किया जावे। तो मैं आपको यह बता रहा था कि आज जो यह बिल हमारे सामने आया है इसमें केवल कुछ क्लॉजेज़ नहीं, एक प्रणालिका नहीं जिससे राजस्थान के अन्दर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने का इरादा हो, बल्कि इसमें हम एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, जिससे धीरे-धीरे इन शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न है, उस प्रयत्न में समीप पहुंचने का केन्द्र बिन्दु है, जो कि हम इस बिल को पारित करके उत्पन्न कर रहे हैं।

दूसरी इस बिल की विशेषता यह है कि हमने साफ लिख दिया है कि इस बोर्ड द्वारा जो भी स्थिति, विधि-विधान प्रस्तुत किया जायगा उसका समूचा मकसद वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रगतिशील होगा। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ये शब्द ऐसे हैं जो विशद, सम्पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या करने वाले शब्द नहीं हैं। मैं उनके विचारों का आदर करता हूं, फिर भी मैं इतना निवेदन करदूं अध्यक्ष महोदय, "आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील" शब्द इसमें प्रयोग किये गये हैं, यह कह कर हम इसे टाल नहीं सकते। यह ऐसे शब्द नहीं, जो आकाश में घने घुमड़े हुए बादलों की तरह हों जिनसे बारिश की आशा न हो, यह बात नहीं। 'वैज्ञानिक' शब्द का मतलब आज सारा भूमंडल समझता है। आज हम हर बात में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आज यह विचार वैज्ञानिक नहीं, यह स्थिति वैज्ञानिक नहीं, यह हल वैज्ञानिक नहीं, यह व्यवस्था वैज्ञानिक नहीं, यह स्थिति वैज्ञानिक दृष्टि से हल की जानी चाहिये, इन सब का मतलब स्पष्ट है; सारी मानव जाति आज विज्ञान के भाव से प्रभावित हुई है। आज हम इस 'वैज्ञानिक' शब्द द्वारा सारी मनःस्थिति को केवल इसी शब्द से इंगित करते हैं।

१२ मध्यान्ह

जहां तक 'प्रगतिशील' शब्द का सवाल है इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आज हरेक विचारक यह आग्रह करके चलता है कि हमें प्रगतिशील होना चाहिये। हमारे समस्त सदस्यगण भी यह दावा करके चलते हैं कि हम हरेक क्षेत्र में प्रगतिशील रहें। इस तरह से यह सबके समझ में आने वाला शब्द है। 'प्रगतिशील शब्द' के सुनते ही स्वतः ही इसके अर्थ को समझा जा सकता है और समझ में आ भी सकता है।

'आधुनिक' शब्द के बारे में यह कहा जाय कि यह समझ में नहीं आता। मैं भी कुछ अंशों में इससे सहमत हूं, यह शब्द ऐसा है कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। 'आधुनिक' शब्द का प्रयोग आजकल ऐसा होने लग गया है जो आधुनिक ज़माने के अनुकूल वास्तविक शब्द है। इसे केवल हम राजस्थान के रहने वाले ही नहीं, हम केवल भारत के रहने वाले ही नहीं, सारी दुनियां के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों में भी इसका अर्थ स्पष्ट होता जा रहा है। 'आधुनिक' शब्द का अर्थ निरन्तर स्पष्ट होता चला जा रहा है। कौन ऐसा पसन्द नहीं करेगा कि वह आधुनिक व्यक्ति नहीं हो। आधुनिक होना कौन नहीं चाहता, आधुनिक होने में, मैं समझता हूं, हरेक व्यक्ति गौरवशाली अनुभव करता है। हम अपने आपको जब तक आधुनिक नहीं मानते हैं तो हमारी चन्द्रलोक में जाने की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे रह जाने वाली है; जैसे वैज्ञानिक

Page No.45

(श्री जनार्दनराय नागर)

शब्द का अर्थ स्पष्ट है उसी प्रकार 'आधुनिक' शब्द का अर्थ भी धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जा रहा है।

अगर हम इस बिल के तमाम क्लॉजेज़ पर विचार न करके भी केवल भूमिका को ही ध्यान में रखकर चलते हैं तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि सरकार जो इस बोर्ड का निर्माण करने जा रही है वह ठीक समय पर और ठीक दिशा की ओर प्रगतिशील कदम है जो राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता को भेंट करना चाहती है।

मुझे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी अन्य प्रान्तों के विधानों को भी देखने का अवसर मिला है, जिसमें किसी में भी इस प्रकार हिम्मत से नहीं कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था और जो संयोजना की जायगी वह 'आधुनिक' वैज्ञानिक और 'प्रगतिशील' होगी। जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने आया तब भी हमने इसे देखा, अगर इस बिल की भूमिका इससे उठा ली जाती है तो मैं समझता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आत्मा को ले लेते हैं हम इसके सिद्धान्तों और उम्मीदों को ले लेते हैं। इसलिये केवल भूमिका को ही हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो व्यवस्था है, हमारा विश्वास है कि भूमिका देखकर ही सरकार की तमाम बातों का, भविष्य के लिये किस प्रकार विकसित होंगी, हम बता सकते हैं।

एक विशेष बात की ओर मैं सदन का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह कि इस बिल में हमने मूल्यांकन समिति का भी विधान किया है। किन्हीं भी बिलों में इवोल्यूशन कमेटी का विधान नहीं है। इस बिल में इस बात का विधान इसलिये किया गया है कि बोर्ड जो भी काम करेगा उसका मूल्यांकन नियमित रूप से होना चाहिये। हम मानते हैं जब हम एक बोर्ड बनाते हैं, उसके हाथ में कुछ विधि-विधान देते हैं और उसके अनुसार वह काम करता है। लेकिन उसे देखने के लिये कि यह जो काम बोर्ड कर रहा है, वह बोर्ड ठीक प्रकार से चल रहा है, या निरन्तर प्रगति कर रहा है, जो हमारी आवश्यकतायें हैं उसके अनुकूल आगे उस चीज के परिणाम आने वाले हैं या नहीं; इन तमाम बातों को देखकर, या जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं उसके परिणाम ठीक तरह से आ रहे हैं या नहीं; इन तमाम बातों को देखकर, उनका मूल्यांकन करने के लिये इस बिल के अन्दर अन्य कमेटियों के साथ साथ एक इवेल्यूएशन कमेटी की भी संयोजना की गई है। हम यह कमेटी इसलिये बनाने जा रहे हैं कि वह यह देखें कि यह बोर्ड निरन्तर प्रगति करता है या नहीं। कमेटी यह भी देखेगी कि जो नये नये प्रयोग, नई नई स्थितियां हम इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं उन कार्यों को यह कमेटी देखेगी, उसका परिणाम यह होगा कि माध्यमिक बोर्ड निरन्तर प्रगति करने की चेष्टा करेगा। उसके अलावा कमेटी यह भी देखेगी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रणाली हम चलाना चाहते हैं वह नये मेथड्स के साथ मेल खाती भी है या नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का जो आशामय स्वरूप प्रारम्भ किया है, मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि हमें इसमें भी परिवर्तन और परिष्करण करना होगा। जैसा कि अभी बहुद्देशीय

(श्री जनार्दनराय नागर)

हायर सेकन्डरी एजुकेशन के बारे में, जिसका कि शिक्षण हम लोगों की कल्पना के अनुकुल चला फिर भी उसके एक-दो साल के बाद ही उसके स्वरूप के बारे में वापिस विचार करने की आवश्यकता पड़ी।

हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली द्वारा हम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं, केवल इससे हम यह चाहते हों कि हमारी शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से भारतीय हो जाय और सदियों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली का उन्मूलन कर दें, केवल सात-आठ साल के स्वल्प समय में, यह बहुत ही मुश्किल चीज है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमें जो बिगड़ी हुई शिक्षा पद्धति मिली, शिक्षा के बारे में जो हमें विरासत मिली उसके अन्तर-तम पर लगे धुएं पर प्रकाश का पट डालने के लिये हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। माध्यमिक शिक्षा का सवाल एक प्रकार से परिष्करण करने का सवाल है, इसके लिये यह कह देना कि पुराने ढर्रे को ज्यों का त्यों कायम करने की कोशिश की गई है, तो मेरी समझ में यह सरकार के साथ न न्याय होगा और न अपने स्वयं के साथ ही न्याय करने की बात होगी।

तीन बातें इसके लिये कही गई हैं, वे यह कि हम इस शिक्षा पद्धति को वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। इस बिल को हम नई दृष्टि से व्यवस्था देना चाहते हैं, ताकि राजस्थान के नवयुवकों को ठीक तरह से जीवन की शिक्षा मिल सके। इन तमाम दृष्टियों से हमने इस बिल की रचना की है। इसके बारे में कुछ शंकायें उत्पन्न करना और यह करके बैठ जाना भ्रम फैलाना होगा, जो नहीं फैलाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो विशेषता है उसको सहानुभूति से देखा जाय। बहुत से लोग परम्परा की बातें लेकर चल रहे हैं और हमने यहां तक भी किया, दो-एक बातों में हमें समझौता करना पड़ा। यह नहीं कि जहां हम दूसरे क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ समझौता कर रहे हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों से समझौता नहीं करना चाहिये, यह ठीक नहीं है। आज अन्य देशों में शिक्षा के क्षेत्र में जो ढांचा बना हुआ है उसे हमें यहां भी बैठाना पड़ेगा। हम आज की परिस्थिति में यह समझ बैठें कि हम अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करें, यह ठीक नहीं। आज हमें आवश्यकता दो बातों की है, एक तो मानव जीवन की सुरक्षा की और दूसरी, मानव जीवन के उत्थान की। जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है हम जिस प्रकार अन्य देशों की सुरक्षा पद्धति को अपनाते जा रहे है उसी प्रकार हमें मानव जीवन के उत्थान का, जिसका शिक्षा से सम्बन्ध है, उसको दूसरे देशों से लेकर उसके स्वरूप को भारतीय स्थिति के अनुकूल ढालकर उपयोग में लाना चाहिये। इन तमाम दृष्टियों से यह बिल बनाया गया है, इसलिये सदन के प्रत्येक सदस्य को इस बात का गौरव अनुभव करना चाहिये कि हमने एक अच्छे प्रयोग को, ठीक समय पर लागू करने का राजस्थान में प्रयास किया है।

इस बिल द्वारा हम राजस्थान में बहु-उद्देशीय स्कूलों का निर्माण करने जा रहे हैं। हम विश्व विद्यालय को बराबर यह परामर्श देते आ रहे हैं कि तीन साल का डिग्री कोर्स लागू किया जाय। जरा सोचिये कि यदि सरकार की इस प्रेरणा और मार्ग दर्शन में विश्व-विद्यालय तीन साल में डिग्री कोर्स तैयार

(श्री जनार्दनराय नागर)

करता है और सारा ढांचा माध्यमिक शिक्षा बिल के द्वारा, इसकी विधि के जरिये राजस्थान में व्यवस्था कर देता है तो निस्सदेह शिक्षा के माने में हम तीन-चौथाई प्रगति कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार करके स्वीकार किया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं मेरे मित्रों से कहना चाहूँगा कि जब हमने तीन-चार दिनों के विचार-विमर्श, वह भी काफी अच्छा विचार विमर्श किया है, अध्यक्ष महोदय, से और जब हम आज इस बिल का तीसरा वाचन कर रहे हैं तो इस प्रकार की हल्की-हल्की शंकायें करके जो मजा है उसको किरकिरा न किया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल अन्तिम वाचन के लिए पेश किया गया है, यह बिल ऐसा बिल है जो हमारे प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने वाला है, हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने वाला है और उस शिक्षा पद्धति को मिटाने वाला है जो कि अंग्रेजों के जमाने में हमको गुलाम बनाने के लिए चालू की गई थी। उस शिक्षा पद्धत्ति को मिटाने के लिए ही यह बिल इस धारा सभा में पेश किया गया है और हम इसके द्वारा हमारी शिक्षा का नव-निर्माण करने जा रहे हैं। यह बिल ऐसा बिल है कि जिसके द्वारा हमारे प्रदेश के बच्चे स्वावलम्बी बनेंगे, हमारे प्रदेश की बेरोजगारी मिटेगी और उत्पादन भी बढ़ सकेगा। हम यह सोचें कि यह बिल तो ऐसा बिल है कि जिसको पास नहीं करना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम पीछे हटेंगे। अभी कुछ मित्रों ने कहा कि इस बिल में बोर्ड के गठन, इस बिल का काम और कन्ट्रोल के बारे में कमियां हैं। उन्हें मैं बताना चाहूंगा ; जैसा कि गठन के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें उन टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन नहीं लिया गया है जो इस शिक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, कि इस बोर्ड में टीचर्स एसोसियेशन का प्रतिनिधि मौजूद है और ऐसा कहना कि प्रतिनिधि नहीं है, गलती होगी, यदि यही कहा जाय तो अच्छा होगा कि इसमें इतने शिक्षा शास्त्री हैं कि शायद उनकी कमी महसूस न हो। जो शिक्षा शास्त्री इस पद्धति को चालू करने में विशेषज्ञ हैं वे इस बोर्ड में ज्यादा तौर पर इन्क्लयुडेड किये गये हैं, इसलिए टीचर्स एसोसियेशन का प्रतिनिधि एक होना ही उपयुक्त है।

अभी यह बताया गया कि हमारे सामने यह नहीं बताया गया कि एक-दो साल में क्या इस शिक्षा के द्वारा कामयाबी हुई, तो उस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और जब वह पढ़ लिख कर होशियार हो जाय तब ही तो पता लग सकता है कि उसने क्या कामयाबी हांसिल की। अभी इस शिक्षा प्रणाली को चालू किया ही है और अभी तो यह बिल पास करने जा रहे है, तो अभी से ही यह धारणा लेकर चल रहे हैं कि हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। एक माननीय मित्र ने कहा कि मैंने स्कूल में पहले पाजामा काटना सीखा, फिर कुर्ता काटना और फिर जेब काटना सीखा। हो सकता है कि जो कुछ वे सीखे और उसके साथ यदि अपनी उन्नति करते हैं यह तो उन पर निर्भर करता है। आप उसको लागू करें और निरन्तर उस शिक्षा को काम में लाते हैं तो हो सकता है कि वे उसमें कामयाबी हांसिल कर सकते हैं।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लड़कों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि वे काम यात्री हासिल करें और स्वावलम्बी बनें। आज हमारे देश में स्वावलम्बी बनने की आवश्यकता है और जब तक यह शिक्षा पद्धति लागू नहीं करते हैं तब तक यह हो नहीं सकता है।

यह कहा गया है कि इस बिल के द्वारा सरकारी कन्ट्रोल इतना रखा गया है कि दैनिक कार्य भी बोर्ड नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल से यह गलत है। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि दैनिक कार्य में सरकार हस्तक्षेप करेगी। कन्ट्रोल के सम्बन्ध में सिर्फ यह बताया गया है कि यदि बोर्ड इस बिल के क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है और सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तब बोर्ड को सरकार भंग कर सकती है, यह इस बिल में प्रावधान रखा गया है।

इसका जो अध्यक्ष होगा वह डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन होगा। इस बारे में कहा है उसके लिये मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें तीन साल के लिए किसी युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को रखने का प्रावधान किया गया है। तीन साल में शिक्षा विशेषज्ञ डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन होंगे जो इस बोर्ड के भी अध्यक्ष होंगे, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। इसलिए यह कहना कि दूसरा प्रावधान कर दिया जाय, अध्यक्ष डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, यह गलत हो जायगा। एक तरफ तो हम प्रशासनिक खर्चे में कमी करना चाहते हैं जिससे कि देश की तरक्की हो, देश के आर्थिक ढांचे में उन्नति हो, इसलिए हम इसको सोचें और समझें कि यदि एक काम के लिए अलग अलग डाइरेक्टर इस तरह से बनाते रहेंगे तो फिर उस हालत में हमारे प्रान्त के प्रशासनिक ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा और प्रदेश के आर्थिक ढांचे पर भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ही ऐसा हो कि जो शिक्षा शास्त्री हो और जिनको माध्यमिक शिक्षा की भी पूरी जानकारी हो और वे ही इस बोर्ड के भी चेयरमेन हों। माननीय मंत्री महोदय ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दे दिया है और इसीलिए यह प्रोविजन भी इसमें रखा गया है कि इसका जो चेयरमेन हो वह डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो।

यह बताया गया कि बोर्ड के गठन में बच्चों के संरक्षकों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को नहीं रखा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि जितने प्रिन्सिपल्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं उनके बच्चे भी तो इन स्कूलों में पढ़ेंगे, तो क्या उनका संरक्षण उन पर नहीं होगा ? यदि उसमें एक दो रिप्रेज़ेन्टेटिव बच्चों के संरक्षकों के इसमें चले जावेंगे तो क्या सब बच्चों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हो जावेंगे ? इस बोर्ड में सब बाल बच्चों वाले व्यक्ति हैं, उनका रिप्रेजेन्टेशन वहां मौजूद है। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो तब हो सकता था जब कि यह बात रहती कि जिलेवार परामर्शदात्री समिति होती लेकिन जब हमने यह तय कर लिया है कि वह नहीं हो सकती हैं, तब इसमें रिप्रेज़ेन्टेशन उनको देना बेकार हो जाता है।

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी शिक्षा पद्धति हो और उस शिक्षा पद्धति को हटा कर जिसने कि हमको स्वावलम्बी नहीं बनाया, केवल क्लर्क्स पैदा किये, यह शिक्षा पद्धति हमारे प्रदेश की उन्नति की द्योतक है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिल में किसी प्रकार की रोक

Page No.49

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

टोक न होकर इसको पास किया जाना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, हायर सेकण्डरी एजुकेशन बिल के एक एक क्लॉज़ पर पूर्णतया विचार करते हुए हमें काफी दिन हो गये हैं । आज इसकी फाइनल स्टेज है और माननीय मंत्री महोदय की ओर से सदन के सामने यह प्रार्थना की गई है कि इस बिल को सदन ने पूर्णतः खण्डशः विचार कर लिया है इसलिए इसको पारित किया जाय । इस बिल के एक एक क्लॉज़ को भली प्रकार जांच लेने के बाद भी मुझे ऐसी शंका हो रही है कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों को इस बिल की उपयोगिता के विषय में अब भी संशय पैदा हो रहा है कि यह बिल हमारे हायर सेकण्डरी एजुकेशन को उन्नत बनाने में सफल होगा या नहीं ? और इस संशय को लेकर सदन में खड़े होकर इसकी उपयोगिता के विषय में संशय धारण करके इसके विरोध में अब भी बोलने का साहस करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल से हमारी क्या मंशा है और यह बिल हम क्यों बनाने जा हैं यह उद्देश्य तो इस बिल के प्रिएम्बल में बता ही दिया गया है ।

इस बिल को बनाने का उद्देश्य यह बतलाया गया है कि देश में हम हायर सेकन्डरी एजुकेशन का निर्माण करें और इसके एम्स ये रखे गये हैं कि एजुकेशन जो भी हो वह हमारे मार्डन टाइप की हो, साइन्टिफिक हो और अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव नेचर की हो, यानी उसमें रिजिडिटी नहीं हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यह ठोस नहीं हो । जो नीति हमने आज निर्धारित कर ली है, वह नीति हमेशा कायम नहीं रहे, बल्कि समयानुकूल निरन्तर बदलती रहनी चाहिये । इस बिल की यही मुख्य बात है जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । इस बिल में हमने अपनी यही नीति रखी है कि आज हम जो नीति अपना रहे हैं उसको यह न समझ लें कि इस बिल में हमारी हायर सेकन्डरी एजुकेशन के बाबत जो नीति है सदा वही नीति बनी रहेगी । बल्कि वह प्रोग्रेसिव नेचर की होगी । यहां इस बिल की विशेषता है जिसको ध्यान में रखते हुए सदन के किसी भी सदस्य को अब इस पर बहस करने की कोई अवश्यकता नहीं है ।

दूसरा इसमें यह उद्देश्य रखा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली साइन्टिफिक हो । यह वर्तमानकाल विज्ञान का युग कहलाता है । आज संसार के देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि हम भी अपने बच्चों की शिक्षा प्रणाली, जो हो, वह वैज्ञानिक ढंग की अच्छी से अच्छी हो । हम उनको इतने अच्छे वैज्ञानिक तैयार कर दें कि वह संसार के अन्य देशों के सामने लोगों से होड़ ले सकें । इसी उद्देश्य को लेकर इस बिल का निर्माण किया गया है ।

तीसरा उद्देश्य यह है कि बिल मोडर्न हो, इसका वर्तमान युग से संबंध हो । ऐसा न हो कि अब से १०० वर्ष पहले या ५०० वर्ष पहले जो हमारी विचारधारा थी उस विचारधारा को साथ लेकर अब भी इस बोर्ड का निर्माण करें, बल्कि अब हमारी विचारधारा मोडर्न हो । वर्तमान विचारधारा के अनुसार आजकल की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये । यही इस बिल की विशेषता है और इसको पूर्ण रूप से कायम रखने के वास्ते इस बिल का

(श्री रामचन्द्र)

गठन किया गया है और इस बिल को सुचारु रूप से चलाने के लिए भविष्य में इसमें जितनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं और इसकी नीति में जो जो बाधाएं आ सकती हैं उन सब पर विचार करके ये सारे प्रोविजन्स इस बिल में रखे गये हैं। गठन भी इसका ऐसा ही है। इस बोर्ड के कार्य को संचालित करने के वास्ते हमने हमेशा यही निश्चय किया है कि इसके कार्यकर्ता अच्छे शिक्षा शास्त्री हों और किसी लेमेन को इसमें रखने का हमने कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। इसका जो कोई भी मेम्बर बनाया जाय, वह किसी न किसी शिक्षा विशेष में विशेषता रखता हो, जैसे कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ हैं, डाइरेक्टर ऑफ वेटरनरी हों और इसी प्रकार से मेडीकल में, शिक्षा के लिये भी प्रत्येक क्षेत्र में बोर्ड का जो मेम्बर हो वह कुछ न कुछ विशेषता लिये हो; इस प्रकार से इसका गठन भी अच्छा किया है।

रहा दूसरा सवाल इसके प्लानिंग का, तो इसका प्लानिंग इतना सुन्दर है कि इसमें हमने डेमोक्रेटिक स्प्रिट के समावेश का पूरी तरह से ध्यान रखा है। प्लानिंग किसी एक ही पुरुष विशेष के द्वारा नहीं किया जाना चाहिये। प्लानिंग के कार्यों को हमने भिन्न भिन्न भागों में बांट कर एक एक कमेटी के सुपुर्द किया है ताकि उस कमेटी के सदस्य अच्छी तरह से विचार करके इस बिल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सदा सतर्क रहें। इसलिए इसका प्लानिंग भी बहुत अच्छा है।

अन्त में, रहा सवाल इस बात का कि इसका कार्य सुचारु रूप से चलता रहे और अगर दरम्यान में किसी प्रकार की बाधा आये तो उसका हम सामना कर सकें, तो हमने इसके सातवें चेप्टर में कन्ट्रोल का प्रोवीज़न रखा है और वह भी सोच-विचार करके बिल्कुल ठीक ही रखा है। क्योंकि यह जनतन्त्र का जमाना है, जनतन्त्र के जमाने में किसी व्यक्ति विशेष का विशेष स्थान नहीं होता है, इसमें जनता मिलकर इस काम को करती है और जनता का माइन्ड समय समय पर बदलता ही रहता है। मुमकिन है कि कोई समय ऐसा भी आये जब कि जनता अपने माइन्ड का संतुलन खो बैठे और बोर्ड की प्रगति में रुकावट डाल दे, उस वक्त की अड़चनों का, अथवा उन मुश्किलों का, उस विरोध का सामना करने के लिए सरकार को जो विशेष अधिकार दिये गये हैं वे बहुत सुन्दर हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो कई दिनों तक इस बिल पर क्लोज़ बाई क्लोज़ विचार करके आज हम अन्तिम स्टेज पर पहुँच गये हैं और हमने इस बिल पर खूब विचार कर लिया है। यह बिल सब प्रकार से सर्वांगीण है। इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। यही विश्वास करके कि यह बिल हमारे बालकों की एजुकेशन के लिये बड़ा हितकारी होगा, इसको सर्वसम्मति से पारित कर देना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पारित करने के विषय में कुछ एतराज किया गया है। पहली बात तो यह कही गई है कि बोर्ड में जितने व्यक्ति लिये गये हैं उनमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी हैं। मैंने पहले निवेदन किया था कि इस बोर्ड में उन्हीं व्यक्तियों को लिया गया है जो कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा योग्यता रखते हैं। जिस दिन से यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश हुआ और उसके बाद हाउस में पेश हुआ आज तक माननीय सदस्य यह चार्ज बराबर लगा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

रहे हैं कि सरकारी अधिकारी ज्यादा हैं, लेकिन मेरे सामने यह सुझाव पेश नहीं हुआ कि इनकी जगह इन व्यक्तियों को रख दिया जाय। मिसाल के तौर से, वेटरनरी के क्षेत्र में वेटरनरी कॉलेज के प्रिन्सीपल से ज्यादा योग्यता रखने वाला व्यक्ति आप मुझे बता दें। मेडीसिन्स के फील्ड में मेडीकल कॉलेज के प्रिन्सीपल से ज्यादा योग्यता रखने वाला व्यक्ति आप मुझे बता दें, तो मैं उसको रख दूँगा। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल ऐजुकेशन से ज्यादा योग्यता रखने वाला व्यक्ति आप बता दें तो मैं उसको रख देता। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को और सबसे ज्यादा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को हमने रखा है। वे सरकारी अधिकारी हैं, यह ठीक है। लेकिन इन व्यक्तियों से ज्यादा योग्य व्यक्तियों का सुझाव आपने नहीं दिया है और न मेरे सामने दूसरे कोई अन्य व्यक्ति हैं इसलिए इनको रखना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि चूंकि ये सरकारी अधिकारी हैं इसलिए रख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपने क्षेत्र के योग्यतम व्यक्ति हैं इसलिए रखा है।

यह भी कहा गया है कि शिक्षा शास्त्रियों को रखें तो जो व्यक्ति अपने विषय को पढ़ा रहे हैं वे अपने विषय के शिक्षा शास्त्री हैं। उनसे ज्यादा शिक्षा शास्त्री कौन हैं, यह नहीं बताया गया है, वह बता दें इसका दायरा रखा गया है वह लम्बा-चौड़ा रखा गया है। जितने विषय पढ़ाये जाते हैं, और जितने व्यक्ति काम करते हैं शिक्षा क्षेत्र में उन सब का दृष्टिकोण इसमें रख दिया गया है। अगर वे ठीक आते हैं तो मैं जरूर उनको मान सकता हूँ।

यह बात भी कही गई है कि इसमें शिक्षकों को नहीं रखा गया है। इसमें २५ मेम्बरों में से २२ या २३ शिक्षक होंगे। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सीपल हैं वे मेडिसिन को पढ़ाते हैं, वेटरनरी के प्रिन्सीपल जो हैं वे वेटरनरी कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या वे कोई टीचर्स नहीं हैं? उनका मुख्य ध्येय पढ़ाना है। उनका ओहदा प्रिन्सीपल का हुआ तो क्या हुआ, वे योग्यता के बल पर प्रिन्सीपल बने हैं; वे अपने अनुभव के कारण, योग्यता के कारण और क्वालिफिकेशन्स के कारण प्रिन्सीपल बने हैं। यह चीज़ नहीं है कि वे पढ़ा नहीं रहे हैं। यह जो कहा गया है कि उसमें टीचर्स नहीं रखे गये हैं, यह मेरी समझ में कम से कम नहीं आया।

फिर यह कहा गया है कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चेयरमेन रख दिया गया है, सरकार ने पहले तो यह तय किया था कि उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। मैं निवेदन करता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के विषय में बहुत ज्यादा शंका रखी गई थीं। मैंने यहां तक कह दिया है कि ३ साल के बाद हम किसी शिक्षा शास्त्री को ही रखेंगे और वह इस बिल में रख दिया गया है। थोड़ा सा अवसर दिया गया है कि इन तीन सालों में हम डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, राजस्थान सरकार, को ही इस पद पर रखें फिर कोशिश करके किसी शिक्षा शास्त्री को ही रखेंगे, उसके बाद में कोई शंका का कारण मेरी समझ में नहीं आता है।

उसके बाद में यह कहा गया कि माता-पिता और संरक्षक को उसमें नहीं रखा गया

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है। मैं निवेदन कर दूं कि २-४ बच्चों ही के माता व पिता बोर्ड में रखे जा सकते हैं। सब बच्चों का एक ही संरक्षक रखें तब परमात्मा ही बोर्ड में आकर बैठ जाय। वह ही सबका संरक्षक व माता-पिता हो सकता है, दूसरा नहीं। वैसे हमने कहीं यह नहीं रखा है कि जितने व्यक्ति इस बोर्ड में भेजेंगे उनके पढ़ने वाले लड़के नहीं होने चाहिए। वे सब बाल-बच्चेदार आदमी होंगे। वे सब बातों को देखकर काम करेंगे। दूसरे व्यक्ति भी योग्यता रखते हैं। माता-पिताओं का कोई मुख्य एसोसियेशन हो जिसकी तरफ से कोई प्रतिनिधि रखना जरूरी हो। माता-पिताओं का कोई बहुत बड़ा एसोसियेशन चल रहा हो, कोई संगठन चल रहा हो, वह मेरे ध्यान में नहीं है। आप सुझाव दें तो मैं रख सकता हूँ। अब भी कोई ऐसे आदमी, ऑथोरिटेटिव आदमी संरक्षकों की तरफ से चलने वाले मान्यता प्राप्त संगठन से आते हैं तो ले आइये, हम अब भी रखने को तैयार हैं।

इसके बाद में यह कहा गया कि क्लॉज़ २६ और २७ है वह बोर्ड के अनेक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप डालने वाली चीज है और जब कभी भी राज्य सरकार चाहेगी शिक्षा की नीति में अड़चन डाल सकती है और बाधक हो सकती है। लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि न तो राज्य सरकार की ऐसी इच्छा है और न कोई व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि शिक्षा अच्छी से अच्छी नहीं मिले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। यों तो दूसरी बातों में मतभेद हो सकता है लेकिन शिक्षा अच्छी से अच्छी मिले इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो शिक्षा के मामले में हम हस्तक्षेप करेंगे और बाधक होंगे,' यह नहीं हो सकता। अपने ऊपर ऐसा भार कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहेगा। जो अच्छी शिक्षा आप देना चाहते हैं उसको नहीं दिलवाने की जिम्मेदारी हम लेंगे, यह आशंका निर्मूल है।

फिर यह भी कहा गया कि दिल्ली की कॉन्फ्रेन्स में आशंका प्रकट की गई है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून में हमने कोई ऐसा तरीका परीक्षा के लिये नहीं दिया है कि अमुक अमुक तरीके से परीक्षा लें। इस बारे में हमने छुट्टी दी है और यह कहा है कि आधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से और परिवर्तनशील ढंग से शिक्षा दें और यह हाउस की तरफ से भी आशीर्वाद दिया गया है। दिल्ली में कुछ भी किया गया हो लेकिन हमने अपनी तरफ से छुट्टी दे दी है। ये आशंकाएं निर्मूल हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१.३३ म० प०

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) सेकन्ड अमेन्डमेन्ट बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

Page No.53

श्री श्रीभानसिंह : मेरा प्रिलिमनरी ऑब्जेक्शन है कि जो बिल का स्टेटमेन्ट ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स है इसके स्कोप को डिफाइन करते हैं, वे ये हैं :

"It is considered desirable to extend the control also over such lands as in the States of Bombay and Punjab."

पूरा इस प्रकार है : "The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950, controls eviction from, letting of, and rents for, certaln premises but such premises do not include open land which let along with or independently of a building for non-agricultural purposes. It is considered desirable to extend the control also over such lands as in the States of Bombay and Punjab. Hence the Bill. It seeks to alter the definition of premises so as to include within the purview of the term all open lands not being used for agricultural purposes."

Rule 122 reads, "(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates."

अब जो अमेन्डमेन्ट ३ है, ऑफ़ दि फर्स्ट अमेन्डमेन्ट (२) है, उसमें प्रेमिसेज़ की जितनी डेफिनिशन्स हैं उन्हें इन्क्ल्यूड कर दिया और स्कोप ऑफ़ दि बिल सेक्शन २ तक कन्फ़ाइन रखते हैं और सेक्शन ३ में एडीशनल अमेन्डमेन्ट किया है।

This Statement of Objects and Reasons decide the scope of the Bill.

"Amendment of section 13, Rajasthan Act XVII of 1950.—

In sub-section (1) of section 13 of the principal Act for clause (j), the following shall be substituted, namely :—

"(j) that the premises have not been used without reasonable cause for the purpose for which they were let for a continuous period of six months immediately preceding the date of the suit."

ये जो अमेंडमेंट लागू कर रहे हैं उसके अन्दर this is not within the scope of this Amending Bill.

तो फिर यह जो यहां है this is not within the scope; दूसरे अमेन्डमेन्ट के के साथ रहता है।

श्री अध्यक्ष : आपने रूल १२२ कोट किया है। That refers to amendments to the clauses of a Bill and not to the Amending Bills. There are two things-viz. Amending Bill and an amendment to the clauses of a Bill. Rule 122 refers to an amendment to the clauses of a Bill.

श्री श्रीभानसिंह : This applies to the Amending Bill.

श्री अध्यक्ष : These are two different things.

श्री श्रीभानसिंह : Amendment to an Act.

Page No.54

श्री अध्यक्ष : This does not apply to the Amendment of an Act. This Rule applies to the amendments to the clauses of a Bill.

श्री श्रीभानसिंह : Therefore the Scope of the Bill is defined in the Statement of Objects and Reasons.

श्री अध्यक्ष : It need not be exhaustive.

श्री श्रीभानसिंह : It must confine itself to the scope- जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने जो रूल कोट किया है, it does not cover the case that you want to make out. So we proceed with the motion

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑन ए पांइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह बात मानी जावे कि इस रूल में इस तरह की व्यवस्था यद्यपि दी गई है लेकिन साथ साथ यह भी सम्भव नहीं है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स, जिसकी बिना को लेकर आप किसी कानून को अमेन्ड कर रहे हैं उसके भाव के विपरीत नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. If you like you can oppose the motion.

श्री भैरोंसिंह : आपत्ति करने का सवाल नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि कोई रूल नहीं है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करनी है वह स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में लिखा है, उसके विपरीत कानून की आड़ में नहीं कर सकते। लेकिन यहां स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स अलग है और क्लॉजेज़ अलग हैं....

श्री अध्यक्ष : विपरीत कहां हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : स्कोप के बाहर हैं।

श्री भैरोंसिंह : Yes, sir.

We cannot discuss all these things now,

श्री अध्यक्ष : ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सेन्स को जरूर कवर करता है।

श्री अध्यक्ष : But you have the substantive Bill itself. You can oppose it. Statement of Objects & Reasons are not part of a Bill.

श्री भैरोंसिंह : पार्ट नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट करने की मंशा जरूर है। अमेंडमेंट करने की आवश्यकता क्यों हुई उसका बेसिस ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष : But the basic thing on which the Statement of Objects and Reasons are based is the Bill itself as presented before the House.

श्री श्रीभानसिंह : How is the scope of the Bill defined ?

श्री अध्यक्ष : We will proceed with the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा : As there are no amendments I move that the Bill be passed.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : May I say something, Sir ?

As regards the objection which has been raised...

श्री अध्यक्ष : I think there is on objection befare the House. We proceed on with the next motion that the Bill be passed.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : The Bill cannot be passed becanse of the objections raised. The point is, that the Statement of Objects & Reasons laid down in the Bill only says that the definition of the word 'premises' is to be changed but clause 3 of the present Bill does not say anything about 'premises'; it seeks to eject a tenant from the premises on certain grounds and that is the clause beyond the scope of the Statement of Objects and Reasons. So when the Objects & Reasons Statement is defined to bring about an Amendment to a particular Act, the amendment cannot be beyond the scope of the Amending Bill. As is the present case in which clause 3 seeks to amend Section 13 of the principal Act which does not deal with the definition of the word 'premises' and hence this will have to be ruled out as falling beyond the scope of the Bill. Government have brought an amendment to section 13. Any other Member might table an amendment to amend Section 14 of the principal Act. Then what would be the position ? Whatever may be the decision in the case of the present Bill which may be passed as being of a non-controversial nature but there is the principle regarding the scope of the Bill and we cannot go beyond the principles of the Bill which have been defined in the Statement of Objects and Reasons. So for obvious reasons clause 3 of this Bill does not fall within the scope of this Bill-

I think I am quite clear to the Hon'ble members of this House. The Rule which has been quoted is not the relevant rule here, but this is an enunciation of the principle that any amendment which goes beyond the scope of the Bill, beyond the scope of the Statement of Objects & Reasons, that cannot be considered. This cannot be taken as lightly as has been taken by the Hon'ble Minister. While defining the term 'premises' which has been used so as to include gardens, non-agricultural lands, etc. there is the clause 3 which seeks to amend section 13 of the Act by providing additional conditions for the ejectment cf a tenant. This is clearly beyond the scope of the Bill but if the Chair so wants it could be passed as being of a non-controversial nature. It does involve a principle that the clauses which go beyond the principles of the Bill, cannot be treated so lightly.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय,........

Page No.56

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका जवाब दिया जा रहा है या एक्सप्लेन कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शायद समझ में आ जाय आपके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोवर्सी खड़ी की गई क्योंकि बिल का स्कोप बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में नही लिखा गया है कि इस बिल के क्लॉज़ तीन द्वारा धारा १३ में क्यों अमेंडमेंट करना चाहते हैं। धारा १३ के बारे में स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में नहीं लिखा जाना बिल के स्कोप में नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल को हम ऊपर से नीचे तक देखें तो ज्ञात होगा कि इसमें साफ लिखा है :

"A Bill further to amend the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950."

क्लॉज ३ में एक महत्वपूर्ण चेंज है, उसको स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में एक्सप्लेन कर दिया, उसके साथ में एक छोटा सा अमेंडमेंट, प्रेक्टीकली काम करने से जो डिफीकल्टी खड़ी हुई, उसके बारे में रख दिया। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि जैसा खुद एक माननीय सदस्य ने कहा था, जिसका जिक्र स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में नहीं होने से आउट साइड दी स्कोप ऑफ दी बिल हो जायगा। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जो अमेंडमेंट जोड़ दियो गया और जिसका जिक्र स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में नहीं है, इसलिए यह आउट साइड दी स्कोप ऑफ दी बिल हो जायगा। यह बिल मूल एक्ट की धारा तीसरी में अमेन्डमेन्ट करने के लिए है, इसके साथ ही सेक्शन १३ में भी अमेन्डमेन्ट करना जरूरी समझा गया, इसका जिक्र स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में न होने से यह आउट साइड दी स्कोप ऑफ दी बिल नहीं हो जाता। इसके साथ जिस रूल को जोड़ दिया गया है, उसके बारे में चेयर से रूलिंग हो चुकी है कि यह रूल से सम्बन्ध नहीं रखता है और यह विदिन दी स्कोप आफ दी बिल है। इसलिए मेरे ख्याल से जो कन्ट्रोवर्सी खड़ी की गई है वह ठीक नहीं है....

श्री भानसिंह : कन्ट्रोवर्सी नहीं, पॉइन्ट रेज़ किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पॉइन्ट महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह विदिन दी स्कोप ऑफ दि बिल पड़ता है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : That is not the thing. Whether it is important or immaterial, that is a different matter. But dose the Statement of objects & Reasons cover the whole body of this Amend ment Bill, that is the main thing.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, यह कभी नहीं हो सकता कि बिल के अन्दर जो प्रोवीज़न लिखे हों, वे सब प्रोविज़न स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कवर हो जायं, यह प्रोसीबल नहीं है।

श्री भानसिंह : यह अमेंडिंग बिल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अमेंडिंग बिल है, अगर इस बिल को देखेंगे कि जो अमेंडमेंट किया गया है उसको समझा दिया गया है।

श्री तनसिंह : क्या माननीय मन्त्री जी का यह अभिप्राय है कि यह अमेंडिंग

(श्री तनसिंह)

बिल है और इस पर कोई अमेंडमेंट दे सकते हैं; किसी क्लाज़ पर किसी नेचर का अमेंडमेंट दे सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन क्लॉज़ेज़ पर अमेंडमेंट दिया गया है, उन पर अमेंडमेंट दे सकते हैं ?

श्री तनसिंह : अमेंडमेंट बिल जिन क्लॉज़ेज़ को कवर नहीं कर सकता है, उन पर अमेंडमेंट दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अमेंडिंग बिल को सीमित क्या चीज करती है ?

श्री तनसिंह : जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में वर्णन दिये गये हैं, वे सीमित करते हैं। माननीय मन्त्री जी संशोधन लाना चाहते हैं तो he should introduce third Amendment Bill. अगर नहीं करते है तो अभिप्राय यह हुआ कि माननीय मन्त्री जी चाहें तो वे दूसरे क्लाज़ेज़ पर संशोधन दे सकते हैं; जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के विरुद्ध हों और अगर हम देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, रूल १२२ भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कोट किया है. उसमें यह है :

"(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates."

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौनसा रूल ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) रूल १२२. इस रूल के तहत है कि जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहें, वह स्कोप ऑफ दि बिल के अन्दर हों और अध्यक्ष महोदय ने निर्णय भी दिया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहें, वह स्कोप ऑफ दी बिल के अन्दर हों। प्रश्न यह है कि स्कोप डिफाइन कैसे होगा ? स्कोप ऑफ दी बिल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से डिफाइन होता है कि जो बिल में प्रोवीज़न किये गये हैं वे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में डिफाइन किये गये हैं। अगर उसके बाहर हों तो अमेंडमेंट नहीं आ सकते। जहां तक इस एक्ट का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि क्लिअरली ले डाउन किया गया है कि :

"The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950, controls eviction from, letting of, and rents for, certain premises but such premises do not include open land which is let along with or independently of a building for non-agricultural purposes. It is considered desirable to extend the control also over such lands as in the States of Bombay and Punjab. Hence the Bill. It seeks to alter the definition of premises so as to include within the purview of the term all open

Page No.58

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

lands not being used for agricultural purposes."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में समझाया गया है, मैं समझता हूं जो अमेंडमेंड सेक्शन तीन में प्रस्तुत किया गया है, वह स्कोप ऑफ दी बिल में है। जहां तक अमेंडमेंट इन सेक्शन १३ का ताल्लुक है, वह स्कोप के बाहर है और इस सेक्शन के स्कोप के बाहर होने से कोई माननीय सदस्य इस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और माननीय सदस्य चाहें तो सेक्शन १३ पर अमेंडमेंट प्रस्तुत कर दें। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट प्रस्तुत नहीं कर सकते जो स्कोप ऑफ दी बिल के बाहर है, इसलिये इस बिल में सेक्शन १३ पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन १३, राजस्थान एक्ट १७ ऑफ १९५० रखा गया है, वह स्कोप ऑफ बिल के बाहर है, क्योंकि इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में नहीं आया कि इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इसलिए सेक्शन १३ पर कोई अमेंडमेंट, मैं समझता हूं, हम पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। इसमें किसी माइनर या मेजर अमेंडमेंट का प्रश्न नहीं है। यह कहना कि क्यों कि यह महत्वपूर्ण मसला नहीं है, इसलिए जब कोई लेजिस्लेशन बनाने चलें, तो स्कोप ऑफ दी बिल कुछ रख दें, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कुछ रख दें, रीज़न्स कुछ लिख दें और अमेंडमेंट क्लॉज़ में कुछ कर दें, यह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। माननीय मंत्री कहें कि यह माइनर अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट नहीं है, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है या नहीं है, यह सदन बिना महत्वपूर्ण चीजों को करने के लिए नहीं बैठा है। जब भी कोई लेजिस्लेशन आता है तो उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। यह दलील तथ्यहीन है, इसमें कोई सार नहीं है कि यह अमेंडमेंट माइनर है या मेजर है। अमेंडमेंट अमेंडमेंट है, वह स्कोप ऑफ दि बिल के अनुसार ही हो सकता है, बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के अनुसार हो सकता है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट नम्बर ३, सेक्शन १३ में रखा गया है, वह बिल के स्कोप के बाहर है और इसलिए सारे का सारा बिल पारित नहीं किया जा सकता है, यह मेरा कॉन्टेकशन है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब्मिट कर दूं कि सेक्शन १३, प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेंट एन्ड इविक्शन) एक्ट है ; यह एक लीगल पॉइन्ट है इसलिए इसे एडवोकेट जनरल की राय के लिए रखा जाय। यह कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन लीगल पॉइन्ट है, इसलिए इसे एडवोकेट-जनरल की राय के लिए रख दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय ने मुझे बिलकुल गलत समझा है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो संशोधन, पेश कर सकते हैं क्लॉज़ के अन्तर्गत पेश कर सकते हैं। ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते थे क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिये गये फैक्ट्स के अनुसार वह स्कोप ऑफ दी बिल में नहीं आता था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : आप जिस अमेंडमेंट की बात करते हैं वह कोई माननीय सदस्य पेश करें इस बिल में तो वह अमेंडमेंट इस बिल के स्कोप के बाहर नहीं जाना चाहिये। इस एक्ट के विदिन स्कोप हो तो Mr. Speaker, the correct position in this respect would be that the Amending Bill should not transgress the limits of the Act which intends to amend. The Hon'ble member coming from Jaipur has quoted a wrong Rule (122), which relates to those Bills which are pending in this House and regarding which some amendments are proposed. Those amendments should not go beyond the scope of the Bill when that Bill in its entirety is pending before the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of personal explanation, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्लॉज़ १३ के अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट को रूल १२२ डिबार करता है, इसलिये सेक्शन १३ का अमेंडमेंट रखा था वह ठीक नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We have put it according to the best of our wisdom and capacity.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is not there.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That objection could have been valid if an amendment to a clause of the pending Bill was presented in the House which was beyond the scope of that Bill.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनु) : There is no objection but we want to be clearly told by the Government that clause 3 is within the scope of the Bill. If so, then every one of us is entitled to move amendments to any Section of the main Act. That will mean that. The Government have specifically said that it intends to change the definition of the word 'premises' of the principal Act. But at the same time the Government by clause 3, which seeks to amend section 13 of the main Act are virtually going against the Statement of Objects & Reasons. So if the Government can bring an amendment which is beyond the scope of the Bill, then every member of the House will bring amendments to all the clauses of the Bill so as to alter the Sections of the principal Act irrespective of the scope of the Bill. As has been laid down in our Rules of Procedure an amendment could be moved with regard to the subject matter of the clause and within the scope of the Amending Bill only. The present objection is an enunciation of the same principle. If it is applicable to all the members of the House, I submit that it is applicable also to the Treasury Benches. They are also bound by the principle that a particular amendment cannot go beyond the scope of the Bill. When the Government have very clearly laid down in this Bill in the Statement of Objects & Reasons that it intends to define the

(नरोत्तमलाल जोशी)

word 'premises', it cannot now go beyond the scope-by asking for amendments of other sections other then 'premises'.

If the Government declares that changing the conditions for evictions comes within the purview of 'premises' (definition), well it is a constitutional point which has to be decided by the Chair.

श्री अध्यक्ष : I thought I had made the position quite clear when I had intervened last time. However, I reiterate, that Rule 122 of our Rules does not apply in this case.

As regards the contention that the Members cannot bring amendments according to Rule 122 because that will be against the scope of the Bill and the scope of the Bill according to them is contained in the Statement of Objects & Reasons of the Bill, I have to observe that the Statement of Objects & Reasons is not a part of the Bill. When it in not, how can anything which is not a part of the Bill, restrict its scope. I don't think the term "scope of the Bill" is limited to the Statement of Objects & Reasons of a Bill. The scope of a Bill is gauged from the various clauses of it.

We will now proceed with the motion before the House.

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१.५७ म० प०

राजस्थान एक्साइज़ (संशोधी एवं विस्तारी) विधेयक, १९५७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेंडिंग एन्ड एक्स्टेन्डिंग) बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री श्रीमानसिंह : सिलेक्ट कमेटी के लिये है न मेरा....

श्री अध्यक्ष : Oh ! yes.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह मोशन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के लिये सर्कुलेट किया जाय । वह इसलिये दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लास्ट लाइन जो लिखी हुई है वह यह है ;

"......because the power of a quasi-judicial nature in the State Government is not appropriate with the times and runs contrary to the adopted policy of the Government."

माननीय अध्यक्ष, मैं उन व्यक्तियों में से हूं, चाहे मोडर्न टाइम्स में रहता हूँ फिर भी

(श्री श्रीमानसिंह)

इस विचारधारा का हूं कि जो पॉवर्स क्वासी-जुडिशियल नेचर के हैं गवर्नमेंट में वेस्ट करने चाहिये। क्लॉज़ ३ पर मैं अमेंडमेंट देता कि क्वासी-जूडिशियल नेचर के पॉवर्स गवर्नमेंट में वेस्ट करने चाहिये थे, वह शायद रूल्ड आउट हो जाता, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, क्योंकि यह क्वासी-जूडिशियल नेचर का है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर एक अमेंडमेंट से यह डिसिज़न ले लेना कि क्वासी-जुडिशियल नेचर के पॉवर्स न रखें तो यह एक हेस्टी डिसिज़न होगा और जब हम एक ऐसा हेस्टी डिसिज़न ले लेते हैं तो मैं समझता हूं इस डिसिज़न के रिपर्कुशन्स होंगे बड़े डेलीकेट होंगे और फिर रिपर्कुशन आया तो गवर्नमेंट को फिर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि जो पॉवर आफ रिविज़न गवर्नमेंट के थे वे लेने पड़े। यह सोच के रखें, जो क्वासी-जुडिशियल नेचर के पॉवर गवर्नमेंट में वेस्ट करने के हैं, इसके बारे में दलील देंगे कि यह रूल ऑफ लॉ है, उसके विरुद्ध जाता है या कहें कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट रखना चाहिये या जैसे कि बहुत से स्ट्रक्चर्स एग्ज़ीक्युटिव्ज़ पर पास होते हैं और बहुत से जज कहते हैं कि यह न्यू डेस्पोटिज़्म आ रहा है।

२ म० प०

मगर सबसे पहले हमको यह देखना है कि जब गवर्नमेंट के अन्दर क्वैसी-जुडिशियल पॉवर्स वेस्ट होती हैं तो किस नेचर की हैं, किस तरह के इश्यूज़ उसके अन्दर इनवोल्व होते हैं। अगर इश्यूज़ के अन्दर वह नहीं है जहां कि पब्लिक लिबर्टी को स्ट्रॉगली 'हिट किया जाय या पब्लिक लिबर्टीज़ के ऊपर अपना डिसीज़न दें। अगर उस नेचर के डिसीज़न्स अपने ऊपर एप्रोप्रियेट नहीं करते हैं तो जो इश्यूज़ टेकनीकल नेचर के हैं, जिनके लिए टैकनीकल नॉलेज की जरूरत है, तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से जुडिशियरी की पॉवर्स को सैल्फ एप्रोप्रियेट करते हैं। या सेपरेशन ऑफ पॉवर्स को फॉलो नहीं करते या फिर इस तरह का नया डिस्पोटिज़्म आ रहा है। यह जो क्लॉज़ क्वैज़ी जुडिशियल पॉवर्स को एप्रोप्रियेट करने के अक्वाजीशन्स्ट है यह बहुत पुराना है और वह बेस्ट है प्रोफेसर डायसी के रूल ऑफ लॉ पर। हम रूल ऑफ लॉ को बीसवीं शताब्दी में इन्टरप्रेट करें तो देखना पड़ता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, जिसकी शरण लेकर गवर्नमेंट से पॉवर्स छीनते हैं और वह रूल ऑफ लॉ जुडिशियरी की इन्डीपेन्डेन्स या इम्पारशियेलिटी जिसको कहते हैं या यह बिलीव करते हैं कि जुडिशियरी नेचर का क्या केस है वह जब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक कि इन्डीपेन्डेन्ट कोर्ट्स डिसाइड न करें। लेकिन हमें यह देखना है कि जुडिशियरी पर जब रूल ऑफ लॉ एप्लाई करते हैं या इम्पारशियल वर्ड यूज़ करते हैं वह क्या है? जुडिशियरी की इम्पारशियेलिटी कहां तक इम्पारशियल है, वह आपके लेजिस्लेटिव इन्टेन्शन को देखते हैं। मगर कहीं भी हाई कोर्ट्स से लेकर नीचे के कोर्ट्स तक चले जाइये आपको लेजिस्लेटिव की डिबेट्स नहीं मिलेंगी। वह आपकी लेजिलेचर की डिबेट्स को नहीं देखेंगे, वह तो स्टेचुएट्स को देखेंगे और उनके अन्दर जो वर्ड्स यूज़ किये गये हैं उनको देखेंगे, उनका ग्रेमेटिकल कन्सट्रक्शन है उनको देखेंगे या जो पर्टीक्युलर वर्ड है वह जनरल साइन्स के अन्दर फैले

(श्री श्रीभानसिंह)

फिट होती है उनको देखेंगे। यह जुडिशियरी जब अपना जजमेन्ट देगी अपनी टेक्नीकल टर्म्स पर तो वह को-रिलेटेड करेंगे अपनी पास्ट हिस्टरी से। इन तीनों में से कोई भी जज जब अपना जजमेन्ट देगा तो या तो वह तीनों ही चीजों को काम में लाता है या फिर तीनों से किसी भी एक को लेता है। लेकिन यह देखना है कि क्या यह तीनों चीजें एक पर्पज को सर्व करती हैं और इन तीनों के ऊपर जहां जो कानून हम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं उनको इन तीनों की तरफ से हमारी पॉलिसी को सर्कमस्क्राइब कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। तो क्या बीसवीं शताब्दी में इस तरह का डिसीजन देना क्या इम्पार्शियल कहलाया जायेगा? क्या यह डिसीजन जुडिशियरी का विद-इन टाइम है? यह देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हमको इश्यूज डिवाइड करने पड़ेंगे। अब एक्साइज केसेज किस तरह के आयेंगे? उनके अन्दर कौन-कौन से कार्य होंगे? लाइसेन्स के, इम्पोर्ट के या जो ग्रोथ है या मैनुफैक्चर्ड है या इन्टाक्सीकेशन का कल्टीवेशन है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर और क्या कार्य होंगे? इसमें अधिक से अधिक तीन महीने की पेनॉल्टी होगी और जब इतनी कम पॉवर्स हैं तो हम यह कहें कि क्वेसीजुडिशियरी नेचर की है, इसलिए इन पॉवर्स को रेवेन्यु बोर्ड को दे दिया गया है। तो समझ में नहीं आता कि इसके अन्दर जुडिशियरी वाले कैसे समझ सकेंगे जब कि यह टैक्नीकल मैटर है। यह समझ में नहीं आता कि यह एक टैक्नीकल मामला है और इस टैक्नीकल मामले में क्या रेवेन्यु बोर्ड ज्यादा काम्पीटेन्ट है। स्किल्ड पर्सन्स जैसे, एक्साइज कमिश्नर हैं, क्या यह टैक्नीकल आदमी नहीं हैं? इस तरह के मामले डिसाइड करने के लिए आपको टैक्नीकल नॉलेज चाहिए और वह नॉलेज हो सकती है आपकी गवर्नमेंट के अन्दर और जो एक्साइज एक्सपर्ट्स हैं उनके अन्दर यह नॉलेज हो सकती है। जो एक्साइज के मामले हैं उन पर एक्साइज एक्सपर्ट्स ही ज्यादा अच्छे डिसीजन्स दे सकते हैं। कोई इन्टॉक्सीकेशन की चीज है और वह हैल्थ के लिए ली जाती है तो उसके ऊपर मैडीकल बोर्ड अच्छा डिसीजन दे सकती है। या फिर आप ही बतायें कि वह जुडिशियरी के जज साहब बैटर जजमेंट दे सकते हैं जो कि आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० के सेक्शन्स पढ़े हुए हैं? तो जो ऐसी चीजें हैं और जो स्पेशल स्किल को एक्वायर करते हैं इनको टेक्नीकल आदमियों को ही दी जानी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि किन सिद्धान्तों के ऊपर आप यह पॉवर्स जुडिशियरी के ऊपर वैस्ट करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि आज रेवेन्यु बोर्ड के पास काम है, ज्युडिशियरी के पास काम है और अगर गवर्नमेन्ट इन पॉवर्स को अपने हाथ में ले ले तो वह कोई जुडिशिरी के ऊपर हस्तक्षेप कर रही हो या सैपरेशन ऑफ पावर्स के अन्दर जो प्रिन्सिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हो, ऐसी बात नहीं है। मगर एक वर्ड आता है 'रीजनेबलनैस'। तो 'रीजनेबलनैस' की पॉलिसी को बैटर कौन डिसाइड करता है, क्या 'रीजनेबलनैस' मिनिस्टरों में नहीं है? क्या वह डिसीजन नहीं कर सकते? जब कि एक मैटर टैक्नीकल है और टैक्नीकल मैटर की जो रीजनेबलनैस है वह टैक्नीकल ही समझ सकता है, नॉन-टैक्नीकल नहीं समझ सकता चाहे वह कोई भी हो। तो इसलिए मैंने इसमें यह रखा है कि इसे आपको सिलेक्ट

(श्री श्रीभानसिंह)

कमेटी को भेजना चाहिए । हमारा यही मतलब है कि हम जुडिशियरी को इन्डीपेन्डेंट रखते हैं, हम हर तरह से जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से इन्डिपेन्डेन्ट रखना चाहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता हर एक बिल के अन्दर एक इन्डैमनिटी क्लॉज होता है और वह क्लॉज इतना डेट्रिमेन्टेड क्लाज होता है जिसकी वजह से एक ऑफिसर रॉगली एक आदमी की पब्लिक लिबर्टी को हर्ट करे और उस आदमी का जो पब्लिक लिबर्टी का राइट है उसको रॉगली कन्फाइन करे तो गवर्नमेन्ट उस क्लॉज के अन्दर उसको माफ कर देती है। उस क्लॉज के अन्दर गवर्नमेंट यह कहती है कि हम जुडिशियरी को कन्सल्ट करेंगे। या फिर एक आदमी को यह राइट देते हैं कि जहां उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है वहां वह जुडिशियरी को अपील कर सके, तो मैं यह नहीं मानता कि गवर्नमेन्ट की यह पॉलिसी नहीं है कि हम क्वैसी-जुडिशियरी की पॉवर्स नहीं लें। मगर एक तरफ तो क्वैसी-जुडिशियरी की पॉवर्स ली जा रही हैं और दूसरी तरफ दी जा रही हैं। मैं आपको एक्ट पढ़कर बताऊं कि जिनके अन्दर आपने क्वैसे-जुडिशियरी पॉवर्स ले ली हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९५३ सेक्शन ७५ के अन्दर, मेडीसन्स एक्ट, १९५३ के सेक्शन ५५ के अन्दर, हैबीच्युअल ऑफेंडर्स एक्ट के अन्दर जहां कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड कर दे उसके अगेन्स्ट अपील के ऑर्डर्स सेक्शन ४ के अन्दर ले रखे हैं, फोरेस्ट एक्ट के अन्दर पॉवर्स ले रखी हैं, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्दर ट्रिबुनल के लिए पॉवर्स ले रखी हैं, सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट के अन्दर पॉवर्स ले रखी हैं। इस तरह से जो क्वैसी-जुडिशियरी नेचर की पॉवर्स हैं वह १९५३-५४ के अन्दर जो एक्ट हैं उनके अन्दर इन पॉवर्स को ले रखा है। तो यह नया एक्ट आप क्यों लाते हैं जिसमें आप क्वैसी-जुडिशियरी की पॉवर्स नहीं लेना चाहते ?

फिर यह देखना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवसैट-अप रखना है। आखिर सब केसेज जुडिशियरी को दे देंगे तो सैपरेशन ऑफ पॉवर्स का यह कोई मतलब नहीं हो सकता कि जुडिशियरी को एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर बनाना चाहते हैं। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को डवेलप करना चाहते हैं। तो जब हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को डवेलप करना है तो अगर हम सब पॉवर्स जुडिशियरी को दे देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल्स को किस तरह से एनकरेज करेंगे ? आजकल क्रिटिसिज्म हो सकता है क्योंकि हमारा स्टेन्डर्ड डवेलप नहीं हुआ है। अगर जो प्रोसीजर है जुडिशियरी के अन्दर इम्पार्शियलिटी की गारन्टी है वह जुडिशियरी प्रोसीजर में फोलो की जाती है। वही मैथड ऑफ इन्वेस्टीगेशन रखते हैं, वही डिफेन्स को देते हैं, वही जो हम डिसीजन्स देते हैं उनको हम पब्लिक करते हैं। वही मिनिस्टर्स को जो आदमी एडवाइज करते हैं, जुडिशियल मैटर्स में वह आदमी इन्डिपेन्डेन्ट होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए प्रोवीजन रखा तो यह जुडिशियरी से आगे होगा या यह इन्डीपेन्डेन्ट नहीं होगा। तो इसके अन्दर एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है कि जो रूल ऑफ लॉ की दुहाई देते हैं उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि डायसी का रूल ऑफ लॉ

(श्री श्रीमानसिंह)

कब बना था। यह डायसी का रूल ऑफ लॉ उस समय बना था जब कि वहां पर इन्डीविजुएलिज्म था। आज हमारी जो स्टेट है है वह पोज़िटिव स्टेट है, उसके पोज़ीटिव फंक्शन्स हैं। आगे जो "लसेसफयेर" के अन्दर रूल ऑफ लॉ बनाये उसके अन्दर स्टेट प्राइवेट एन्टरप्राइज़ेज़ के अन्दर इन्टरफीयर नहीं करती थी, मगर आजकल बिलकुल उल्टा है। तो उस समय के जो रूल ऑफ लॉ बनाये उनकी आप बीसवीं शताब्दी में दुहाई दें तो उस रूल ऑफ लॉ को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर सैपरेशन ऑफ पॉवर्स की दुहाई दें तो मैं नहीं मानूंगा कि हम जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव के अन्दर हस्तक्षेप करने दें। मैं यह नहीं समझता कि जो रिस्पोन्सीबल टू दी लेजिस्लेचर हैं जिनका क्रिटिसिज्म हो सकता है और जिसके एक्ट को हम सैन्सर कर सकते हैं क्या वह आदमी रीज़नेबलनेस के केस को डिसाइड नहीं कर सकते?

इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है। एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल्स के लिये जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने अपनी स्पीच में कहा था नियुक्त करने होंगे। आज हम देख रहे हैं टैक्स पे करने का जहां तक सवाल है उसके लिये जहां जुडिशियरी में जाने के बाद टैक्स माफ हो जाते हैं, इसलिये हमें टैक्सशन के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को डेवलप करना होगा। हमे एक्साइज़ के लिये, मेडिसिन्स के लिये ट्रिब्युनल्स रखने होंगे। फोरेस्ट ट्रिब्युनल का प्रोवीजन हमने फोरेस्ट एक्ट में किया ही है। जहां हम यह चाहते हैं कि जुडिशियरी का फंक्शन बिल्कुल अलग हो वहां इस बीसवीं शताब्दी में ट्रिब्युनल्स को कायम करना बहुत ही उपयोगी साबित होगा।

प्रोफेसर डायसी ने लिखा है कि कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स सक्सेसफुली वर्क कर रहे हों, लेकिन हिस्ट्री को उठाकर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के ट्रिब्युनल्स किसी भी स्टेट ने कायम नहीं किये, वो उस समय भले ही डेवलप नहीं हुआ हो लेकिन आज बीसवीं शताब्दी में वे बहुत कामयाब सिद्ध होंगे। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। माननीय सदस्य महोदय ने यह बात कहते हुए यह कहा कि यह नीति संबन्धी बिल है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है नीति संबन्धी धाराओं के संबन्ध में यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने पर उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह बिल ऐसा नहीं है।

माननीय सदस्य महोदय ने एक बात को लेकर के जो धारा ६ ए में उल्लिखित है कि रेवेन्यु बोर्ड में जो रिवीज़न की अपील होती थी वह रिवीजन स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा ही फाइनल हो जायगा। माननीय सदस्य महोदय जो कांग्रेसी पक्ष के हैं उन्होंने ही इस बात को माना है कि रेवेन्यु बोर्ड का रिवीज़न स्टेट गवर्नमेन्ट को होना चाहिये, लेकिन हम इस बात के विरोधी हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि सरकार ने एक दम ये पॉवर्स अपने से हटाकर रेवेन्यु बोर्ड को कैसे दे दिये?

Page No.65

(श्री तनसिंह)

यह एक ऐसी चीज गवर्नमेन्ट कर रही है जो जनतन्त्र में वास्तव में होनी चाहिये यह बात पहली बार हम राजस्थान में देख रहे हैं, इसको यदि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा तो और ज्यादा बखेड़ा होने की संभावना है ।

माननीय सदस्य महोदय ने एक एक्साइज़ ट्रिब्यूनल का सुझाव दिया है, उस ट्रिब्यूनल के कौन कौन सदस्य होंगे, हो सकता है माननीय मंत्री महोदय को उसका सदस्य बना दिया जाय, एक्साइज़ कमिश्नर उसमें हो सकते हैं यह जो सुझाव उनके द्वारा दिया गया है मैं उस चीज का विरोधी हूं । माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह कहा था कि ऐसा अपीलों का फैसला एक्साइज़ ट्रिब्यूनल्स द्वारा हो इसके लिये वे एक साधारण सा सुझाव रख सकते थे, लेकिन उन्होंने यह कुछ नहीं रखा कि एक्साइज़ ट्रिबूनल्स के क्या क्या फंक्शन्स होंगे, कौन कौन व्यक्ति उसमें होंगे, इस प्रकार की बातें रखी जाती तो हम उस पर विचार करके कुछ निर्णय दे सकते थे । लेकिन जो कुछ बातें उन्होंने बतायीं उससे ऐसा पता चलता था कि वे खुद भी इस विषय में स्पष्ट नहीं हैं । वे इस ट्रिबुनल में किसको चाहते हैं, हो सकता है उनका विचार यह हो कि एक तो एक्साइज़ कमिश्नर को उसमें रख दिया जब कि एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी को उसमें रखना चाहिये । इनका कहना यह भी है कि रेवेन्यु बोर्ड के अधिकारी इस विषय में एक्सपर्ट नहीं उनका इसलिये यह कहना था कि इसके लिये ट्रिबुनल होना चाहिये और एक्सपर्ट्स का ट्रिब्युनल होना चाहिये । एक्सपर्ट इस विषय में होंगे कौन, एक हो सकता है एक्साइज़ कमिश्नर, दूसरा डिपार्मेन्ट का सेक्रेटरी भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा हो तो किसी उपमंत्री को इसमें रख दिया जाय । यदि उनका यही कहना है तो मैं इसका विरोधी हूं ।

यह कहना कि रेवेन्यु बोर्ड में एक्साइज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, यह ठीक है । उनका यह भी कहना था कि जिस प्रकार मेडिकल के मामले में जजेज़ एक्सपर्ट नहीं होते लेकिन फिर भी हम देखते हैं जजेज़ के सामने मेडिकल के कई केसेज़ जाते हैं और उन पर उनका निर्णय भी होता है । रेवेन्यु बोर्ड में एक्साइज़ के एक्सपर्ट नहीं इसलिये हो सकता है उनका डिसीज़न जो भी होगा वह गलत होगा । मेरा यह निवेदन है कि इन सभी तथ्यों को आधारभूत मानते हुए भी माननीय सदस्य का सुझाव मेन्टेनेबल नहीं है । सदस्य महोदय इसके सिवाय कोई दूसरा सुझाव देते, दूसरा सिद्धान्त रखते तो हम विचार कर सकते थे ।

अगर इस बिल में जो आबू एरिया को ड्राई एरिया घोषित किया गया है वहां प्रोहिबिशन की पोलिसी को चलाया जाता और माननीय सदस्य उसका विरोध करते तो हम भी ताली बजाते और हम यह भी सोचते कांग्रेस कुछ पीछे हट रही है ।जहां इस एरिया को ड्राई रखने का विचार है अगर उसी प्रकार की कोई नयी चीज इसमें लाने की है तो सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, तो हम इसको ठीक समझते ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है सिद्धान्ततः मैं उसका विरोध करता हूं । इस बिल के दो पहलू हैं । एक तो राजस्थान एक्साइज़ एक्ट का विस्तार आबू को छोड़कर सुनेल और अजमेर पर इस एक्ट का लागू करना । इसके अलावा जहां राजस्थान सरकार को इस प्रकार के मामले में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार

(श्री भैरोंसिंह)

था वह अधिकार राज्य सरकार ने रेवेन्यु बोर्ड को दे दिये हैं।

जहां तक दूसरे पहलू का संबन्ध है मैं इस बात के पक्ष में हूं कि सरकार के पास जो इस प्रकार के अधिकार थे उनको यदि रेवेन्यु बोर्ड को दे दिये जाते हैं और बोर्ड का फैसला अन्तिम फैसला मान लिया जाता है तो शासन की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से ज्यादा अच्छा होगा।

इसका जो दूसरा पहलू है वह यह है कि जब यह एक्ट राजस्थान में लागू हो जायगा उसी दिन से मध्य भारत के एक हिस्से में, जो सुनेल टप्पा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में शामिल हुआ है उस पर और अजमेर राज्य पर भी लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा गया है कि इस कानून का अमल आबू क्षेत्र में नहीं होगा। हमारी राजस्थान सरकार का यह कदम वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। आशा तो इस प्रकार की थी कि बम्बई राज्य का कानून जो इस समय आबू में लागू है वह सारे राजस्थान के अन्दर लागू होता, लेकिन आबू में जो कानून प्रचलित है वह राजस्थान में लागू न करना और केवल आबू में ही लागू कर रहे हैं तो भी इसे सराहनीय कदम कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय एक्साइज़ के सम्बन्ध में चर्चा होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सरकार द्वारा उनके उत्तर मिलते हैं, उन सब में एक ही बात का आभास होता है, वह यह कि हमारी राज्य सरकार निकट भविष्य में प्रोहिबिशन की नीति अपना कर कार्य रूप में परिणत करना चाहती है। इस प्रकार का सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद, इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद जब बजट सेशन में जो वाद-विवाद होता है, उस समय जो सरकार की नीति प्रस्तुत की जाती है, उसको सुनने के बाद, जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं जिन अवसरों पर इस प्रोहीबिशन की नीति को सारे राज्य में लागू करने का सवाल आता है तो हमारी राज्य सरकार क्या आर्थिक कारणों की दृष्टि से इस प्रकार के कानून को सारे राज्य में लागू करने से हिचकती है ? मैं समझता हूं जब किसी चीज के लिये हम एक बार नीति अपना लेते हैं उस नीति को अपनाने के बाद कोई भी कारण ऐसे नहीं हो सकते जिनमें उस नीति को कार्यान्वित करने में बाधा हो, चाहे उसमें हमें करोड़, दो करोड़ रुपये का घाटा भी सहन करना पड़े, उस नीति को अमल में लाने के लिये यह भी हमें करना चाहिये। जिस चीज को हम जरूरी मानते हैं, जिस चीज को लागू करने की हमारी नीति है उस ओर हमें प्रयत्नशील होना चाहिये; ऐसे अवसर अगर आते हैं तो हमें उसके लिये चूकना नहीं चाहिये। हो सकता है कि बजट में घाटा लगे उसके लिये हमें अन्य प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि शराब पीते हैं उस पर कानूनी पाबन्दी, जो व्यक्ति आबू क्षेत्र के बाहर पीते हैं उनको तो पीने की छूट और उसके अन्दर पीने की मनाही। मैं यह भी मानता हूँ कि एक राज्य के रहने वालों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। यह तो कोमनसेन्स बतलाती है कि जिस चीज को बन्द करने का सिद्धान्त राज्य सरकार ने माना है तो उसके राज्य में दो प्रकार की नीति अपनायी जाती है तो यह हमारे लिये शोभनीय चीज नहीं है। यदि लागू करना है तो समूचे राजस्थान में लागू करना पड़ेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

यह कहा गया कि ग्रेजुएली बढ़ने की नीति चल रही है तो यह भी सही नहीं है। अगर ऐसा भी करते तो २३ जिलों में से एक को तो पहले ड्राई डिक्लेअर करते। पर इसके विपरीत आपने एक काम किया। उदयपुर में समितियां बनाई गईं शराब रोकने के सम्बन्ध में और वे समितियां जिस प्रकार से काम कर रहीं हैं उससे बन्द नहीं होता, बल्कि शराब बन्द करने के नाम पर खर्चा जरूर किया जाता है, प्रदर्शन किये जाते हैं, भाषण और सभाएं जरूर की जाती हैं और भाषण देते कौन हैं जिन्होंने शराब पी नहीं और जो पीते हैं वे भी देते हैं। मुझे खेद है कि जिनके स्वयं के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें हों, शहर में शिकायतें हैं, उनके द्वारा दिये गये शराबबन्दी के भाषणों से, मैं नहीं कहता, जनता पर क्या असर पड़ता है। यह निश्चित है कि शराब पीने वाले जो इस तरह से भाषण करते हैं उनके विपरीत क्या चीज सामने आवेगी, पर दूसरी चीज जो सामने आती है वह यह है कि सरकार फालतू पैसा खर्च कर रही है इस पर। शराबबन्दी करना, प्रचार करने की दृष्टि से नहीं, पर अखबारों में पब्लिसिटी हो जाय कि सरकार अमुक अमुक काम कर रही है इस दृष्टि से तो यह तो सामने नजर आ रहा है। पर प्रत्यक्ष में इसका वास्तविक कोई असर पड़ता हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। मैंने समाचार-पत्रों में जो उदयपुर से निकलते हैं आंकड़े देखे कि भाषण देते देते कई व्यक्ति सभाओं में खड़े हो गये और वे इतने प्रभावित हुए उन भाषणों से कि कहने लगे कि आज से शराब पीना छोड़ते हैं। मान सकता हूँ कि जिन स्थानों पर ऐसे भाषण दिये गये हों, गुल-गपाड़ा नहीं किया गया हो वहां शराब की पूजा न की गई हो। पर इसका माप-दण्ड यह नहीं है कि वे शराब छोड़ रहे हैं और प्रत्यक्ष में हम यह मान लें कि जिन समितियों का निर्माण किया गया है वे निश्चित रूप से इस नीति के सम्बन्ध में ठीक कार्यवाही कर रही हैं। पर आज जो बात सामने लाई गई उससे ऐसा लगता है कि अजमेर और सुनेल टप्पा में भी यह एक्साइज़ एक्ट लगेगा। सरकार यह भी निर्णय ले सकती थी कि जैसे बम्बई का कानून आबू में लागू है वैसे ही अजमेर में भी और सुनेल टप्पा में भी लागू रहेगा, तो यह एक एक्सपेरीमेन्ट होता। इससे नतीजा निकालते कि किस तरह से आगे कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें सरकार को क्या बाधाएं हैं अगर उसकी नीति धीरे धीरे शराबबन्दी है तो? अब सरकार इस नीति को कैसे कार्यान्वित करना चाहती है यह हमारी समझ से बाहर की बात है, अगर ऐसे अवसर से वह फायदा नहीं उठाना चाहती तो। वह कोई यह समझे कि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक हो जाय और वह समय आ जाय कि दो-ढाई करोड़ का घाटा जो इससे होने वाला है वह पूरा दूसरी तरफ से हो जाय तो शराबबन्दी लागू कर दी जाय। तो यह तो वही कहावत जैसी बात हुई कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यह स्थिति आने वाली नहीं है। कम से कम आगामी पंचवर्षीय योजना काल में तो नहीं आ सकती। अगले पांच सालों में हमारी आर्थिक स्थिति की और डेटीरियोरेट होने की ही सम्भावना अधिक है। टैक्सेशन का बोझा जनता पर ऐसा बढ़ गया है कि साधारण नागरिक अपनी जरूरी चीजों की भी पूर्ति नहीं कर पाता। वैसी सूरत में हमारे सामने यह एक समस्या है कि इस दो करोड़ की पूर्ति कैसे करेंगे? अगर इसके लिये सरकार इस सदन के और

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

इस सरकार के बाहर के लोगों की सम्मति भी ले तो जो सरकार द्वारा आज अनाप-शनाप खर्चा कई मदों पर किया जाता है उसे अगर रोका जावे तो दो करोड़ रुपया उस खर्चे को रोकने से मिल सकता है। कई मुकदमे चल रहे हैं खयानत के, पैसे के दुरुपयोग के केसेज चल रहे हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें तो हर ऑडिट रिपोर्ट में लाखों के घोटाले के मामले चारों ओर चल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बजट की बहस नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह घोटाले का नाम आते ही खट् खड़े हो जाते हैं।

(हंसी)

He is not referring to Panarba (Forest Kand).

श्री भैरोंसिंह : आप चौंकें नहीं इन घोटालों से। यह बजट की नहीं है पर शराब की स्पीच है।

(हंसी)

मैं बोल रहा हूं और आपको नशा आ रहा है। इसलिये नशे में नहीं बोलें तो अच्छा है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको नशा हो रहा है, आप बोल रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Minister probably feels like drinking here also.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) आप सुनते सुनते नशे में चमकें नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि इस आगामी पंचवर्षीय योजना काल में हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है इसलिये हम यह मानने को तैयार नहीं कि आप निकट भविष्य में अपनी यह नीति अमल में लाने की कोई बात सोच रहे हैं। मैं इसका इसलिये विरोध करता हूँ कि आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि आबू की तरह से सम्पूर्ण राजस्थान को छोड़ते और इतना नहीं, तो कम से कम अजमेर और सुनेल के टुकड़े में तो लागू कर देना चाहिये था। मुझे जहां तक स्मरण है सरकार ने अपनी तरफ से गत अधिवेशन में यह विश्वास दिलाया था सदन को कि वह जल्दी ही राजस्थान को ड्राई एरिया डिक्लेअर कर रही है। तो अगर इसके लिये वह अभी अजमेर और सुनेल टप्पा को ही डिक्लेअर कर देते तो दो प्रकार के अनुभव इससे होते, एक तो यह कि यह पॉलिसी राजस्थान के बीच में ज्यादा सफल हो सकती है या कोने में। तो हमारे सामने ये दो प्रकार के अनुभव आते और उन एक्सपेरीमेन्ट्स में जिस प्रकार की सफलता मिलती उसके आधार पर हम धीरे धीरे एक-एक डिस्ट्रिक्ट को करते जाते और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते सम्पूर्ण राजस्थान को ड्राई एरिया बना करके सम्पूर्ण देश में धाक बिठा देते कि जिस राजस्थान में शराब की ज्यादा चर्चाएं सुनी जाती थीं, जो समूचे भारत में अग्रगामी था वह आज शराब बन्दी में भी सबसे आगे है। लेकिन न मालूम क्यों सरकार इसके लिये तैयार नहीं है ?

मेरे सुनने में आया है कि जो अजमेर में इस समय ठेकेदार हैं उसके अन्दर भी इस कानून से बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राजस्थान की सरकार के द्वारा एक्साइज़ एक्ट लागू है,

(श्री भैरोंसिंह)

उसमें ठेका देने की प्रथा अजीब है। इसको यदि अजमेर में लागू किया गया तो इस एक्ट के लागू होने के बाद अध्यक्ष महोदय, आज जो व्यवस्था वहां पर है उसके स्थान पर नये ठेकेदारों की व्यवस्था में कइयों को खुश और नाराज करना पड़ेगा, कइयों के हक छीन कर दूसरों को देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं यह जो कह रहा हूँ, इसके लिये यह कहा जा सकता है कि मैं आगे की कल्पना करके कह रहा हूँ। पर मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह जो ठेका देने का सिस्टम है वह क्या है? जो ठेका दिया जाता है, मान लीजिये वह ३००) का होता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें अन्दाज लगा सकते हैं कि शराब की बिक्री में राज्य सरकार को इसमें कमीशन जो मिलता है उसके बाद ३००) ठेकेदार को मिल जावेंगे। तो ३००) रुपये के ठेके से कमीशन सिर्फ मिलता है ५०)। अब कम से कम २५०) रुपया भी गिनें तो इसका कहीं पता नहीं। तीन सौ रुपया से कहीं बहुत अधिक बिक्री उसकी होनी चाहिये और उस पर सरकार को बिक्री का कमीशन का पैसा भी काफी होना चाहिये। पर इसका कोई खयाल सरकार को नहीं। जयपुर स्टेशन में २० हजार का ठेका है, पर इसमें सरकार का कमीशन सिर्फ ५ हजार है। अगर ये आंकड़े गौर से देखे जावें तो पता लगेगा कि बीस हजार के ठेके में ७ हजार की शराब खरीदी गई। शराब बन्द नहीं की गई, शराब तो काफी बिकी, पर नाजायज शराब बिकी, पानी मिली शराब बिकी। जितने कमीशन की शराब ठेकेदार नहीं खरीदता उतने का नीलाम का पैसा ठेकेदार कैसे दे, अगर यह न करे तो? इसमें होता क्या है यह भी मैं बता दूं। एक्साइज़ के अफसर हैं वे ठेकेदारों को मजबूर करते हैं इसके लिये।

मैंने अपनी आंखों देखा है और स्वयं अपने कान से सुना है इस जलेबी चौक में। वे प्रेस करते हैं कि ठेका तो २० हजार का ही होना चाहिये। अब आगे तुम चाहे पानी मिलाओ, हमारी तरफ से रोक-टोक नहीं, नाजायज शराब बेचो, हमारी ओर से कोई रोक-टोक नहीं, पर ठेका बीस हजार का ही होना चाहिये और यह बात कहता है कोई छोटा-मोटा अफसर नहीं, एक्साइज़ का बड़े से बड़ा अफसर। असिस्टेन्ट कमिश्नर के रैंक के अफसर लोगों को यह कहते हैं और इस तरह से उनको विश्वास दिलाते हैं। शराब पीने के लिये आतुर करना और सस्ती के स्थान पर मिसिल और भद्दी शराब बिकाएं यह है हमारे अधिकारियों का रवैया और हमारे सरकार की नशाबन्दी की नीति। चाहे शराब ही क्यों न हो उन पीने वालों की हैल्थ के बारे में विचार न करें और जैसी-तैसी खराब मिली जुली बेचने के लिये उनको प्रोत्साहन दें तो मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से उनके साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब केवल यह कह कर कि हम शराब की कीमत बढ़ा रहे हैं, ठेके कम कर रहे हैं इसलिए शराब बन्दी हो जायगी, लेकिन उनसे शराब बन्दी नहीं होगी। शराब को तो बन्द करने के लिए एक पोज़िटिव और सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसके कारण देश में वातावरण ऐसा बन जाय कि शराब पीने वालों को समाज अच्छी निगाह से नहीं देखे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हमारी बदकिस्मती है कि कहा जाता है, शराब एक पेय है। लेकिन शराब आज के युग के लिए नहीं है, यह दकिया-

(श्री भैरोंसिंह)

नूसी चीज़ है, देश और समाज के आज के युग के लिए यह अनुरूप नहीं है, नैतिकता के अनुरूप नहीं है। लेकिन यह कहना कि अपने देश में मदिरा पान होता आया है, शराब एक पेय है, इसको सोमरस की व्याख्या देकर समाज के उपयोगी बता कर इसको समाज के सामने रखते हैं जब कि चाहिये तो यह था कि इसको बन्द करके समाज को इस अनैतिकता से दूर रखना चाहिए, यह भारत के निवासियों के लिए नहीं है और यदि राज्य सरकार के पास पैसा भी होता है तो अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि स्वयम् महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन देश आजाद होगा और यदि हमारी कांग्रेस की सरकार राज्य में होगी तो उस राज्य सरकार का सबसे पहला काम यदि होगा तो वह शराब बन्दी का काम होगा। लेकिन अब तक शराब बन्दी नहीं हुई। बम्बई में शराब बन्द कर दी गई तो यहां यह सोचने में नहीं आरहा है कि वहां बन्द कर दी गई तो जो इसके कारण घाटा हो रहा है वह कैसे पूरा हो रहा है ? जिस काम को हम अनैतिक समझते हैं, जिस काम को हम समाज के लिए बुरा समझते हैं, जिस काम को हम मजदूरों के लिए अच्छा नहीं समझते हैं, जिस काम को हम साधारण नागरिक के लिए अच्छा नहीं समझते हैं तो क्या वह राजस्थान की सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो करोड़ के घाटे के कारण इसको रोका न जाय ? जब हमने यह सोच लिया कि शराब समाज के हित में नहीं है, शराब पीना एक अनैतिक काम है और इसको बन्द करने के लिए भी यदि सरकार को घाटा होता है तो उस कमी को और दूसरे प्रकार से पूरा करने के लिए 'संकोच' नहीं करना चाहिए। जब जो चीज़ समाज के लिए अहितकर है तो फिर उसी चीज़ को समाज के लिए लागू रखना कहां तक न्यायसंगत है और इस प्रकार का संकोच करना भी समाज के लिए अहितकर है। इसलिए सरकार को इसको बन्द करने के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन यह एक बदकिस्मती है कि जब जिस काम को बन्द करने का प्रश्न आता है तो उससे सरकार दूर भागती है। कहते हैं कि यदि इसको आज बन्द कर दें तो इस पंचवर्षीय योजना में जब कि घाटा हो रहा है तो यह घाटा और हो जायगा और उसकी पूर्ति कैसे होगी ? कहा जाता है कि जो योजनायें हैं यदि इनको बन्द कर देते हैं तो कैसे पूरी होंगी ? बहुत से काम हो सकते हैं जिनके लिए कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के कोष में जितना भी पैसा आता है, चाहे नैतिकता के रूप से आया हो चाहे अनैतिकता के रूप में आया हो, चूंकि राज्य के कोष में आया हुआ जो पैसा है चाहे वह अनैतिकता से ही क्यों न आया हो या नैतिकता से ही क्यों न आया हो लेकिन राज्य के कोष में आते ही अनैतिकता से आया हुआ पैसा नैतिक रूप में हो जाता है। किसी भी रूप में आया हुआ पैसा हो वह तो राज्य के कोष में आया है और यदि उस आने वाले पैसे को रोक दें तो इस योजना काल में घाटा हो जायगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इस प्रकार की दलीलों से समाज का भला नहीं होने वाला है। समाज में इस प्रकार की अनैतिकता न फैले इसलिए इसको बन्द करना होगा।

एक दूसरा प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध इस नाते से कि भरतपुर से आने वाले

Page No.71

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सदस्य ने कहा कि जो व्यवस्था थी उसको उसी रूप में रखना चाहिए। उन्होंने कुछ उदाहरण भी बताये कि जिसके कारण इन मामलों का रिवीज़न राजस्थान सरकार के पास होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, उनकी दलील का मुख्य कारण था कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों या मंत्रियों के पास जो अपील होंगी, रिवीज़न होंगे तो वे एक्सपर्ट होंगे। मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि जिस पार्टी का आज राजस्थान में राज्य है, वे उस पार्टी के सदस्य हैं और अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिनके पास अपीलें जावेंगी रिवीज़न होगा वे शराब के माने में कितने एक्सपर्ट हैं, मेरी तो इसमें जानकारी नहीं है। यह हो सकता है कि एक्सपर्ट व्यक्ति के पास इस विभाग का काम न आया हो, लेकिन यह भी संभव नहीं और कहा नहीं जा सकता है कि इसके रिवीज़न के केसेज़ जावेंगे तो जिनके पास जावेंगे वे जानते हों कि शराब कैसे बनाई जाती है, मेडिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से किस प्रकार उपयोगी है या दुरुपयोगी है, हाइजिनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से किस प्रकार उपयोगी है और दुरुपयोगी है, प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार उपयोगी है या दुरुपयोगी है और जुडिशियल पोइन्ट ऑफ व्यू से किस व्यक्ति को सजा देना है। ये सारी बातें तो एक्सपर्ट के ऊपर निर्भर करती हैं और जिसकी उनको जानकारी नहीं है। रेवेन्यु बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, जिनका माइन्ड जुडिशियल होगा, जो जज करके फैसला देंगे, उनके दिये गये फैसले को लेकर अगर उसका रिवीज़न राज्य सरकार के पास होगा, अधिकारियों या मंत्रियों के पास होगा तो न तो तुरन्त न्याय मिल सकेगा, न सस्ता न्याय ही मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्यतंत्र में एक पार्टी की सरकार होती है और जैसा कि सत्तारूढ़ दल के, पार्टी की सरकार के कारनामें देखने में आये हैं, हो सकता है कि कल से सरकार सुधर जाय लेकिन निकट भविष्य में मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता कि सरकार सुधर जायगी, जिस बात को लेकर सरकार, पार्टी की सरकार आती है वह यह है कि अपने दल के लोगों को पनपाना और पक्षपात करना। माननीय सदस्यों को पक्षपात शब्द शायद चुभता हुआ मालूम हो, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को चुभने वाला मालूम हो। अगर उनको यह पक्षपात शब्द चुभता हो तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं और उनको सुनने से उनको मालूम हो जायगा कि पक्षपात शब्द मैंने वैसे ही नहीं कह दिया है। मेरे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं और यदि सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ।

(विराम)

इसलिए पार्टी की सरकार द्वारा इस प्रकार के उदाहरणों को देखकर हम यह नहीं मान सकते कि इस प्रकार के रिवीज़न में सरकार का एक जुडिशियल निर्णय होगा। निश्चित तौर पर उनके सामने यह दृष्टिकोण आयगा कि जिस व्यक्ति की शराब पकड़ी है, वह व्यक्ति किस दल का है, किस पार्टी का है और किस प्रकार का है। जब राज्य सरकार के पास इस प्रकार का प्रश्न आ जायगा तो निश्चित रूप से पक्षपात होगा और उसमें कमजोरी आ जायगी, उसका निर्णय एक जुडिशियल निर्णय नहीं होगा, जो निर्णय होगा उसमें निश्चित रूप से एक पक्षपात को लेकर होगा, यह देखा जायगा कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, किस दल का है,

(श्री भैरोंसिंह)

उस पर इस फैसला का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार की दलीलें, राजस्थान सरकार के लिये, फैसला देने वाले अधिकारियों के लिए हो सकती हैं।

एक प्रश्न आया कि राज्य सरकार, विधान सभा के लिये ही नहीं, मंत्रियों के लिए ही नहीं है, राजस्थान के उच्चाधिकारी भी उसमें रहते हैं। यदि रहते हैं तो उन सम्मिलित अधिकारियों से आज यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सब एक्सपर्ट होंगे। जो व्यक्ति जुडिशियल माइन्ड के हैं, जो फैसला दे सकते हैं, आजकल हो क्या रहा है कि जहां उनको रखा जाना चाहिये उनको वहां नहीं रखा जाता और इर्रीगेशन वालों को एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर वालों को सेटलमेंट में और सेटलमेंट वालों को ट्रान्सपोर्ट में और ट्रान्सपोर्ट वालों को किसी दूसरे विभाग में ट्रान्सफर कर देते हैं। यह कहा जाता है कि चूंकि आई. ए. एस. की ट्रेनिंग हो रही है

२. ३७. म. प.

(श्री निरजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए सेटलमेंट वालों को इर्रीगेशन में और इर्रीगेशन वालों को ट्रान्सपोर्ट में कर दिया। यह ट्रेनिंग का हाल होता है। बदकिस्मती से ट्रेनिंग पीरियड में इस प्रकार के शराब के रिवीज़न के मामले चले गये तो क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वहां आल राउन्ड इस मामले के अधिकारी एक्सपर्ट अधिकारी ही होंगे। मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकते। आज की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में उच्च कोटी के नेताओं को खुश करने की नीयत ही रहती है। मैं यह सब ही अधिकाकारियों पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि उनका निर्णय पक्षपात पूर्ण न हो लेकिन अधिकांश ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम गिनाये जा सकते हैं, यह बताया जा सकता है कि जो यह टोह लगाये रहते हैं कि किस प्रकार उच्च नेताओं को, राज्य सरकार के कर्णधारों को खुश कर फैसला देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम बहुत विस्तृत दायरे में चले जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मामला ही ऐसा है, सीमित भी कर रहा हूँ।

श्री अर्जुनदास : शराब कैसे बन्द कर सकते हैं, यह बता रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको बुलासा आ रहा है इसलिये बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि आज उन अधिकारियों को रेवेन्यु बोर्ड के अधिकारियों के मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही नहीं है। यह हो सकता है कि रेवेन्यु बोर्ड के जितने जजमेंट हैं, शराब न पीते हों, शराब कैसे निकाली जाती है, निकालने का ज्ञान न हो, किस प्रकार निकलती है, कितने दिनों में खराब होती है और उसके पीने में कैसे नशा आता हो, इस प्रकार की डिटेल्स उनको न मालूम हों, यह मैं मान कर चलता हूं। रेवेन्यु बोर्ड में सीधे केसेज़ नहीं आते हैं, पहले असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास केसेज़ आते हैं, उसके बाद कमिश्नर के पास और उसके बाद मुकदमें रेवेन्यु बोर्ड में आते हैं। टेक्निकल व्यूज़ का जहां तक प्रश्न है कि शराब बनाई कैसे जाती है, किन किन चीज़ों की पाबन्दी लगी रहती है, उनको शामिल किया या नहीं, कौन सा किस किस्म का अपराध किया है इसके लिये असिस्टेन्ट कमिश्नर

(श्री भैरोंसिंह)

पहले स्क्रुटिनाइज़ करता है, हीयरिंग देता है, फिर कमिश्नर हीयरिंग देता है, फिर रेवेन्यु बोर्ड में जाता है। टेक्निकल साइड देखी जाती है कि शराब पकड़ी गई है वह जायज है या नाजायज। इस प्रकार फिर सब देखकर दोनों पार्टीज़ को हियरिंग देकर निर्णय दिया जाता है।

तो यह जो हमारी चीज़ है वह मैं समझता हूं वह पूरी हो जाती है। उसके बाद में केवल जजमेंट का प्रश्न रहता है। अब उस जजमेंट के देने में जुडीशियल प्वॉइन्ट एप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त केवल यह देखेंगे कि किस प्रकार से बनी थी और किस प्रकार से नहीं बनी। उन सब चीजों को छोड़कर जिस आदमी ने यह काम किया है, नाजायज शराब बनाई है और शराब निकालने की उन चीजों का प्रयोग किया है जो कि राजस्थान में नहीं आ सकती हैं, तो किस प्रकार से सजा दी जाय? यह केवल काम रेवेन्यु बोर्ड के सामने रहता है। यह कह सकते हैं कि शराब के बारे में डिटेल्स रेवेन्यु में चले जायं तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो क्या रेवेन्यु बोर्ड के अधिकारियों में इतनी कॉमनसेन्स नहीं हो सकती है? जितनी कॉमनसेन्स एक सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी में या राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के मेम्बर में हो। यह कॉमनसेन्स सब में होती है। जिस व्यक्ति में किसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो उसको पूरा कराया जा सकता है। जुडीशियल कोर्ट्स में जुडिशियल ऑफिसर सब बातें समझते नहीं हैं लेकिन पार्टीज़ उनको ज्ञान कराती हैं और पार्टीज़ ज्ञान कराती हैं उनके ऊपर उनका जजमेंट बहुत कुछ निर्भर करता है। यह इतना काम रेवेन्यु बोर्ड कर सकता है। रेवेन्यु बोर्ड के सामने मामले ठीक प्रकार से रखें। यदि कोई कमी हो और एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेने की आवश्यकता हो तो एक्सपर्ट्स को शहादत रखें, डिफेन्स में रखना जरूरी हो तो उसको डिफेन्स में रखें और जितना डिफेन्स रूप में जरूरी हो लें। लेकिन यह नहीं कह सकते कि रेवेन्यु बोर्ड में जुडिशियल माइन्ड उस प्रकार का माइन्ड नहीं है जो कि राज्य सरकार एप्लाई करती है और राजस्थान सरकार ही सब करेगी, मैं कम से कम इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक प्रश्न जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है कि रेवेन्यु बोर्ड के पास केसेज़ ज्यादा हैं और ऐसे एक्साइज़ के केसेज़ भी रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स को दिये जायेंगे तो काम ज्यादा बढ़ेगा और जल्दी फैसले होने चाहिएं वे नहीं हो सकेंगे। इस बात को हम मानते हैं कि काम बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि रेवेन्यु बोर्ड के हाथ में से यह चीज़ ले ली जाय जिसमें कि रेवेन्यु बोर्ड को फैसले देने का अधिकार है, अन्तिम फैसले देने का अधिकार हो वह ले लिये जायं। रेवेन्यु बोर्ड के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की जा सकती है कि जिस व्यवस्था के कारण जल्दी से जल्दी फैसले हों और लोगों को तुरन्त न्याय मिलकर राहत मिले, लेकिन इस कारण कि बोर्ड के मेम्बर जुडिशियल प्वॉइन्ट्स पर एक्सपर्ट नहीं है, इस बात का सस्पेक्ट करेंगे तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि अच्छा नहीं होगा।

इसलिए इस बिल का जो पहला पार्ट

(श्री भैरोंसिंह)

है उसका इसलिए विरोध करता हूँ कि राजस्थान सरकार को समस्त राजस्थान मे प्रोहीबिशन की नीति लागू करनी चाहिए और यदि संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं करें तो सुनेल और अजमेर जो हैं इन दोनों हिस्सों में प्रोहीबिशन की प्रथा लागू कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ का मुझे मज़बूर होकर समर्थन करना पड़ता है और जो माननीय सदस्य भरतपुर से आये हैं और जिन्होंने इस नाते सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह प्रस्ताव आया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय और उस पर जो दलील भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दी उसको गौर से सुना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान सरकार ने काफी कामों में रिवीज़न के पॉवर्स ले रखे हैं और ऐसी सूरत में इस बिल में जो राजस्थान सरकार ने रिवीज़न के पॉवर्स हैं उनको वह एकदम नहीं छोड़ना चाहिए और उन्होंने जो दलील दी कि राजस्थान सरकार एक एक्सपर्ट की दृष्टि से कुछ मामलों को रेवेन्यु बोर्ड के बाद देखती है जिनमें कि कोई पार्टी यह महसूस करती है कि उनको इन्साफ नहीं मिला है, वह राजस्थान सरकार के सामने अपना रिवीज़न रखती है। इसके विरोध स्वरूप माननीय कतिपय लायक दोस्तों ने जो दलीलें दीं उनको भी गौर से सुना।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि इस सदन में कई दफा कहा जाता है कि बहुत से माननीय सदस्यों के जरिये हम उस बात को बड़े गौर से सुनते हैं और यह कोशिश भी करते हैं कि हम जहां तक बन पड़े जो जुडिशियल नेचर के मामले हैं उसमें राजस्थान सरकार दस्तन्दाजी न करे तो ज्यादा अच्छा हो इसी उद्देश्य से इसमें यह थोड़ा सा चेन्ज, इस बिल में करना चाहा कि रेवेन्यु बोर्ड के जो फैसले हो जायं और फाइनल फैसले हो जायं तो उसके बाद में खास ऐसी बात नहीं रहती है कि जिसकी वजह से राजस्थान सरकार के सामने शिकायत रहे।

जैसी कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने दलीलें दीं कि राजस्थान सरकार के पास ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन मामलों को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स नहीं देख सकते हैं। वैसे एक्सपर्ट के लेवल पर देखने की बात है वह तो एक्साइज़ और कस्टम के दूसरे ऑफिसर्स और कमिश्नर्स हैं उन तक ही वह सीमित रहती है और उसके बाद में अपील आती है रेवेन्यु बोर्ड के सामने। उनके सामने बनी बनाई फाइल होगी। दलीलें लिखी हुई होती हैं जो कि फैसले में होती हैं, वे उनके सामने आती है और पार्टीज़ भी अपनी और से बातें रेवेन्यु बोर्ड के सामने रखती हैं और जहां तक आम तौर से जरूरत पड़ती है वह उस मामले के लीगल प्वॉइन्ट्स की बहस तक का ही सवाल रखता है और वह लीगल प्वॉइन्ट्स रेवेन्यु के मामलों के लिए जो सबसे बड़ी अदालत है रेवेन्यु बोर्ड, वह उन प्वॉइन्ट्स को बहुत कामयाबी के साथ तय कर सकते हैं और उसके बाद में कोई खास प्वॉइन्ट्स रहते नहीं है जिनके रिवीज़न के लिए सरकार के पास आने की आवश्यकता पड़े। उसके लिए बराबर इस सदन में बहस होती रही है कि ऐसे कदम उठायें कि ऐसे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मामलों में फाइनल फैसला रेवेन्यु बोर्ड कर दे, इसलिए जो सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आया है उसमें मैं ज्यादा कोई खास महत्व नहीं देखता हूँ और उस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ।

उसके बाद में जो दलील और जो बहस श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बिल के सिलसिले में की कि इस बिल के प्रोवीजन्स को सुनेल, आबू और अजमेर के जो नये इलाके हैं उनके ऊपर एक्सटेन्ड करने की बात कही है, उसके लिए अच्छा यह होता कि राजस्थान में भी यह पॉलिसी प्रोहीबिशन की लागू की जाती। उनकी बहस में जो उन्होंने दलीलें दीं उनको इस सदन में पहली मर्तबा नहीं बल्कि और भी पिछले ३-४ साल में समय समय पर जो बजट की बहसें हुई हैं या दूसरी बहसें हुई हैं उनमें सुना है। उनकी ही नहीं और भी अन्य माननीय सदस्यों की इन बहसों को गौर से सुना। उन्होंने २-३ मुद्दे उठाये हैं, उनमें से एक एक ठेके की प्रथा के बारे में है जो कि आम तौर से ऐसा एक्साइज् के सिलसिले में कोई कटमोशन आता है या उस डिमान्ड का प्रश्न आता है तो हमेशा वह यह बात कहते हैं कि ठेके की प्रथा ऐसी है....

श्री अर्जुनदास : फिर भी आप नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर! प्लीज्।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जरूरी नहीं है कि आप जो कहें उसको हमेशा मान लें।

श्री अर्जुनदास : We disagree with what he says.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह चाहूंगा कि इस तरह से बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाऊं।

तो यह दलील दी कि ठेके की प्रथा से जो सरकार को रकम मिलती है वह बहुत बड़ी होती है और कमीशन के रूप में जो उस आदमी को मिलता है वह बहुत थोड़ा होता है और इसकी वजह से उन्हें गलत तरीके से दारू में पानी मिलाकर बेचना पड़ता और तभी उनको फायदा हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, इस दलीलका जवाब इस सदन में कई दफा दिया जा चुका है और वही आज है कि जो ठेके लेने वाले आदमी हैं उनको उस हिसाब से बोली लगाना चाहिए। अगर वे आते हैं और बोली लगाते हैं तो राजस्थान सरकार ने कोई लीनियेन्सी नहीं कर रखी है कि वह एडल्टर्ड शराब बेचेंगे तो उनको पकड़ेंगे नहीं। अगर पकड़ाई में आगये तो कानून के अन्दर उनको सजा दी जायगी। वह सारी जिम्मेवारी उनके साथ में लेती है। हमने यह कब कहा है कि बिड्स देने के बाद में किसी तरह का भी कन्ट्रोल नहीं रखेंगे। ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कानून की धाराएं है जिनके फलस्वरूप उनके ऊपर नियन्त्रण हो और जो इस तरह की गड़बड़ी करते हैं और पकड़े जाते हैं उनको सजा भी मिलती है।

इसके अलावा यह बात भी कही कि हम राजस्थान में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गये हैं, जिसमें कि हमें प्रोहीबिशन राजस्थान में लागू करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, बहुत बड़ी लम्बी बहस की उन्होंने। मैं इतना लम्बा समय तो इस सदन का नहीं लेना चाहता, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति जो कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बजट के समय तथा अन्य समय समय पर आपके सामने आई है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे राजस्थान में चला रहे हैं, राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के अलग अलग सूबों में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, सम्मिलित है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन का भी यह डाइरेक्शन है कि हम धीरे-धीरे प्रोहीबिशन की ओर बढ़ें और एक टाइम लिमिट भी दिया है। यहां तक आशा की जाती है कि हमारे देश में प्रोहिबिशन को लागू करें। लेकिन इस तरफ राजस्थान ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सका, हम इस बात को मानते हैं और वह इसलिये नहीं बढ़ा कि राजस्थान अलग अलग स्टेट्स के एकीकरण के कारण बना और इसमें एक्साइज़ और कस्टम की आमदनी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है और इस आमदनी को कम करना राज्य सरकार के लिये आसान बात नहीं है। हमने कस्टम्स बंद किया तो बदले में सेल्स टेक्स लागू किया। लेकिन जो कस्टम्स की आमदनी थी उससे आधी आमदनी भी सेल्स टेक्स से नहीं होती....

श्री भैरोंसिंह : इनएफिशियेन्सी के कारण।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) यह आप कह सकते है, लेकिन जब नई प्रणाली शुरू होती है तो उसको लागू करने में कई तरह की डिफिकल्टीज़ होती हैं और प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ आती हैं, उनको ओवर कम किया जाता है और उसके लिये मेजर्स भी कायम किये जाते हैं। इस समय राज्य को इससे २ करोड़ की आमदनी होती है, उसको एक दम छोड़ दें और दूसरा एरेन्जमेन्ट करें, यह संभव नहीं है। धीरे-धीरे हम इस ओर बढ़ते हैं। जब धीरे धीरे बढ़ने की बात कहते है तो माननीय सदस्यों के कम समझ में आता है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री भैरोंसिंह : हम शराब पिलाकर राज्य करना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज़।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हमारी सरकार के देखने का काम है कि इस समय इस चीज को हम किस तरह करें, यह हमारे देखने का काम हैं क्योंकि हम सरकार चलाते हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि नीति के प्रश्न पर काफी लम्बी बहस की। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि नीति हमारी भी वही हैं, हम भी इस पर चलना चाहते हैं और राजस्थान में भी देश के अलग अलग हिस्सों की तरह लागू करना चाहते हैं। प्रश्न केवल समय का है। इस समय में आर्थिक क्षति को किस तरह से पूरा करना। नये नये काम हमने चालू किये हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। जब राजस्थान दूसरे रिसोर्सेज पा जायगा तो इस सोर्स को अभी भी कम करता जा रहा है और आगे भी करता जायगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के कानूनों की व्यवस्था रखने से कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सब कानूनों का हमने एकीकरण किया है तो इस कानून को भी इसी रूप में जो राजस्थान में लागू है इस इलाके में भी लागू किया जाय। आबू के लिये जो प्रोहिबिशन की पोलिसी थी हमने उसे उसी रूप में रखा। उसके लिये विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो शब्द कहे उसके लिये धन्यवाद। मैं समझता हूं इस समय इस कानून को जैसा है वैसा पास करना चाहिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्योंकि इस एरिया में इसके लागू हुए बिना कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिये भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले कर पास किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रस्ताव रखा था सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने के लिये, उसे न तो मंत्री जी ने समझने की कोशिश की और न मैंने जो दलील दी उसे मेरे माननीय जनसंघ के नेता ने ही समझने की कोशिश की और जो माननीय रामराज्य के नेता हैं उनके तो समझ में आ ही नहीं सकती।

श्री अर्जुनदास : All members of the Ram Rajya Parishad ?

श्री श्रीभानसिंह : Including you as an independent. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मकसद था कि जो एक्साइज़ एक्ट है उसमें राजस्थान गवर्नमेंन्ट की एक्साइज़ पोलिसी एम्बोडीड है और जब एक्साइज़ एक्ट में दी हुई पोलिसी के अनुसार चलने पर सरकार और पार्टी के बीच डिस्प्युट खड़ा हो जाता है तो उसको डिसाइड करने वाली कौनसी एजेन्सी होनी चाहिये ? इसको ठीक तरह से डिसाइड कराने के लिये मैंने सुझाव दिया था और मैं चाहता हूँ और मेरी अभी भी यह मान्यता है कि इस को डिसाइड करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल स्थापित होने चाहिये। बजाय रेवेन्यु बोर्ड को यह पॉवर देने के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल कायम करना चाहिये, जो डिसाइड करे। अभी यह कहा गया कि ऐसा ट्रिब्युनल स्थापित किया गया तो लोग प्रेशर डालेंगे लेकिन इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग मंत्रियों पर भी प्रेशर डाल सकते हैं वे रेवेन्यु बोर्ड पर भी प्रेशर डालने में नहीं रुकेंगे, इसलिए वही लागू किया जाय इसमें वजन नहीं रहता।

आगे यह कहा गया कि एक्सपर्टस् की ओपीनियन ली जायगी। जुडिशियल पोवर्स भी रेवेन्यु बोर्ड को दिये हैं। हम एक्साइज़ केसेज़ को देखें कि क्या वे ऐसे केसेज़ हैं जिनमें जुडिशियल डिसीज़न लाजमी है। मैं निवेदन करूंगा कि ये ऐसे केसेज़ नहीं है। ये केसेज़ हैं जो एक्साइज़ पोलिसी को चैक करते हैं, और मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन आदि को लिमिट करते हैं। इन चीजों पर एक्सपर्टस् ओपिनियन दे सकते हैं। जो रीज़नेबलनेस की ओपिनियन है उसको वे डिसाइड करते हैं जब इन चीजों को तय करने में ट्रिब्युनल द्वारा जस्टिस नहीं मिल सकती तो रेवेन्यु बोर्ड में नहीं मिल सकती।

अब देखना यह है कि हम जो करना चाहते हैं वह मकसद कैसे पूरा हो सकता है और क्विक डिसिज़न रेवेन्यु बोर्ड दे सकता है या ट्रिब्युनल दे सकता है। अब यदि मैं ट्रिब्युनल के पूरे एडवान्टेज बताऊं तो पूरी बातों पर गौर करना पड़ेगा। आज इल्लिसिट डिस्टिलेशन क्यों नहीं चेक होता है ? वह एवीडेन्स लेता है, जो एवीडेन्स है, उसको लीगल पॉइन्ट ऑफ व्यू से नहीं लेता, उस एवीडेन्स में बहुत सी लीगल खामियां होती हैं, उनको दूर नहीं कर सकता। इसका नतीजा यह होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल करते हैं इल्लिसिट डिस्टीलेशन करने वाले के खिलाफ तो अगर १०० केस पकड़ते हैं, उनमें से ८० प्रतिशत केसेज़ को छोड़ दिया जाता है। इल्लिसिट डिस्टीलेशन के

(श्री श्रीमानसिंह)

बारे में जनसंघ दलील देता है कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन बढ़ता जा रहा है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो जुडिशियरी ही रोक सकती है, उसको ट्रिब्यूनल नहीं रोक सकता ।

श्री भैरोंसिंह : ट्रिब्युनल को जुडिशियरी माइन्ड एप्लाई करना पड़ेगा ।

३.१ म० प०

श्री श्रीभानसिंह : जो ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करे, उनमें एक्सपर्ट की राय ले सकता है कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन कैसे चेक होगा ? अब रहा सवाल लीगल माइन्ड का । मैंने इस सम्बन्ध में कह दिया है कि ट्रिब्यूनल में एक्सपर्ट होंगे और उनको लीगल नॉलेज़ के लिए कम्पेन्सेट करना पड़ेगा । मगर इसमें असेंशियल करें कि लीगल पॉइन्ट हो, तो फिर रेवेन्यु बोर्ड के लिए भी यह असेंसियल हो कि वे लीगल और एक्सपर्ट्स की नोलेज़ रखें । अगर यह बाइन्डिंग इस ट्रिब्युनल पर होती है तो यही बाइन्डिंग उस पर भी करनी पड़ेगी कि बोर्ड को एक्सपर्ट्स की नॉलेज़ रखनी चाहिए, जो केसेज़ को डिसाइड करें, उसके लिए कॉम्पीटेंट होने चाहिए, जो समझ कर ही अपने डिसीज़न दे सकते हैं । यह भी कहा गया कि जो जुडिशियल मेटर्स हैं, उनमें गवर्नमेंट इन्टरफियर न करे, मैं नहीं समझ सका जब जुडिशियरी इसमें इन्वॉल्ड है, तो जुडिशियली किस तरह से केसेज़ डिसाइड करती है । हम कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन की इन्टेन्शन है, उसको मद्देनजर रख कर डिसीज़न लेते हैं । मैं समझता हूं कि जुडिसियरी के पास हमारे यहां की कोई डिबेट्स की रिपोर्टस् मौजूद नहीं होती । लेजिस्लेशन की इन्टेन्शन डिबेट्स में ही होती है, वे विशेष तौर से कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं । माननीय सदस्यों ने जुडिशियरी साइड को इम्फेस किया है । मैं जुडिशियरी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जज हैं, जो जुडिशियरी है, वह जो क्लाइमेट है, उसके ऊपर नहीं है, वे इसमें ही गवर्न होते हैं, वे सर्कम्सटान्सेज़ से भी गाइड होते हैं । उन लोगों के भी प्रेजुडिसेज़ होते हैं । रेवेन्यु बोर्ड या जुडिशियरी के लोगों के भी थोड़े प्रिजुडिसेज़ हो सकते हैं, वे राज्य सरकार से डेट्रीमेन्टल होते हैं, क्योंकि वे भी ह्युमन बीइंग़ होते हैं, जो केसेज़ डिसाइड करते हैं, उनमें भी एलीमेंट ऑफ ह्युमन बीइंग होता है, उनके आइडियाज़ होते हैं, उनके भी प्रेजुडिसेज़ होते हैं, उनको वे सेपरेट नहीं कर सकते और उन्हीं पर डिसीज़न बेस करते हैं । जहां तक पोलिसी का सवाल है, पोलिसी को वर्क आउट करने का सवाल है, उसके लिए डिसीज़न गवर्नमेंट ले सकती है, उस पर गवर्नमेंट की एप्रूवल ले सकते हैं । इसलिए ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हो । यदि हमें ट्रिब्यूनल को इम्प्रूव करना है, तो उनके स्टेन्डर्ड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ? यह हम तभी कर सकते हैं जब कि उनको ओर्गेनाइज़ करें, उनको पॉवर्स दें और पॉवर्स दें डिसीज़न की, उनको इन्डिपिडेंटेंड बनायें, उनको लीगल नोलेज दें, जो जुडिशियरी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें फेथ् रखते हैं, ट्रिब्यूनल में फेथ् पैदा करने के लिए राइट्स ऑफ जस्टिस दें । जो प्रोसीजर जुडिशियरी में लेड डाउन हैं, वही प्रोसीजर ट्रिब्युनल में लागू करें । मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार पॉवर्स देने पर उसकी बोनाफाइडी पर कॉन्फीडेन्स क्यों न होगा ? सबसे जरूरी बात यह है कि जनता में कॉन्फीडेन्स पैदा करें और आप ट्रिब्युनल में यह प्रोसीजर लागू न करना चाहें, कोई

(श्री श्रीभानसिंह)

स्टेप न लेना चाहें और यह कहें कि सेपरेशन ऑफ पॉवर्स से एग्ज़ीक्युटिव जुडिशियरी पर हमला करना चाहती है और अपने पॉवर्स एक्युमुलेट करना चाहती है। ये टर्म्स हैं जिनके जरिये एक चीज को दबा सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पॉवर्स का मतलब यह नहीं होता है कि जुडिशियरी एग्ज़ीक्युटिव को क्रिटिसाइज़ करे, उस पर स्ट्रिक्चर्स पास करें। एग्ज़ीक्युटिव को जुडिशियरी से इसी लिए सेपरेट न किया जाय कि जुडिशियरी एक्जीक्युटिव का क्रिटिसिज्म न करे, उस पर स्ट्रिक्चर्स पास न करें। जब भी कोई केस जुडिशियरी में जायेगा तो जुडिशियरी एग्ज़ीक्युटिव पर स्ट्रिक्चर्स पास करेगी क्योंकि उसके पास पॉवर्स रहेंगी और पॉलिसी मेटर्स में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव में झगड़ा खड़ा होगा। इन सब चीजों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि ट्रिब्युनल को पॉवर्स दी जायं, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाय, जिससे वह चीप और स्विफ्ट जस्टिस दे सकें और यह भी करें कि उन्हें लीगल एक्सपर्टस् की राय मिले। इससे वह जनता में कॉन्फीडेन्स पैदा करेगा। जो केसेज़ रेवेन्यु बोर्ड में जाते हैं, ट्रिब्युनल में जाते हैं, उनमें चीप और स्विफ्ट जस्टिस मिलेगी। इसलिए ट्रिब्युनल से जो मेरा मकसद था, उसको न तो विरोध में बोलने वालों ने समझा और न मंत्री महोदय ने समझा।

श्री उपाध्यक्ष : The question is...

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave to withdraw my motion for Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Shri Bhan Singh to withdraw his amendment?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : Now the question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ चार में अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : The Bill is taken into consideration.

We take Clauses 2 and 3.

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ ४ में हैं अमेन्डमेंट्स।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 2 and 3 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 4, Shri Anop Singh.

श्री अनूपसिंह (बलोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ चार के पार्ट चार को डिलीट करने के लिए मेरा अमेंडमेंट है और वह इसलिए है कि मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि जब पहले मेडीशिनल और टॉयलेट प्रिपेरेशन, एक्साइजेबल आर्टिकल्स माने गये हैं उसके बाद क्या कारण है कि जिसकी वजह से एक्साइजेबल आर्टिकल्स की लिस्ट में

(श्री अनूपसिंह)

इनका नाम, मेडीसिनल और टॉयलेट प्रिपेरेशन, नहीं आया और इनको हटाना क्यों जरूरी हुआ ? इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा मेडीश्नल प्रिपेरेशन और टॉयलेट प्रिपेरेशन को एक्साइजेबल आर्टिकल में मानना जरूरी नहीं है। जब ये एक्साइजेबल आर्टिकल्स में करीब थ्रूआउट इंडिया रखे गये हैं, तो राजस्थान में इन्हें एक्साइजेबल आर्टिकल्स की लिस्ट में से निकाल देने का मकसद मुझे मालूम नहीं पड़ा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो यह अमेंडमेंट रखा है, उनकी जानकारी के लिए और सदन के सारे सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो ओमिट करने के लिए लिखा है वह इसलिए लिखा है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक कानून पिछले साल बन चुका है, जिसके द्वारा मेडीसिनल और टॉयलेट प्रिपेरेशन के लिए अलग से कानून बन गया है और यह कानून लागू कर दिया है सारे हिन्दुस्तान में। उसमें प्रोवीजन है कि इस सिलसिले का दूसरा कानून लागू होगा, वह लागू नहीं रहेगा और ओटोमेटिकली वह कानून सुपरसीड हो जाता है। इसको रखने से फायदा नहीं है क्योंकि नया कानून बन गया है। इसलिए इस सब-क्लॉज़ को निकाल देने के लिए इसमें प्रोवीज़न रखा है।

श्री अर्जनदास : ऐसी चीज पहले क्यों नहीं लिख दी।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इस स्पष्टीकरण के बाद, मैं समझता हूँ कि शायद अमेंडमेंट रखने की खास जरूरत नहीं है। अगर इसी ख्याल से यह सब-क्लॉज़ रखा है तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Anopsingh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृति)

Leave is granted

श्री अनूपसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल में एक संशोधन प्रस्तुत हुआ था और उसमें यह ऑब्जेक्शन था कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जिन बातों का उल्लेख नहीं हो, उनके सम्बन्ध में अमेंडमेंट नहीं आ सकता। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स बिल का पार्ट नहीं है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जिन चीजों का उल्लेख नहीं है, वे चीजें भी बिल में आ सकती हैं। लेकिन इस बिल के प्रीएम्बल, जो इस बिल का एक पार्ट है, में साफ साफ यह लिखा है कि इस बिल को बनाने की मन्शा यह है कि इसका अधिकार क्षेत्र सुनैल तथा अजमेर में भी बढ़ाया जाय और बढ़ाने के सम्बन्ध में जो कॉन्सीक्वेन्शियल चेंजेज़ हों वे की जायं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह स्पष्ट है कि जो संशोधन अभी बलोत्तरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था वह संशोधन एक तरह से महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने चाहे ऐसी आज्ञा प्रसारित की हो, इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का संशोधन लाना आवश्यक था, या आवश्यक है, या किस रूप से आवश्यक हो सकता है। प्रिएम्बल में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा जिन चीजों को कवर कर सकती है, मैं समझता हूँ, यह उसके दायरे के बाहर जा रहा है और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था, वह संशोधन इस नाते से आया था कि यह प्रिएम्बल के दायरे के बाहर है। उस संशोधन पर सदन ने निर्णय दे दिया है। ठीक है, लेकिन प्रिएम्बल में जिन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जिन बातों का जिक्र किया गया, उनको कन्सीडर कर सकते हैं। प्रिएम्बल चूंकि बिल का पार्ट है, बिल का पार्ट है इस नाते प्रिएम्बल के अगेन्स्ट जो बात हो, उस पर इस प्रकार के संशोधन पर विचार कर सकते हैं या नहीं? इसमें जो संशोधन रखा गया है, वह प्रिएम्बल की भावना के विपरीति है, जो भी बातें इसमें रखी जा रही हैं, वह मैं समझता हूँ, रखी नहीं जा सकतीं, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर आपका निर्णय चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष का जो पहले निर्णय हुआ था, बिलकुल साफ था। बिल के ऑब्जेक्ट्स और ऐम इस सिलसिले में हर एक प्रोविज़न बिल में रखा जाता है, वह लिखना जरूरी नहीं, ऐसी आज्ञा पिछली दफा अध्यक्ष महोदय ने दी थी, इसलिए क्लॉज़ ४ पर जो यह ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि इसका जिक्र प्रिएम्बल में नहीं है, यह जरूरी नहीं है, यह रूलिंग चेयर ने दी थी। जैसा कि इस बिल के ऊपर भी साफ लिखा है :

"A Bill further to amend the Rajasthan Excise Act, 1950 and to extend the provisions thereof to the Ajmer and Sunel areas."

यह साफ इसमें ऊपर लिखा है, फिर पूरे एक्ट को अमेंड करने के बारे में जिक्र है कि कौन सी क्लॉज़ेज़ का अमेंडमेंट करना जरूरी समझते हैं। जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य ने रेज़ किया है वह पूरा उस रूलिंग से कवर हो जाता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि पहले रूलिंग हो चुका है, बार बार देने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इसकी जानकारी तो अच्छी तरह से प्रोसिडिंग देखने से लगेगी। पहला निर्णय था वह यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के लिये था, उसमें इस बात का निर्णय दिया था कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बिल के पार्ट हैं कि नहीं, माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि बिल के पार्ट नहीं हैं। लेकिन प्रिएम्बल इस बिल का पार्ट है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। बिल का पार्ट होने के नाते जो बात इसमें दर्ज नहीं की गई है, अमेंडिंग सेक्शन्स संशोधन आते हैं उनको कवर नहीं करती, तो ऐसी क्लॉजेज़ में संशोधन नहीं हो सकता। पहले जो निर्णय दिया गया उसमें और इसमें अन्तर है और इसीलिये माननीय उपाध्यक्ष से मैं निर्णय चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : The rulings of the Hon'ble Speaker on the point so raised by the Hon'ble member is clear enough to cover the new points raised. I, therefore, rule out the objection. The point of order is not well taken.

(श्री उपाध्यक्ष)

You will proceed.

(विराम)

The question is that clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill

(विराम)

Now we take clauses 5, 6, 7 & 8.

(विराम)

The question is that clauses 5, 6, 7 and 8 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

These clauses are added to the Bill.

(विराम)

Clause 9, Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में राज्य सरकार की मंशा यह है कि रेवेन्यू बोर्ड से जो रिवीज़न्स होते हैं गवर्नमेंट को अब वे रिवीज़न्स न हों। इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं और जो संशोधन उन्होंने इस कानून के द्वारा मूल कानून में किया है उससे बात भिन्न हो जाती है। वह यह है कि पहले रेवेन्यु बोर्ड से रिवीज़न्स होते थे वे रिवीजन्स क्लेम हैं, एक्साइज़ कमिश्नर के रेवेन्यु बोर्ड में होते थे, रेवेन्यु बोर्ड के सरकार के पास होते थे, उनको खत्म कर दिया है। यदि इस कानून की मंशा यह है कि सरकार क्वेसी जुडिशियल नेचर के केसेज़ हैं, ऐसे पॉवर सरकार नहीं रखना चाहती, यदि यह सरकार की मंशा है तो सेक्शन ९ (ए) की सबसेक्शन २ में ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स का प्रोविज़न है, ९ (ए) को हटाना है तो इसके नेट रिज़ल्टस और होते हैं। एक्साइज़ ऑफीसर का ओरिजिनल ऑर्डर होता है उसके खिलाफ एक्साइज़ कमिश्नरज़ के पास, एक्साइज़ कमिश्नर का ओरीजिनल ऑर्डर होता है उसके खिलाफ रेवेन्यु बोर्ड के पास अपील होती है और रेवेन्यु बोर्ड की अपील सरकार में होती थी। पहले यह बात थी, फाइनल अपील थी पूरे रिवीजन के पॉवर थे, एक्साइज़ कमिश्नर के ऑर्डर का रिवीज़न रेवेन्यु बोर्ड में और रेवेन्यु बोर्ड का गवर्नमेंट में होता था। गवर्नमेंट न इसको एक्सरसाइज़ नहीं करके ठीक किया, पर एक्साइज़ कमिश्नर से जो ऑर्डर होते थे उनकी अपील रेवेन्यु बोर्ड के पास होती थी उनको क्यों हटा लिया? एक्साइज़ ऑफीसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील एक्साइज़ कमिश्नर के पास होती है, एक्साइज़ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील रेवेन्यु बोर्ड में होती थी उसको क्यों हटा लिया, इससे रेवेन्यु बोर्ड का काम बढ़ेगा, यह तो नहीं है यह तो पहले भी होता था। मेरा संशोधन यह है कि मूल एक्ट में संशोधन होते हैं उनका अभिप्राय यह होता है कि एक्साइज़ कमिश्नर के अपीलेंट ऑर्डर का रिवीजन रेवेन्यु बोर्ड में होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : समझ में नहीं आया, साहब।

श्री तनसिंह : समझ में नहीं आया तो कुसूर मेरा नहीं है, फिर अच्छी तरह से समझा दूं।

"Delete part (1) of clause 9,"

Clause 9 means clause 9 of the Amending Bill.

क्लॉज़ ९ है अमेंडमेंट बिल का।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ ६ (ए) 9A is the section. Clause 9 is the Bill.

श्री तनसिंह : क्लॉज़ ६ में सब-क्लाज़ (१):

"In sub-Clause (iii) the words, figures and brackets, subject to revision shall be omitted."

अब यह ओरिजिनल बिल, १६५० के सेक्शन ६ को लें, उसके सब-सेक्शन (३) के ये शब्द हटा देते हैं :

"Subject to the result of the revision, if any, under sub-section (4)..."

यह हटा दिया जाता है इसका मतलब यह है कि पहले की क्लॉजेज़ के माफिक रिवीज़न होता नहीं था, अब सब-सेक्शन (४) है, क्लॉज़ ६ ऑफ दी बिल और सब-क्लाज़ (२) इसके मुताबिक सब-सेक्शन ४ बिलकुल हटा दिया....

"Government may revise any order passed by the Excise Commissioner or the Revenue Board."

यह सब-क्लॉज़ हटा दिया। लेकिन पहले के क्लॉज़ में यह है। अब मैंने क्या किया है, उसमें इसकी जगह सब्स्टीट्यूट किया है :

The follwoing be substituted for part (ii) :- "In sub-section (4), the word 'Bord of Revenue' be substituted for the word 'Government' and the words 'or the Board of Revenue' occurring at the end be omitted."

तो जो यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यु सब-सेक्शन (४) के अन्दर ओमिट किया है यह ओमिट हो जाय और गवर्नमेन्ट की जगह बोर्ड ऑफ रेवेन्यु होता है तो सब-सेक्शन (४) मेरे अमेन्डमेन्ट के बाद इस प्रकार से होगा :

"The Board of Revenue may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner."

यह सब-सेक्शन (४) की सूरत होगी मेरा अमेन्डमेन्ट मंजूर होने के बाद में। सब-सेक्शन (३) पहले जैसा ही रहेगा। इसका मतलब होगा: "(3) The decision of the Excise Commissioner or the Board of Revenue as the case may be, on such appeal, shall subject to the result of revision, if any, under sub-section (4) shall be final."

यहां सब-सेक्शन (३) ऑफ सेक्शन ६ (ए) तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन सब-सेक्सन (४) ऑफ सेक्शन ६ (ए) का है वह इस तरह से बदलेगा :

"The Board of Revenue may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner or the Board of Revenue".

श्री नाथूराम मिर्धा : रिवीज़न का प्रोविजन नहीं है।

श्री तनसिंह : यह तो प्रोविजन नहीं है आपके पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो रिवीजन के पॉवर्स हटा दिये हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट के तो हटा दिये।

श्री तनसिंह : एक्साइज़ कमिश्नर से रेवेन्यु बोर्ड को रिवीज़न के पॉवर्स थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है उनकी बात को मैं ठीक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तरह से समझ नहीं पाया हूं या फिर वह अपनी बात को ठीक तरह से समझा नहीं पाये हैं। उनका यह ख्याल है कि जो क्लॉज़ ६ इस बिल के अन्दर है उसका हिस्सा एक तो मैं बिलकुल काट दूं। इसका मतलब यह होगा कि जो अभी क्लॉज़ ३ है वह बिलकुल जैसा का जैसा ही रहे। इसका मतलब यह है कि क्लॉज़ ४ जिसको हम बिलकुल हटाना चाहते हैं वह भी फिर कायम रहे। तो इसको हटाकर के जो सब्सटीट्यूट दूसरा करने की बात कही है। रिवीज़न्स के पॉवर्स रेवेन्यु बोर्ड के पास रहने चाहिये यह उनका मुद्दा है, तो अभी जो मौजूदा कानून है उस कानून की हम क्लॉज़ ६ (ए) है उसको पढ़ें तो उसमें जो वर्ड्स हैं :

"Appeals and revision.-(1) An appeal shall lie- (a) To the Excise Commissioner from an order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) To the Board of Revenue from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise then on appeal."

Then the second is :

"(2) Any appeal under sub-section (1) may be preferred at any time within sixty days from the date of the order complained of."

This is time-limit. Then the third says :

"(3) The decision of the Excise Commissioner or the Board of Revenue, as the case may be, on such appeal shall, subject to the result of revision, if any under sub-section (4) be final."

Here the finality of the order was that of the Revenue Board and the Excise Commissioner. So no revision lay to all those authorities except revision which lay to the Government. Now when we want to remove the powers of revision from the Government and we say that sub-section (4) be deleted, and when this would be done, then under sub-section (3), the words used are "subject to the result of revision", and the amendment of the Hon'ble member is that sub-section (4) should also be deleted, because if they are not deleted, then (4) cannot also be deleted. So the reivsional power which the Government had before-hand, if we do not want to keep them and the appeal provided shall be only upto the Excise Commissioner in those cases, therefore, no revision powers were there even with the Revenue Board or any other body below that of the Government when there are no revisional powers at all so far. There is no question of the Revenue Board being given the revisional powers under the clause. Therefore, the amendment of the Hon'ble member has got no meaning and should not be accepted by the Hon'ble members and the amendment should be withdrawn,

श्री अर्जुनदास : I think the Hon'ble Minister-in-charge has not tried to understand the point involved in this amendment at all.

Page No.85

श्री उपाध्यक्ष : Shri Anoop Singh.

श्री तनसिंह : I have to reply to it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Let the other Hon'ble member move his amednment and then you can reply. Hon'ble Shri Anoop Singh.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ९ में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि क्लॉज़ ९ के जो सब-हैडिंग्ज़ हैं मार्जिनल हैडिंग "अपील्स एण्ड रिवीज़न" है उसमें "Add the following new part to the clause:- (iii) the words 'and revision' occurring in the marginal heading of section 9A of the Principal Act be omitted." उसमें यह जरूर होता है कि जब अपील सिर्फ रेवेन्यु बोर्ड तक ही रह जाती है तो उसके बाद में गवर्नमेन्ट को यह कोई हक नहीं रहता है कि आगे किसी तरह इन्टरफियर कर सके । इसलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेन्ट का ऑवरऑल सुपर्वीज़न रहना जरूरी है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि मेरा यह अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट कर लिया जाय ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, I rise to support the amendment tabled by the Hon'ble member, I do not know from which constituency. I believe, Sir, the Hon'ble minister has not tried to under stand, what the amendment is. The legal position today is that under sub-section 9A, if any small officer, say the Excise Officer, passes an order, appeals can be filed before the Excise Commissioner and thereafter no revision can be filed before the Revenue Board, but a revision can be filed before the Government. Now if you want to do away with the right of revision before the Government, then why not make a provision of that revision before some other authority, especially when...

श्री नाथूराम मिर्धा : There is a provision of appeal already.

श्री अर्जुनदास : To?

श्री नाथूराम मिर्धा : The Board of Revenue.

श्री अर्जुनदास : As a matter of fact that is not the position. Appeal would not lie to the Revenue Board, if you say the right of appeal to the Board of Revenue is there, then of course the amendment suggested from this side has no force at all. But as I can understand there is no right of appeal to the Board of Revenue and for that I will read out this very section 9A:-

"(b) To the Board of Revenue from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal."

These very words "otherwise than on appeal" are significant. The interpretetion which at present the Hon'ble Minister-in-charge has tried to suggest would be correct only when the following words would not have been there in sub-part (b) "otherwise than on appeal." Do away with these words. Then of course the right of revision does

(श्री अर्जुनदास)

lie,but if you keep these words or continue to keep these words, then certainly no revision would lie. Revision would lie before the Board of Revenue only to an order passed on the original side by the Excise Commissioner, but if the Excise Commissioner passes an order in appeal, then no revision would lie by the Act as it stands today. I believe the Hon'ble Minister, by the words which he uttered also agrees with us that there should be a right of revision to the Board of Revenue. He agrees with us on that point. But the phraseology that is involved in the Act does not convey what the Hon'ble Minister means to convey. Therefore, on the point of phraseology even, I will request the Hon'ble Minster to concede to this amendment, or if you cannot coincide to this amendment, then you might drop the words "otherwise than on appeal." If you keep these words, then the meaning would not be what the Hon'ble Minister has tried to suggest. Therefore, one of the two amendments should be incorporated in this section. Either the amendment moved by my friend sitting in front of me (Shri Tan Singh) or the deletion of these words "otherwise than on appeal"

श्री उपाध्यक्ष : Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं उसमें जो माननीय मंत्री महोदय ने रखा है वे शायद इस विषय का बहुत अच्छी तरह ज्ञान रखते हों ;

"More particularly the provision for revisions to lie to the State Government from orders of the Board of Revenue has been omitted because the power of a quasi-judicial nature in the State Government is not appropriate with the times and runs contrary to the adopted policy of Government."

अब कह सकते हैं कि रिवीज़न खत्म करने की जो बात कही गई है वह यह कही गई है कि,

"......Revisions to lie to the State Government from the orders of the Board of Revenue has been omitted."

इसका मतलब यह है कि पहले जो रिवीज़न रेवेन्यु बोर्ड में होता था वह स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि यह समय के अनुसार नहीं है। लेकिन जो पहले रिवीज़न कमिश्नर से होता था स्टेट गवर्नमेन्ट को यह रिवीज़न की क्या चीज हटा दी गई है ? या तो गवर्नमेन्ट यह कहे कि रिवीज़न के झमेले में हम पड़ना नहीं चाहते। रिवीज़न बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में होना चाहिये, हम तो रिवीज़न को खत्म कर देना चाहते है। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एन्ड रीज़न्स में जो बातें दी गई हैं उसमें जो यह लिखा है कि समय के अनुकूल न होने से बदल रहे हैं, तो रिवीज़न कोई वस्तु ही नहीं होनी चाहिये, ऐसा लिख दिया जाता तो यह बहुत ही ज्यादा

(श्री तनसिंह)

स्पष्ट हो जाता। गवर्नमेंट रिवीजन के पॉवर रखने को नहीं, इसलिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को यह पॉवर्स देना चाहते हैं तो यह बात ठीक भी रहती। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को जो रिवीज़न का अधिकार है उसको आप न लें तो ठीक, एक्साइज़ कमिश्नर के जो अपील के ऑर्डर्स हैं यह स्टेट गवनमेन्ट के पास रिवीज़न के लिये जाते हैं वह क्यों न रेवेन्यु बोर्ड को सुपुर्द कर दिये जांय ?

आप कहते हैं कि रेवेन्यु बोर्ड के पास एक्साइज़ कमिश्नर की अपील होती है। सेक्शन ६ ए में स्पष्ट है कि एक्साइज़ कमिश्नर की ओरीजनल ऑर्डर्स की अपील रेवेन्यु बोर्ड में होती है। एक्साइज़ ऑफिसर के ऑर्डर्स हैं वह एक्साइज़ कमिश्नर के पास आये और वहीं पर उसका फैसला फाइनल हो तो दूसरी अपील का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इससे पूर्व जो रिवीज़न होता था वह स्टेट गवर्मेन्ट को होता था, अब मैंने जो संशोधन रखा है उसके अनुसार वे पॉवर्स भी स्टेट गवर्नमेन्ट को रखना नहीं चाहिये और एक्साइज कमिश्नर के अपीलेट ऑर्डर्स हैं तो भी रेवेन्यु बोर्ड को रहने चाहिये। रेवेन्यु बोर्ड स्वयं अपने आप में एक जिम्मेदार कोर्ट मानी जा सकती है, इसलिये उसका रिवीज़न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं और एक्साइज़ कमिश्नर ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी के आदेश हैं वह कानूनी गलती भी कर सकता है, वैसी अवस्था में उसके ऑर्डर्स को फाइनल करार नहीं दिया जाना चाहिये। अगर सरकार की यही मन्शा हो कि एक ही अपील हो और वही आखिरी और फाइनल हो तो किसी व्यक्ति को सच्चे रूप में न्याय मिलना कठिन हो जाता है। एक्साइज़ कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है इसलिये जुडिशियल नेचर से किसी भी केस को डिसाइड करने की बात को अक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में जहां तक रिवीजन का प्रश्न है पहले जो गवर्नमेन्ट को होता था वह रेवेन्यु बोर्ड को होना चाहिये, रेवेन्यु बोर्ड लॉ पॉइन्ट से हरेक बात को डिसाइड कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की इस बारे में बहस सुनी और फिर गौर से इस बिल को देखा। देखने से मुझे पता चला जो माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, उसमें तथ्य है। जैसे अभी जो अपील होती है, ऑरीजिनल ऑर्डर्स की अपील जो होती है एक्साइज़ कमिश्नर को होती है, उसकी अपील रेवेन्यु बोर्ड को होती है और उसका फैसला फाइनल होता है, इसके मुताबिक दोनों फैसले फाइनल होंगे।

मन्शा यह है कि ऑर्डर्स जो एक्साइज़ ऑफिसर के होते हैं जिनकी अपील एक्साइज़ कमिश्नर को है उसका रिवीज़न रेवेन्यु बोर्ड में हो सकता है और होना भी चाहिये ; यह वाजिब है। इस संबन्ध में माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया उसको रखने से उसका सही मतलब निकलता है, इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Tan Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that the amend-

(श्री उपाध्यक्ष)

ment put in by Hon'ble Anoop Singhji......

श्री अनूपसिंह : मैं अपने संशोधन वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Anoop Singh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री अनूपसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The qnestion is that clause 9, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 9, is added to the Bill, as amended.

(विराम)

क्लॉज़ेज १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १६, २० व २१।

(विराम)

Now the question is that clauses 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 to 21 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 10 to 21 are added to the Bill.

(विराम)

शिड्यूल।

(विराम)

Now, schedule. The question is that the Schedule stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The schedule is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि।

(विराम)

Now the question is that Clause 1, enacting formula and the Preamble and the Title of the Bill stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

They are added to the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

३.३७ म० प०

फ्रेजर ब्रिज टोल टैक्स (वैधकरण) विधेयक, १६५७

(वाद-विवाद स्थगित)

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि फ्रेजर ब्रिज टोल टैक्स वेलिडेशन बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत करता हूँ। वह आपत्ति यह है कि इस बिल को संविधान के अनुच्छेद १६६ के अनुसार मैं इसको मनी बिल मानता हूं। मनी बिल की डेफीनिशन यह है :

"199 (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

यह जो टैक्स है "Regulation of tax" मानता हूं, अनुच्छेद १६६ के पार्ट (१) के मुताबिक। Then Article 207 of the Constitution reads :

"207. (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Louncil."

अब हमारे Rules of Proced ११ and Conduct of Business के नियम ६३ के उपनियम (२) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ;

"93. (2) If a motion in respect of any Bill or amendment cannot under the provisions of the Constitution be made save with the previous sanction of the President or the recommendation of the Rajpramukh, the Bill or amendment, as the case may be, shall be accompanied by the necessary sanction or recommendation."

तो इस बिल के साथ में न तो कोई राज्यपाल की सैंक्शन है और न it is accompanied by such sanction or notification. तो मेरा यह निवेदन है कि यह एक मनी बिल होने के कारण इसको मूव करने और आगे प्रोसीड करने की इजाजत न दी जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, जो एतराज माननीय सदस्य ने रक्खा उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह मनी बिल नहीं है। यह सीधा सा बिल है कि जो टैक्स हमने वसूल किया था एक पुल के ऊपर से निकलने वाली गाड़ियों से, उनसे भविष्य में यह टैक्स लेना नहीं चाहते और जो ले लिया है उसको लीगल सैंक्शन देने के लये यह एक छोटा सा कानून पेश किया है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : छोटे-मोटे का सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान नियम ६३ (४) की तरफ खींचता हूं और उसी मुताबिक मेरा निवेदन है कि चूंकि माननीय मन्त्री महोदय इस पर डिस्प्यूट करते हैं ऐसी स्थिति में गवर्नर के पास उनके निर्णय के लिए इसको भेज दिया जावे।

यदि यह कहा जाता उनकी तरफ से कि इस पर गवर्नर की रिकमन्डेशन्स हैं तब तो मुझे दूसरी बात पर विचार करने की आवश्यकता पड़ती पर उन्होंने तो बताया कि रिकमन्डेश नहीं है और न वे मानते हैं कि यह मनी बिल है। इसलिये यह एक डिस्प्यूट

(श्री तनसिंह)

एराइज हो गया है। ऐसी स्थिति में इसे इस रूल के मुताबिक राज्यपाल को रेफर कर दिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूरत होगी तो फिर कर लेंगे।

श्री तनसिंह : कानून फिर क्यों चेंज किया जाना चाहिये एक और....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On this point I would like to say something. I believe, Sir, this point of order raised is certainly correct to half an extent, Sir, if not fully.

(हंसी)

And I believe sub-rule (4) lays down that if there be any dispute, i. e. if any objection is taken and the Chair agrees with that objection, of course no dispute arises, then all that I submit is that sub-rule (4) lays downs that if the presiding authority here, the Hon'ble Speaker or whosoever may be, the presiding authority, if he happens to agrees with the point of order raised, that is a Money Bill. then of course the matter cannot, be referred. If the presiding authority dose not agree with the point of view. then the matter has got to be referred. So if the Deputy Speaker, who happens to be the presiding authority, happens to agree that this is a Money Bill, then no reference can be made at all, Sir. Reference can be made only when the presiding authority dose not happen to agree with the Hon 'ble member who has raised the point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Well, there is a letter from the Law Secretary pertaining to this present question and I would like to enlighten the House so far as the contents of the letter are concerned.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : May I submit that this letter of the Law Secretary is a waste paper before us. He can not change our mind. A letter from the law Secretary is not a sermon for us. I think it will be a grave insult to us, because the Law Secretary is no authority. If there were a letter from the Advocate-General then I can say I can accept this thing, but if the Law Secretary takes some decision he may have some interpretation but the interpretation as regards my point of order is quite clear. I can submit, Sir......

मैं मान सकता हूं कि लॉ सेक्रेटरी का राइटिंग में लिखा आया, पर कहां से? इससे प्रतीत होता है कि आपके यहां से लिखा गया हो कि मनी बिल की तारीफ में आता है आप इस पर.. ....

श्री उपाध्यक्ष : I am not giving the letter any consideration. That will remove the whole difficulty. Let us come to a decision now.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महो॰

(श्री तनसिंह)

दय, आपने फरमाया कि लॉ सेक्रेटरी का जो लेटर है वह पढ़ कर सुना दूं। मैं आपकी इस चीज के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि आपका डिसीज़न लॉ सेक्रेटरी के लेटर पर डिपेन्ट नहीं होना चाहिये। लॉ सेक्रेटरी के लेटर को ऑथोरिटी मानना और उस पर कोई डिसीज़न लेना हमारे सदन की प्रतिष्ठा के प्रति बड़ा धक्का होगा।

श्री उपाध्यक्ष : The question can not now be dragged on. I have heard the point and my observations will be based on my own study.

श्री अर्जुनदास : You were not so clear, therefore he continued.

श्री नाथूराम मिर्धा : The Chair is very clear.

श्री अर्जुनदास : Now.

श्री उपाध्यक्ष : Well the contention of Shri Tan Singh is that he contends that the Bill in question is a Money Bill. My observations are that the Bill is not a Money Bill. Therefore, this point raised by him with reference to the Constitution is untenable and I rule out the point of order so raised.

श्री तनसिंह : तब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल ९३ (४) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ऐसी अवस्था में यदि यह बिल मनी बिल है या नहीं और इसके लिए प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है या नहीं इसका निर्णय चेयर नहीं कर सकती। चेयर यह कह सकती है कि यह डिस्प्यूटेबल है, इस अवस्था में राज्यपाल को रेफर किया जाता है। अगर इस पर आप ही निर्णय कर देते हैं तो राज्यपाल के पास डिस्प्यूट की स्थिति में भेजने की जो बात इस रूल में है उसको इसमें इन्कोर-पोरेट करने की आवश्यकता नहीं थी। जब इस प्रकार का डिस्प्यूट हो ऐसी अवस्था में यह बात जो राज्यपाल की ओपीनियन के लिये है वह भेजी जानी चाहिये, whose decision on the question shall be final.

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to Rule 93 ?

श्री तनसिंह : Rule 93 (4):

"If any question arises whether a Bill is or is not a Bill which requires such sanction or recommendation, the question shall be referred to the Rajpramukh whose decision on the question shall be final."

श्री उपाध्यक्ष : 93 (2) ?

श्री तनसिंह : (4). इसलिये अब क्योंकि यह ऐतराज उठ गया है कि आया यह मनी बिल है या नहीं और इसमें बहुत से सदस्यों का मतभेद है, मैं आपका ध्यान ९९ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : You need not now convass the ruling. Speaking again on the complications of the issue would mean something going against the ruling itself.

श्री तनसिंह : No, Sir. मेरा निवेदन यह है कि आपका किसी कानून के अनुसार ही डिसीज़न हो और रूलिंग हो। पर चूंकि मेरा निवेदन इस विषय में है कि डिस्प्यूट अराइज़

Page No.92

(श्री तनसिंह)

होता है कि आया यह मनी बिल है या नहीं, ऐसी स्थिति में आपको रूलिंग देने का अधिकार नहीं है और इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस विषय में अब निर्णय देने का अधिकार राज्यपाल को है और राज्यपाल का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। ऐसी अवस्था में आपका दिया हुआ निर्णय इस बात का द्योतक है कि यह डिस्प्यूटेबल है। मैं सिर्फ इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह डिस्प्यूटेड मामला आपके द्वारा उठाया गया है। तो it makes my point of order disputable and as such it should be referred to the Rajyapal.

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनिट मुझे कहने दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य रूल ६३ (४) बता रहे हैं और उस पर कहते हैं कि एक बार जो पॉइन्ट खड़ा हो गया कि यह मनी बिल है या नहीं, तो फिर इसका फैसला करने का आपका अख्तियार नहीं है वह तो गवर्नर को रेफर होना चाहिये। अगर इस एनोलोजी पर विचार करें तो इसके पहले भी एक बिल आया था और उस वक्त भी पॉइन्ट खड़े होकर रेज़ कर देते कि यह मनी बिल है, आगे प्रोसीड नहीं होना चाहिये और क्योंकि मैंने तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर अब रेज़ कर दिया है इसलिये गवर्नर साहब ही फैसला करें, यह ठीक नहीं है। यह दलील कुछ समझ में कम आती है माननीय उपाध्यक्ष।

श्री तनसिंह : आपकी समझ में तो आती नहीं है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह दलील देना कि एक दफा किसी ने कह दिया कि यह मनी बिल है और जब तक इस पोइन्ट पर गवर्नर साहब फैसला न दे दें तब तक उसका निर्णय चेयर द्वारा नहीं हो सकता है, यह समझ में आने की बात नहीं लगती है। कन्सीडरेशन इसका हो सकता है, चेयर यह रूलिंग दे सकती है कि यह मनी बिल है या नहीं?

श्री तनसिंह : माननीय मंत्री यदि रूल ६३ सब-रूल (४) का क्लेरिफिकेशन कर दें, इसको समझा दें तो यह माना जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरा काम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bhatnagar, you wanted to say something ?

श्री सोहनलाल भटनागर : He (Shri Mirdha) has spoken. I do not want to repeat it.

श्री अर्जुनदास : He probably conceived only. He did not deliver the goods ?

(विराम)

Mr. Deputy Speaker, Sir, I think Rule 93 (4) is very clear. All that it lays down is that if any question arises whether a Bill is a money Bill or not, the question has got to be referred to the Rajpramukh whose decision shall be final. The Hon'ble Minister while challenging this could not explain the meaning of this clause. All that he suggested is that the clause should not have been framed as it is, and that it should have been framed in some other manner.

(श्री अर्जुनदास)

That is quite a different thing. We are not suggesting whether the clause is good or bad. All that we suggest is that the clause is there and we have got to accept the clause as it stands today, unless the Hon'ble Minister or somebody else moves an amendment to this clause itself. Till the clause be amended, we have got to accept it as it stands today. Under the clause, as it stands, this right has been left only to the Hon'ble Rajpramukh, that is, now the Governor of this State, to decide whether this Bill is a money bill or not. As soon as your Honour has said that you hold that this is not a money bill, after your ruling, sub-rule (4) comes into play. Before your ruling sub-rule (4) did not come into play at all. You said that according to you this is not a Money Bill. Unless you gave your ruling, 4 could not have come to play at all.

श्री तनसिंह : Then only sub-rule (3) would have come into play.

श्री अर्जुनदास : Yes; but as soon as the ruling has been given, sub-rule (4) comes into play. According to the Deputy Speaker, who is the presiding authority, this is not a Money Bill. We accept that ruling and having accepted that ruling we try to move a little further, much against the wishes of te Hon'ble Minister-in-charge who does not want to read what it is. We are not concerned with what should have been laid down, but we are concerned with what is laid down in this clause. I would only request the Hon'ble Minister to get up and tell us that there can be two opinions or interpretations of the sub-rule (4). What should have been the legal position is another thing.

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्टरप्रिटेशन तो चेयर देगी।

श्री अर्जुनदास : आपने कुछ समझा नहीं है और न समझने की कोशिश की, यह हमारी बदकिस्मती है । So then, Sir, I also hold with Hon'ble Tan Singhji that sub-rule (4) comes into play and better the matter must be referred to the Governor of the State.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Mr. Deputy Speaker, I would like to know one thing. Rule 93, sub-rule (1) provides that "every bill forwarded by the Government to the Assembly shall be accompanied by a memorandum or certificate stating therein whether or not under any of the provisions of the Constitution any motion in respect of such Bill shall require the previous sanction of the President or recommendation of the Rajpramukh."

Mr. Deputy Speaker, will the Member-in-charge of the Bill give information to this House whether any such memorandum or certifi-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

cate has been annexed to the Bill when sending it to this Assembly.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरा काम नहीं है।

श्री तनसिंह : We are entitled to know this from the Hon'ble Minister.

श्री अर्जुनदास : Even sub-rule (1) of Rule 93......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That seems to be a mandatory provision. Every Bill forwarded to the Assembly shall be accompanied by a memorandum or certificate.

श्री नाथूराम मिर्धा : That I have done.

श्री उपाध्यक्ष : That position is clarified under sub-rule (3). "No motion whatsoever in respect of any Bill or amendment shall be permitted by the Speaker until the requirements of sub-rule (2) is complied with."

श्री अर्जुनदास : गलती हो सकती है इसलिए तो पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी कार्यवाही कर दी गई है। जब तक कि अध्यक्ष कह नहीं देते हैं........

श्री अर्जुनदास : आपके कहने से हो गई है।

श्री अनूपसिंह : Under Rule 93 (4) जब यह डिस्प्यट एराइज़ हो गया है कि यह मनी बिल है या नहीं, वैसी सूरत में इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है कि यह गवर्नर के पास जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ख्वामख्वाह ही करते हैं?

श्री अर्जुनदास : We will rise only at the proper time.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने हरएक बिल पर कोई ऐसा एतराज नहीं उठाया है। इस सम्बन्ध में हमने जो कुछ बातें रखी हैं उनमें तथ्य हैं। यह आर्टिकल १९९ के सब-क्लॉज़ १ में आता है या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं आता है।

श्री तनसिंह : कैसे नहीं आता है, इसको आप स्पष्ट कर दीजिये रीजन्स देकर। आपने टैक्स लिया है जिसके पीछे कोई सेन्कशन नहीं थी। आप इसको क्लीयर कर दीजिये। It is regulation of tax. That was not in accordance with law and you are now framing a law regularising it. I think it is regulation and for that reason it comes within the purview of Article 199 of the Constitution and as such the previous sanction of the Governor is necessary.

वैसे तो हरएक आदमी हरएक बिल के लिए उठा ले और डिस्प्यूट अराइज़ हो जब कि फैक्ट्स हैं तो यह मंत्री महोदय का फर्ज हो जाता है कि वे इसको क्लीयर करें। जब तक मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से, केटेगेरीकली नहीं बता देते हैं कि यह मनी बिल नहीं है तब तक यह प्रश्न रहता है। यदि रेगुलेशन्स

(श्री तनसिंह)

टैक्सेज़ में नहीं आते हैं यह वे ऑथोरेटेटिवली कोट करें। चूंकि वे मंत्री हैं, माबदौलत हैं और जो कुछ उन्होंने कहा, the word of his is law, I do not think and I cannot agree.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल १९९ को देखा जाय और 'रेग्यूलेशन' शब्द के इन्टरप्रिटेशन को देखा जाय। यदि उसका मतलब वैलीडेशन से निकलता है तो दरअसल में वह मनी बिल की डैफिनिशन में आता है और उसकी सेन्क्शन लेना जरूरी है और यदि 'रेग्यूलेशन' का मतलब वेलीडिशन से नहीं है तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होगा। तो 'रेग्युलेशन' शब्द का इन्टरप्रिटेशन करना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : I prefer to do justice to the points raised by the Hon'ble member and, therefore, I postpone the decision on the issue till tomorrow.

४.० म० प०

राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) निरसन विधेयक, १९५७

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान रिव्यु एण्ड वेलीडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स (रिवाइवल) रिपील बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The questisn is that the Rajasthan Review & Validation of Rent Rates (Revival) Repeal Bill, 1957, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

It is taken into consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अमेन्डमेन्ट्स नहीं हैं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

४.२ म० प०

श्री तनसिंह : अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो ही बिल रहते हैं एक तो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु अमेन्डमेन्ट बिल और दूसरा यह राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ एक्सटेन्शन बिल, तीसरा एक और म्युनिसिपेलिटी बिल रहा है उसको तो हम फिर खूब आराम से करेंगे। अतएव ये दो बिल्स, कल के लिए काफी काम है और कल के दिन ये दोनों पास हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let us have an idea.

श्री तनसिंह : ये दो बिल्स हो जायेंगे। यदि सरकार की मान्यता है कि सर्दियों के दिनों में यहीं बैठा जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है।

राजस्थान रेवेन्यू लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : My sugg-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

estion is that the Rajasthan Land Revenve Bill be taken up tomo.-rrow. There is another Bill-Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957, which may be taken up today.

श्री तनसिंह : इसमें कई संशोधन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : I hope some of the amendments will be withdrawn. It is a most formal law which is before the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप विदड्रॉ करने वाले हैं तो आज ही करलें और विचार करने वाले हैं तो कल कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : Let us take the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957.

४-५ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रेवेन्यु लॉज (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रेवेन्यु लॉज (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के सामने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एमेंडमेंट बिल, १९५७भी है। यह जो विधेयक हमारे माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इस विधेयक के अन्तर्गत राजस्थान में लागू जो रेवेन्यु के लॉज़ हैं, उनको उन्होंने आबू, सुनैल और अजमेर के एरियाज़ में एक्सटेन्ड किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि उन्होंने लिखा यह है लेकिन सारे विधेयक की क्लॉज़ेज़ को पढ़ने के बाद यह ज्ञान होगा कि इसमें बड़े संशोधन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एमेंडमेंट बिल, १९५७ के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि उस पर कल विचार करेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से पीसमील में लेजिस्लेशन पास नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो हम राजस्थान लैण्ड रेवेन एक्टयु में संशोधन करने वाले हैं जिसके लिए दूसरा बिल ला रहे हैं और दूसरी ओर उसी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वगैरह की दृष्टि से इस समय एक दूसरा कानून आज हम बनाने जा रहे हैं, जिस कानून के अन्तर्गत जितने भी रेवेन्यु लॉज़ हैं राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट आदि उनके प्रोवीजन्स को इन तीन नये हिस्सों में एक्सटेन्ड करने जा रहे हैं, उसी एक्ट की तहत, उसी विधेयक के अन्तर्गत हमने इन दोनों कानूनों में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) बिल के अन्तर्गत राजस्थान के रेवेन्यु लॉज़ में संशोधन करने जारहे हैं तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एमेंडमेंट बिल की अलग आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस तरह से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पीसमील लेजिस्लेशन पास नहीं करें और इन सारे प्रोवीजन्स को, जितने भी हम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में करना चाहते हैं उन सारे संशोधनों को एक ही कानून के द्वारा पास करना चाहिए। इस प्रकार की परम्परा जो हमेशा से चली आ रही है और जो परम्परा बड़ी स्वस्थ है, मैं समझता हूं कि उसी आधार पर माननीय मंत्री महोदय इस तरह से पेश करेंगे कि हम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में जो संशोधन करने जा रहे हैं एक दूसरे बिल में और राजस्थान लॉज़ एक्सटेन्शन बिल के अन्तर्गत जो संशोधन करने जा रहे हैं लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में तो इन सारे संशोधनों को एक ही कानून के अन्तर्गत हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि राजस्थान लॉज़ एक्सटेन्शन बिल जो कि सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें सारे, प्रोवीजन्स इन्कॉर्पोरेट करने की दृष्टि से सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और दोनों ही बिलों के बारे में जो संशोधन आये हैं उन पर एक साथ विचार कर लिया जाय।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव या एमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने पेश किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि यह कहा गया है कि जितने भी एमेडमेंट टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में अलग-अलग नहीं लाये जाकर इस बिल में ले लिये जायं और उस पर विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। वहां पर सब विचार हो जायगा। लॉज़ का एमेण्डमेंटस जब जरूरत महसूस होती है तब करते आये हैं और करते रहेंगे। यह कोई नहीं कहता है कि किसी लॉ को परफेक्ट करने के लिए एक दफा बैठकर कम्प्लीट कर लेंगे और उसे परिवर्तन करने की आयन्दा जरूरत नहीं होगी। यह कहना कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने से परफेक्ट लॉ बन जायगा और आयन्दा इसमें कोई एमेण्डमेंट नहीं होंगे, ठीक बात नहीं है। यह एक महज़ फॉर्मल लॉ है कि जो सुनेल, अजमेर और आबू के एरियाज़ राजस्थान में मिले हैं उन पर राजस्थान के रेवेन्यु लॉज़ एक्सटेन्ड किये जा रहे हैं। बम्बई के लॉज़ आबू में थे, सुनेल में मध्यप्रदेश (मध्यभारत)केऔर अजमेर में अजमेर मेरवाड़ा के अलग अलग लॉज़ थे, उनको हटाकर, रिपील करके, राजस्थान के रेवेन्यु लॉज़ को एप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो कॉन्सीक्वेन्शियल चैन्जेज़ और एमेंडमेन्ट्स हैं उनको इन्ट्रोड्यूस किया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता है। मैं इसको अपोज करता हूँ और स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया और उन्होंने यह जो कहा कि अपने अनुभव के आधार पर ये संशोधन लाये जाते हैं, यह बात तो ठीक और सही है। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही दिन में दो-दो अनुभव होते हों, यह मैं नहीं समझता। एक अनुभव के आधार पर एक अमेंडमेंट बिल लायें और दूसरे अनुभव के आधार पर दूसरा अमेंडमेंट बिल हो, एक ही दिन में दो अनुभव माननीय मंत्री महोदय को कैसे होते हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने संशोधन केवल इसलिए रखा था कि विधान सभा के इस सेशन में और इसी सेशन में आज या कल के बीच में दूसरा संशोधन पेश करने जा रहे हैं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिए जो अनुभव एक साथ में आ गये उन अनुभवों को क्यों नहीं एक ही बिल के अन्दर रख दें ? यह हो सकता है कि आज से साल भर के बाद में विधान सभा के आगामी अधिवेशन तक कुछ और नये अनुभव माननीय मंत्री महोदय को हो जायं और विधान सभा के आगामी अधिवेशन में उनको यह आवश्यकता मालूम हो कि कुछ नये संशोधन लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में करने चाहिए। परन्तु जब उनको अनुभव एक साथ हो गये और सारे अनुभवों को दो अमेंडमेंट बिल्स के द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है तो मैं समझता हूं कि उनकी यह दलील कोई मायने नहीं रखती।

जहां तक उन्होंने यह विचार प्रकट किये कि रेवेन्यु लॉज़ के एक्सेटेन्शन का बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या महत्वपूर्ण संशोधन उन्होंने नहीं किये हैं और केवल अजमेर, आबू और सुनेल के जो एरियाज़ राजस्थान में अभी मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों पर इस कानून के द्वारा राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ को एक्स्टेन्ड किया है। माननीय उपाध्यक्ष, अगर यह बात सही होती तो शायद मैं उसका विरोध नहीं करता और संशोधन का प्रस्ताव, इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन बात बिल्कुल इसके विपरीत है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रिएम्बल में लिखा है शायद उसको मान लें तो उसमें यह है कि राजस्थान के टिनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट को इन सारे नये एरियाज़ पर एक्स्टेन्ड कर देना है और जो मैंने सबसे बड़ी आपत्ति उठाई है वह यही है कि प्रिएम्बल में लिखते कुछ हैं और सारे बिल को देखते हैं तो महत्वपूर्ण संशोधन बिल के अन्दर दिखाई देते हैं। यह जो राजस्थान लॉज़ एक्स्टेन्शन बिल है उसके बारे में प्रिएम्बल में लिखा हुआ है :

"......to provide for the extension of certain revenue laws of the pre-organisation State of Rajasthan to the Abu, Ajmer and Sunel areas."

"Whereas with a view to securing uniformity of revenue laws in the new State of Rajasthan as formed by Sec. 10 of the States Reorganisation Act, 1956 (Central Act XXXVII of 1956), it is expedient to provide for the extension to the Abu, Ajmer and Sunel areas of that state of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, as in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan and to make suitable modifications therein for that purpose and for that purpose and for other purposes hereinafter appearing."

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो प्रिएम्बल इस बिल का है, मैं समझता हूं उसको यदि इन तीन क्षेत्रों तक ही एक्सटेन्ड करना है तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आखिर में एक शब्द और बढ़ा दिया जिसका वे जहां कहीं चाहें, पर्पज़ उसके लिये नहीं दिया है, उसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की तहत शिड्यूल दिया है, उस शिड्यूल तक में अमेन्डमेन्ट कर दिया है। छठी क्लॉज है उसमें भी महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट किया है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में भी कई संशोधन रखे हैं। इसमें कई प्रकार की धाराएं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, उनके बारे में भी जो संशोधन आवश्यक नहीं हैं, वे किये गये हैं। लेकिन जो मूल है, फन्डामेन्टल है, बेसिक है उनमें रखने का प्रयास किया गया है। मैं मंत्रीजी से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आज जब सदन के सामने दोनों विधेयक आये हैं तो क्यों न इनको एक ही इन्कोर्पोरेट करदें और जो संशोधन दूसरे बिल में करने जा रहे हैं उनको भी एक में ही क्यों न इन्कोर्पोरेट करलें कंसोलिडेटेड बिल पेश करेंगे तो परम्परा को कायम रखेंगे और दूसरी ओर जो कोम्पलीकेसीज़ का आये दिन निर्माण करते हैं, उनसे जनता को बचा सकें और राहत दे सकें। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है, मैं समझता हूं, मंत्रीजी फिर उस पर विचार करें और कम से कम सिलेक्ट कमेटी के लिये राजी नहीं हों तो दूसरा जो बिल है उसमें दो-तीन प्रोविज़न्स हैं उनको इन्कॉर्पोरेट करके फिर यह बिल सदन के सामने कल प्रस्तुत करें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957, be referred to a Select Committee ?

(अस्वीकृत)

The motion fails.

(विराम)

४.१६ म० प०

The question is that the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957, be taken into consideration ?

(स्वीकृत)

It is taken into consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): There is no amendment so far as the main Bill is concerned. There are amendments in the Schedule. I request that these clauses be passed.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

These clauses are added to the Bill,

श्री दामोदरलाल व्यास : There are no amendments to clauses 5, 6, 7 & 8.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clauses 5 to 8 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 5 to 8 are added to the Bill.

श्री तनसिंह : There is also clause 9, Sir.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : Clause 9. The question is clause 9 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 9 is added to the Bill.

(विराम)

Schedule Part A.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, फर्स्ट शिडयूल के पार्ट ए, सेक्शन ५ में जो वर्ड्स हैं "in accordance with the law in force at the time when such record was made," be deleted.

इस संशोधन को पेश करने का मेरा असली मतलब यह था कि यह एक बहुत वेग चीज़ है : "in accordance with the law in force at the time when such record was made:" इस लॉ का कहीं पता नहीं कि कौनसा लॉ ? उस वक्त लॉ कुछ और था और वह आज बदल गया है। यहां हम आज देखते हैं कि खुदकाश्त, निजी जोत, सीर, हवाला की डेफिनिशन कायम हो गई है और सेटलमेन्ट में उनकी एन्ट्री हो गई हैं और जिसके बारे में रेकार्ड बन गया है उसका कोई वकत नहीं रहेगा और नये लॉ में पहले वाले को हटा कर अलग क्लॉज़ देते हैं इसलिये "in accordance with the law in tarct at the time..." तो यह क्लाज खुदकाश्त, निजी जोत, सीर, हवाला के लिये ही क्यों काम में आती है ? यदि काम में आवे तो हर काश्तकार के लिये आनी चाहिये, लेकिन इसमें जो स्पेसिफाइ किया है हवाला, निजी जोत, सीर वगैरह उसकी तहत में सेटलमेन्ट में एन्ट्री हुई है उन पर यह लागू होगा और किसी पर लागू होता है या नहीं, यह साफ नहीं है, इसलिये जो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रीपेन्सी की जा रही है, सीर, हवाला, निजी जोत, गरखेड़ वगैरह सिर्फ उसकी तहत में हैं बाकी नहीं हैं और खुदकाश्त की डेफिनिशन कानून बना तब दी हुई है, उसमें पहले जागीरें जा चुकी हैं । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत जरूरी है कि : "in accordance with the law in force at the time when such record was made," डिलीट किया जाय, वरना डिलीट न किये जाने से डिस्क्रीमिनेशन रह जाता है और जो जमीन काश्त हुआ करती थी और कृषक के पास जमीन थी, वह सब क्वेश्चन कर दी जायगी, और जितनी एन्ट्रीज़ होंगी, वे क्वेश्चन हो जायगी क्योंकि लॉ बदल गया है, पहले का लॉ दूसरा था । लॉ रास्ते चलते बदलते रहते हैं, मतलब यह कि इसके लिये जाने से खातेदारी टिनेन्ट्स के अन्दर डिस्क्रीमिनेशन किया गया है । The words, "in accordance with the law in force at the time when such record was made,"must be deleted.

ये वर्ड्स हटा देने चाहिए, यह बहुत जरूरी है ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है इस क्लॉज़ पर, उसका मैं समर्थन करता हूं । जो पहला संशोधन है वह यह है कि खुद काश्त की जो डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन में एक नई चीज जोड़ी गई है, जो पहले नहीं थी । नई चीज जोड़ी गई है कि :...."in accordance with the law in force at the time when such record was made." यह चीज नई जोड़ी गई है । अब इससे माननीय मंत्री महोदय का अभिप्राय यह है कि यह जो खुद काश्त, सीर, हवाला, निजी जोत गरखेड़ आदि जो हैं, जो उस कानून के अनुसार उस समय रिकॉर्ड नहीं किये गये हैं, तो आज वे रिओपिन किये जा सकते हैं । मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी कानून के अनुसार रिकॉर्ड्स तैयार हुआ है और उन

(श्री तनसिंह)

रिकार्डस के अन्दर किसी के नाम पर खुद काश्त, सीर, हवाला, निजी जोती, या घरखेड दर्ज हुई हैं, तो हमें यह प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जितने इन्द्राज़ात हैं वे कानून के अन्तर्गत हुए हैं; लेकिन आज माननीय मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि यदि उस समय के कानून के अनुसार कोई कमी रह गई है, तो आज ठीक कर लें। मैं उनकी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जागीर गई, उसको गये कई वर्ष हो गये, लेकिन आज तक भी पूंछ पीटे जा रहे हैं, पूंछ मिट जायेगी तो लकीर पीटेंगे और जब लकीर भी मिट जायेगी, तो क्या पीटेंगे, तब कुछ भी पीटने के लिए नहीं रहेगा ...

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन पीटेंगे।

श्री तनसिंह : जमीन पीटेंगे तो जमीन उनको पीटेगी। मैं कहूंगा कोई कानून है और उसके अनुसार कोई रिकार्ड दर्ज किया जाता है, गलत दर्ज हो गया हो, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको मौका मिलता है कि वह अपील करे, रिवीज़न कराये, रिव्यू कराये, उसको किसी तरह सुधरवाये। अगर उस समय नहीं सुधारा, तो आज कानून खत्म हुआ, यहां तक सन् १९५२ में रिज़म्पशन कानून लगाया, आज सन् १९५७ में नींद उड़ी कि उस समय के रिकॉर्ड में, जिस रिकॉर्ड को २० साल बने हो चुके हैं, उसमें खुद काश्त दर्ज हो चुकी है, आज उसके लिए कहना चाहते हैं कि अगर वह एन्ट्री कानून के अनुसार नहीं हुई है तो वह वापिस ओपन की जा सकती है। मेरा निवेदन यह है ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, with your permission I have to make one clarification. As a matter of fact the present Bill does not relate to the correction of entries in the record of rights. It is only an amendment relating to the definition of Khudkasht. So far as the amendment in the Record of Rights is concerned, it will be taken up tomorrow when a separate Bill is introduced in the House. This is only a simple definition of the Khudkasht land. My Hon'ble friend's argument regarding these entries tenyears past. I think this argument should have been advanced when that Bill is taken into consideration by this House.

I want to make it clear that it is not the intention of this Bill that we will immediately sit down and try to change all the entries in the Record of Rights. If that law is passed then of course we will have to do something. The present definition does not take away rights which have accrued to persons when that law was in force. Therefore, there is no ground for apprehension.

श्री तनसिंह : माननीय मन्त्री महोदय का इरादा कुछ भी हो, लेकिन उनकी डिज़ाइन यह है कि लैंड रेवेन्यु बिल है, जो आज पोस्टपोन्ड कर दिया है, वह कल आयेगा। His intention may be anything......

श्री श्रीभानसिंह : How can his design correspond with your intentions ?

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

सदन में विचारार्थ विधेयक सम्बन्धी जारी किये गये आध्यादेश विषयक निर्णय

श्री उपाध्यक्ष : I postpone the discussion of this Bill in view of the fact that at 4.30 we are to take up half-an-hour discussion. Shri Bhaironsingh had met me in my Chamber. Is he here ? No. He has desired me to declare the decision, and therefore I give my obser vations on the point raised,

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था, वही है या कोई और ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन को कन्सीड किया। लेकिन मुझे आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस पाइन्ट पर कन्सीड नहीं किया है। Hon'ble Shri Bhaironsingh at a stage when clause 35 of the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957 was to be put to votes raised a point of clarification and sought the opinion of the Chair as to the legality of the promulgation of the Rajasthan Secondary Education Ordinance, 1957, and contended that the said Ordinance embodying the provisions of the present Bill was promulgated when the Bill was already pending before the House, having been referred to the Select Committee, and that no Ordinance could have been promulgated during the period of the sittings of the Select Committee, the functioning of which for the consideration of the particular subject should be deemed as if the Assembly was in Session.

(ii) That even if different view of the above constitutional position be taken then too as the said Ordinance together with the statement explaining the circumstances which necessitated the immediate legislation by Ordinance has not been laid on the Table of the House at the commencement of the Session as required by the mandatory previsions of Article 213 sub-clause 2 (a) of the Constitution and Rule 94 (2) of the Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, an illegality has been committed to declare the Ordinance as ultra vires.

(iii) That as the Bill was pending before the Assembly there existed no expediency for the promulagation of such an Ordinance.

The above points were also reiterated by Hon'ble Shri Bhairon Singh and Hon'ble Shri Satish Chandra Agrawal. On the face of the glaring provisions of the Constitution and our Rules of Procedure the legal position of the contention so raised has no force worth consideration. Under Article 213 of the Constitution the 'Governor' has the power of promulgating an Ordinance only when the Legislature is not in session and this power has only been conferred during the recess of the Legislature. The

Page No.103

(श्री उपाध्यक्ष)

period between the prorogation of the legislature and its re-assembly in the new Session is termed as recess. The mere fact that the Bill was before the Assembly does in no way affect the powers of the Governor conferred by Article 213. The wordings of the statute as clear they are, do need no interpretation and cannot as well be misconstrued. Rule 94(2) of our Rules of Procedure and Conduct of Business is clear on the subject in as much as it allows the promulgation of the Ordinance even when the Bill is pending before the House though the Assembly may not be in session and therefore to say that this Ordinance should not have been promulgated when the Bill was in the possession of the House is going beyond the very letters and the scope of the above Article of the Constitution and our Rules.

"Committee as," defined in Rule 1 of our Procedure and Conduct of Business, means any committee appointed by the House or nominated by the Speaker and therefore to make no distinction between the functions and composition of a Committee and Assembly would be only a vain effort of over-looking the very initial principles of our Rules of Procedure. The functions of the Committee and that of the Assembly and their constitution is defined separately and, therefore, to consider the meeting of the Select Committee as the session of the Assembly for a particular subject is to strike at the very root of principles of law enunciated therein.

As to whether Rule 94(2) of the Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly and article 213(2) of the Constitution have been rightly complied with in the present case, it may be pointed out that the position is otherwise than what is stated by the Hon'ble Members.

The list of Business dated 4.11.1957 includes at item 6 the laying down of the said Ordinance together with the statement explaining the circumstances which necessitated the immediate legislation of the Ordinance the relevant documents of which are placed on the Table of the House. Further the proceedings of the House of the same day mentions the compliance of the above item entered in the list. This contention of the Hon'ble Members is, therefore, contraverted by the proceedings of the House and the relevant documents thereof.

The satisfacation of the Governor about the necessity of the immediate action and of passing the Ordinance is purely a subjective satisfaction and is not to be proped in. This has been held to be unchallengeable. It is not necessary that the Ordinance must expressly state in so many words

(श्री उपाध्यक्ष)

that the Governor was satisfied to a certain state of affairs.

Before I conclude, I would like to observe that the points involving the constitutional position of a statute should not be ordinarily raised in the Legislature when once its jurisdiction has ceased. It is left to the Courts of Law alone to interpret the provisions as to its legality or propriety. As the Ordinance in question is now being substituted by the present Bill the defects in the procedure of its promulgation or any other impropriety cannot be the question for the House to be considered at this stage and therefore in no way hinders the House from rushing through the Bill. I am supported in my view by the Ruling of the Chair of this House contained in the proceedings dated 14.9.1954 wherein observation of the same kind have been made.

I accordingly rule out the points so raised by the Hon'ble Members as they are obviously untenable.

श्री पी० के० चौधरी के चम्बल बैराज प्रश्न सम्बन्धी आधे घण्टे का वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : Yes, half an hour discussion.

श्री पी० के० चौधरी : I would request the Hon'ble Minister or the Hon'ble Deputy Minister to be present here.

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes, we are here.

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, तारीख ८ को चम्बल के बांध के बारे में १०३ नं० का प्रश्न पूछा गया था ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This half-an-hour discussion was perhaps postponed on account of the Hon'ble Home Minister being ill.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी बीमार हैं और क्योंकि यह एक दफा पोस्टपोन हो चुका था तो मुझसे कल कहा था कि बार बार पोस्टपोन करना अच्छा नहीं रहेगा, आप इस मामले को देख लें। मैंने देख लिया है और सदन में माननीय सदस्यों की जो बहस होगी, उसका पूरा जवाब देने की पोजिशन में हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, आज का यह हाफ एन अवर डिस्कशन, ८ तारीख को चम्बल के बारे में १०३ नम्बर का सवाल पूछा गया था और उसके जवाब में माननीय डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर इन्चार्ज की तरफ से कुछ कन्ट्रॉडिक्टरी रिप्लाई मिला था और उससे सदन के सदस्यों के मन में और पब्लिक के मन में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता था और जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी गई थी, वह नहीं मिली इसलिये इस डिस्कशन की मैंने मांग की थी।

सबसे पहले माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये जो सवाल मैंने पूछा था और उसका जवाब दिया गया था, उसको संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूं।

मैंने सप्लीमेंटरी सवाल यह पूछा था कि फ्रेंच इन्जीनियर की टर्म्स ऑफ रेफेरेंस

(श्री पी. के. चौधरी)

क्या थी ? उन्होंने जवाब में कहा था कि कोई टर्म्स ऑफ रेफेरेंस नहीं थीं।

मैंने दुबारा पूछा कि क्या फ्रेंच इन्जीनियर ने दो सजेशन्स दिये; एक अमेंडेड डिज़ाइन का और दूसरा न्यू कट ऑफ का। इसके जवाब में कहा गया था कि ऐसा नहीं है।

फिर यह पूछा था कि फ्रेंच इन्जीनियर ने उनकी रिपोर्ट में बताया कि शीट पाइल्स फेल हो गये हैं ! इसके जवाब में कहा, नहीं हुए हैं।

फिर यह पूछा था कि शीट पाइल्स से सीपेज बन्द नहीं होता है तो इसके जवाब में बताया था, नहीं यह भी गलत है।

फिर मैंने यह सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि चम्बल नदी में एल्युवियल मेटीरियल से डेप्थ ५५ फीट नीचे है, इसके जवाब में कहा गया था, सर्टेन्ली नोट। इसके बाद होम मिनिस्टर ने इस पर थोड़ा खुलासा किया था कि शीट पाइल्स ठेठ लेवल तक नहीं पहुंची है, बोटम तक नहीं पहुँची है पर दो तिहाई २।३ दूरी तक गई है।

फिर मिनिस्टर इन्चार्ज से यह पूछा था कि फ्रेंच इन्जीनियर ने अमेन्डेड डिज़ाइन पास किया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अमेंडेड डिज़ाइन की कोई बात नहीं है।

फिर मैंने यह पूछा था कि क्या शीट पाइल्स करीब २०–२५ फुट नीचे जाकर बेकार हो गये हैं, इसके जवाब में कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ है।

फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन्टरफियर किया कि पार्लियामेंट में पाटिल साहब ने बता दिया कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

इसके बाद में मैंने प्रार्थना की थी कि कम से कम सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दी जाय, तो इससे भी इन्कार कर दिया गया। मेरे पास फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है, लोक सभा की लाइब्रेरी से मैंने हासिल की है। हर एक जवाब जो पढ़ कर सुनाया, उसका रिलेवेन्ट पोर्शन फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट में है, वह भी मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ। जहां तक टर्म्स ऑफ रेफेरेंस का सवाल था फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट में यह लिखा है :

"The aim of this visit was to propose to the Engineers way of carrying out the water-tight-cut in the alluvials......"

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please realise that the time allotted for the purpose is half-an-hour. If his statement will be lengthy, it will be curtailing the time of the Hon'ble Minister.

श्री पी. के. चौधरी : No, I am referring to the facts only. The sheet piling work started last year due to the presence of the (अश्रव्य) separation has been very difficult and a small percentage only of the sheet-piles reached the regular levels. It is likely that some of them have got torn. In

(श्री पी. के. चौधरी)

an exploratory well to investigate the nature of the alluvial at a depth of 20 feet, one sheet-pile was found torn.

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

फिर जहां तक शीट पाइल्स के फेल्योर का सवाल है, उसके बारे में फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़कर सुना देता हूँ:

"With the above amendments made it may be assumed that in the up-stream blanks and down stream, seepage of water may be avoided even if the sheet-piles are not effective at all."

तो यह जहां तक शीट पाइल्स की इफेक्टिवनेस को तो नहीं बताया है। फिर मैंने पूछा था शीट पाइल्स इफेक्टिव नहीं हुए तो यह अमेंडेड डिज़ाइन सक्सेस्फुल हुआ कि नहीं, इसके जवाब में कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके बारे में फ्रेंच इन्जीनियर की रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं होने से रिक्त स्थान की पूर्ति न हो सकी)

फिर जहां तक एलूविअल मैटर का ५५ फिट डैप्थ तक का था उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है वह भी मैं आपको सुना देता हूं:

"The maximum level is 825 feet. The level of the water in the summer stream pool is 762 feet. There are alluvial materials increasing from the Bundi side to the right hand side at a depth of 55 feet."

जहां तक सर्टेन सीपेज के फेल्योर का सवाल था वह भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ:—"A certain measure of preventive measures were originally designed but unexpected difficulties prevented its carrying out. These precautions were the sheet-piles."

अब जहां तक इस सवाल का जवाब है उसको एक एक्सीडेन्ट समझता या मिनिस्टर साहब बराबर उसकी स्टडी करके जवाब नहीं देते हैं और इसी वजह से मुझे यहां यह डिस्कशन के लिए मांग करनी पड़ी। मैं समझता हूं कि यह जो जवाब है वह फैक्ट्स को छुपाने के लिए दिया गया है और यह कन्फ्युज़न इसलिए हुआ कि इस सिलसिले में इससे पहले भी गवर्नमेन्ट ने जो सूचना दी थी यह गलत थी। आपकी याददाश्त के लिए मैं बता देता हूं कि पिछले १३ जून के 'राष्ट्रदूत' में न्यूज़ निकली थी कि चम्बल योजना में कुछ गड़बड़ी है और फ्रेंच इन्जीनियर गया है और जाकर उन्होंने उसका काम रोक दिया है। उसके जवाब में गवर्नमेन्ट की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकली थी जो कि 'नवयुग' में इश्यू हुई थी और उसके अन्दर जो लिखा था वह भी मैं सदस्यों की जानकारी के लिए पढ़कर सुना देता हूं:—

"चम्बल बांध पर अपव्यय के समाचार मिथ्या, राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कुछ समाचार पत्रों में चम्बल योजना के कोटा बांध के डिज़ाइन में कमियां रह जाने एवं इस कार्य पर करोड़ों रुपये का अपव्यय होने

(श्री पी. के. चौधरी)

के जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वह पूर्णत: मिथ्या हैं। विज्ञप्ति में इस प्रचार को शरारतपूर्ण बताया गया है।

कोटा बांध का डिजाइन केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान के इन्जिनियरों के सहयोग से तैयार किया गया था और इसको बदलने का कभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। मिट्टी के बांध के नीचे नदी के तल में लोहे की चद्दरें डालने के दौरान में नींव की जो स्थिति सामने आई उससे यह प्रश्न अवश्य खड़ा हुआ था कि नींव में लोहे की चद्दरों के आसपास पानी की रोक करने वाला कोई मसाला ऐतियात के लिए भरा जाय अथवा नहीं? इस प्रश्न को केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने अपने हाथ में लिया और इस विषय पर किसी विदेशी विशेषज्ञ का परामर्श लेने का निश्चय हुआ था।

इसके परिणामस्वरूप एक फ्रेंच इन्जीनियरिंग फर्म के एक प्रतिनिधि १४ मई, १९५७ को कोटा आये और उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह राय प्रकट की कि बांध की नींव का डिजाइन जैसा है वही ठीक और पूर्णतया सुरक्षित है तथा नदी के तल में छेद कर दृढ़ता प्रदान करने वाला मसाला सर्वत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वे मिट्टी आदि के नमूने जांच के लिए अपने साथ पेरिस ले गये हैं और उनके विस्तृत सुझावों तथा अन्तिम सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है।

फ्रांसिसी इंजिनियर के विचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार से पूर्णत: विपरीत हैं; बांध के अब तक बने डिजाइन में हेरफेर करने का कोई प्रश्न नहीं है, न इस पर कोई धन का अपव्यय हुआ है और न लोहे की चद्दरों को डालने में ही कोई खराबी हुई है। इस प्रकार बांध के सम्बन्ध में अब तक जो योजना रही है उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। लोहे की चद्दरें डालने का काम, फ्रांसिसी सलाहकार के परामर्श पर बन्द नहीं किया गया है बल्कि मौसम की परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण ही ऐसा किया गया है। और जब तक वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हो जाती, इस कार्य को चलाना सम्भव न होगा। हर बरसात में काम रुकता ही है।

समस्त बड़ी योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों से सलाह लेना एक सामान्य बात है और जैसा कि समाचार-पत्रों ने इसका मतलब लगा लिया है, फ्रांसिसी इन्जीनियर के दौरे का कोई विशेष महत्व नहीं समझा जाना चाहिए।"

श्री नरोत्तमलाल जोशी: May I intervene here? We have not come here to hear all the time the newspaper cuttings. The Hon'ble member ought to have pointedly asked questions on which the Hon'ble Minister has given an evasive reply or incorrect reply. Instead of reading the newspapers the member would do justice to all of us who are impatient to go if he could put direct questions on which the Hon'ble Minister had given replies.

श्री पी. के. चौधरी: I asked the question about the Terms of Reference of the French Engineer...

Page No.108

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It is a total denial. It is not evasive. You have got a copy of the report from the Parliament Library. The Hon'ble Minister did not place its copy before the House which this House was privileged to have. What you are reading is allirrelevant and quite long.

श्री उपाध्यक्ष : It is 4.45 P. M. and your reply again is likely to take another fifteen minutes.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It is only termed half-an-hour. The discussion may go on for a longer period if it is relevant.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Choudhry.

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिल्कुल साफ था। मैंने यह पूछा था कि शीट पाइल फेल हो गई, उसके जवाब में उन्होंने कहा, 'नहीं'। उसके बाद में मैंने पूछा कि कितने डैप्थ तक गया है उसमें भी उन्होंने इन्कार कर दिया। तो ये सब बातें जो हैं वे हाउस के जानने के काबिल हैं। जैसा माननीय एक्स-स्पीकर बताते हैं कि इस हाउस की जानकारी के लिए क्या है, मैंने पेपर्स का कटिंग क्यों पढ़कर सुनाया है, यह भी उन्होंने कहा। तो मैंने यह सब इसलिए किया कि माननीय मंत्री फैक्ट्स को डिनाई करता है। जो प्रेस कॉनिनिकल मैंने पढ़कर सुनाया उसमें सब चीज की डिनाइल है। मैं समझता हूँ कि यह डिनाइल ऑफ फैक्ट्स है। हमें अगर पार्लियामेन्टरी गवर्नमेन्ट सक्सेसफुली फंक्शन करना है तो इस सदन को यह चीज लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम जब किसी सवाल की जानकारी के लिए सवाल पूछते हैं तो कोई मजाक करने के लिए नहीं पूछते हैं। हम किसी टैक्निकल बात को उठायें या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें तो सदन के पास से इन्फोर्मेशन को विदहैल्ड करने का मतलब ठीक नहीं समझते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Choudhry, you will shorten your statement.

श्री पी. के. चौधरी : जो कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्ट इनफॉर्मेशन थी उसको नहीं देते तो मैं कहता हूं कि पब्लिक इन्टरेस्ट के लिए जिस इनफॉर्मेशन का दिया जाना जरूरी है उस इनफॉर्मेशन को सदन को क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : What I understand from the Hon'ble member...

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir. Has the Hon'ble member (Shri Joshi) a right to intervene the proceedings in such a manner? Has any right been given by you to any Hon'ble member?

श्री उपाध्यक्ष : Provided the floor is given.

श्री पी. के. चौधरी : One minute, Sir, I want a reply.

श्री उपाध्यक्ष : You had resumed your seat.

श्री पी. के. चौधरी : I wanted a reply from the Hon'ble Minister on the question; viz. "Is it correct that the original design has

(श्री पी. के. चौधरी)

been amended and the amended design will be operated upon, whether the French Engineer has said any thing regarding the amended design and the new cut-off ?" I wanted to know from the Hon'ble Minister, is it correct that the sheet-piles have not gone beyond a depth of twenty feet ? Is it correct that these sheet-piles have not been able to stop the seepage of water ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जिम्मेवार माननीय सदस्य ने यह महसूस किया कि जो प्रश्न का जवाब यहां दिया गया वह ठीक नहीं था, उनके कथनानुसार जो मुद्दे उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट के आखिर में उठाये उनका मैं ठीक तरह से जवाब दूंगा और पूरी जानकारी सदन के सामने रखने की चेष्टा करूंगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करदूं जो प्रश्न उन्होंने उठाये उन प्रश्नों में कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। सरकार ने जो उस दिन जवाब दिया था बहुत सोच-समझ कर और सही दिया है। उस जवाब की भाषा भी जो अलग अलग आदमियों ने उठायी थी उसको माननीय सदस्य ने कॉन्ट्राडिक्शन समझा था। ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। जिस रिपोर्ट का माननीय सदस्य जिक्र करते हैं, किस तरह से यह प्रोजेक्ट पिक्चर में आया। इसी केस में नहीं और भी कई प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, पचासों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई दफा प्राइवेट फर्म के आदमियों को बुलाया गया. उनसे डिजाइन लिये गये और उनकी राय भी ली गई। कइयों ने सुझाव भी दिये. हैं उन पर देश के इन्जीनियरों ने विचार भी किया और उन विचारों को उपयोगी समझा। वहां हमने डिजाइन्स में अमेन्डेमेन्ट भी किये हैं। ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं तो हमने विदेशी इन्जीनीयरों द्वारा दी हुई इस राय को भी मानने से इन्कार कर दिया जिसमें एकाध डेम को भी हमारे इन्जीनियरों ने काट दिया। भाखरा के इतिहास को आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जहां भाखरा का मेन डेम आता है उसके आगे कोपर डेम बनाने का विदेशी इन्जीनियरों ने सुझाव दिया था, उन्होंने इस प्रकार की राय दी थी। उनकी राय देने का मतलब यह है कि पानी की वेलोसिटी इतनी तेज होगी कि नीचे के डेम को नहीं बना पायेंगे बीच में अगर जमीन रहेगी तो पानी की जो वेलोसिटी होगी उससे मेन डेम के टूटने का खतरा है। अगर उनकी राय को हमारी भारत सरकार मानती तो उस ६० फीट के डेम को बनाने में करोडों रुपये का खर्च आता। लेकिन हमारे देश के इन्जीनियरों ने उस राय के साथ अपनी सहमति प्रगट नहीं की। उन्होंने क्या किया कि उस डेम के बीच में वॉल डालकर पानी के प्रेसर को कम कर दिया।

इसी तरह से इस चम्बल के सिलसिले में नीचे के लेवल पर कह सकते हैं कि ७५ फीट पर पक्की रोक आती है, इस मामले में सर्टेन्टी करने के लिये जब कि हम डेम बनाने जा रहे हैं, वाटर को किस तरह से रोका जाय इस मामले में हम सोच रहे थे कि जो सोइल ग्राउटिंग सिस्टम होता है उसके लिये फ्रेन्च इन्जीनीयर्स की जो फर्म्स है जो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है उसको हमने इसे देखने के लिये कहा। उन्होंने इसको देखा। उन फ्रेन्च इन्जीनियरों ने मौके पर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जाकर सारी हालात की जानकारी की और उन्होंने हमारे इन्जीनियरों के साथ डिस्कस भी किया और भारत के इन्जीनियरों से भी डिस्कस किया और सोइल ग्राउटिंग के बारे में अपने विचार भी दिये। उसके साथ साथ उन्होंने डेम को भी देखा, उनको न तो किसी प्रकार के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स ही दिये गये, उन्होंने सुओ मोटो इस चीज को देखा और उन्होंने कागज में बात लिख कर हमारे इन्जीनियरों के सामने रखी, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के इन्जीनियरों के सामने भी रखी। उन चीज़ों को हमने ट्रेस आउट किया और देखा कि जो कुछ लिख कर दिया था उन सारी चीजों को हमारे इन्जीनियर मान लें या भारत सरकार के इन्जीनियर मान लें, यह कोई जरूरी नहीं था। कुछ सुझाव उन्होंने दिये थे, न तो हमने उनसे रिपोर्ट मांगी और न वह रिपोर्ट ही इस फर्म द्वारा हमारे पास आयी। उनके सुझाव हमारे सामने जरूर आये थे, हमारे यहां के इन्जीनियरों ने उन पर विचार किया। उसके अन्दर मुद्दे के जो पोइन्ट्स उठाये गये थे, वे ये थे कि जब ७५ फीट पर पक्की रोक आती है और सीट पाइलिंग करते हैं जैसा कि हमने चालीस-पचास जगह की है, उसमें बहुत सी फैल हुई हो, यह बात नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। हमने जो शीट पाइलिंग किया उसमें से दो-एक ऐसे हैं जो ठीक लेवल पर नहीं पहुंचे। दो के लिये तो हम यह मान सकते हैं कि ठीक लेवल तक नहीं पहुंचे। मेन जो कन्सर्न है वहां से पानी का स्वीपेज न हो जाय और नीचे की जमीन बहकर न निकल जाय और अरदन डेम ग्राउटिंग हो जाय और आखिर बान्ध न टूट जाय, यह मेन पोइन्ट है। इस पर जो सुझाव दिये गये उनमें से हमने एक सुझाव को माना है। वह सुझाव यह है कि डाउन स्ट्रीम की तह में जो बिल्डिंग वेल्स बनाने जा रहे हैं उसकी लेवल को अगर हम ११३ फीट पहुंचा दें तो यह ठीक रहेगा। बिल्डिंग वेल्स की डीप कम से कम आधी जानी चाहिये और ७५ फीट पर पक्की रोक है इस संबन्ध में जो सुझाव उनके थे इस बात को हमने स्वीकार कर लिया है। हम इस बात की कोशिश करेंगे, डाउन स्ट्रीम में बिल्डिंग्ज़ वेल्स का पानी आधी डेप्थ पर हो, उस तक तो जरूर पहुँचा देना चाहिये। इससे पानी की वेलोसिटी को किस तरह से कम कर पायेंगे उसके लिये जो ब्रेकेट डेम का सुझाव दिया उसको हमने स्वीकार कर लिया है। इसमें पानी की प्रेशर की वेलोसिटी न रहेगी। अगर हम ५५० फुट लम्बा ब्रेकेट डेम उसके उत्तरी भाग की तरफ बना देते हैं तो औसतन पानी का जो प्रेशर होगा वह बहुत कम हो जायगा।

इस तरह से अन्य जो सुझाव उनके द्वारा दिये गये उनको हमारे इन्जीनियरों ने नहीं माना, न उनको महत्व ही दिया। सारे इन्जीनियरों ने मिल कर यह तय किया कि जो फ्रेन्च फर्म को इस कार्य के लिये बुलाया उसके पहले ही जो पाइलिंग हुआ है वह काफी ठीक हुआ, सिवाय दो हिस्सों को छोड़कर पानी की वेलोसिटी इतनी कम कर दी है, जिस लेवल तक पाइलिंग पहुँचाना चाहते थे पहुँच गया है, सिवाय एक दो जगह को छोड़कर। एक तो ब्लेकेट डेम और बिल्डिंग वेल का काम इतना स्पष्ट है कि जहां जमीन के खिसकने का डर था वह डर दूर होगया क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ। ऐसी सूरत में जिस लेवल पर इतना डर नहीं लिटल स्वीपेज ऑफ वाटर होगा, बिल्डिंग वेल्स

Page No.111

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के जरिये निकल जायगा और अरदन पोर्शन ऑफ दी डेम है उसके बिगड़ने का कोई डर नहीं रहेगा। हमारे इन्जीनियरों ने यह माना है कि इससे कोई खतरा नहीं है। इस मामले को लेकर तोड़-मरोड़ कर माननीय सदस्य ने सदन में रखने की चेष्टा की है। पहले भी इस बारे में काफी गलतफहमी हो गई है, अखबारों के जरिये इस बारे में काफी चर्चा भी हो चुकी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ भी राय विदेशी इन्जीनियरों ने दी है उसको महत्व नहीं देना चाहिये। हमारे इन्जीनियरों ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी सुझाव उन्होंने दिये हैं वे मान्य नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो भी रुपया हम इन बान्धों पर लगाने जा रहे हैं वह बिल्कुल सुरक्षित है और वे बांध जो भी बनेंगे वे पक्के बनेंगे, उन्होंने भी मौजूदा डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं सुझाया है। माननीय सदस्य यह मान लें कि जो भी काम हम कर रहे हैं वह काम ठीक से कर रहे हैं। इसलिये माननीय सदस्य बिलकुल इस बात को रेस्ट एश्योर्ड मान लें कि हमारा काम बिलकुल अच्छा हो रहा है और इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): I have got two or three more questions to ask. One thing the Hon'ble Minister did not clarify, whether even this changed design, which will be adopted, whatever name we may call it, it will succeed in stopping erosion, about which the Chambal Board has definitely said that the alternative design is not going to stop erosion.

Secondly, I am contending the statement made by the Hon'ble Minister that only only two sheet piles have not gone to the depth. These two were constructed only for the sinking of the well, one on this side and the other to preserve clay grouting where a well was sunk which I have seen with my own eyes. Within that well, two sheets were out of the bank, other wise throughout the cross-section of the river. not a single sheet pile has gone to the full length and has touched the rock level.

So the Hon'ble Minister may kindly say whether this design will stop erosion of the soil. If so, will the Minister let us kuow why the Government of India is consulting a foreign expert in the matter.

The second thing that I am still maintaining is that none of the sheet piles, barring one or two, has touched the rook level.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बिलकुल साफ कहा था कि अगर सभी शीट पाइल्स सारे लेवल को टच कर देते तब तो सुराख करने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु जितने लेवल पर वे जाने चाहियें उनमें से करीब करीब बहुत सी शीट पाइल्स उस लेवल तक जा चुकी हैं; वे वहां तक जा चुकी हैं जहां तक जाना वाजिब था और जिसके लिये हम सोच रहे थे। पर इनमें से दो लेवल तक नहीं गई। इसलिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आप उनके लिये, मानो एक्सपर्ट हों वैसे बात कर रहे हैं कि मैं मौके पर गया, कुआ देखा, दो नहीं थीं, ज्यादा थीं, तो आप तो जैसे अलग से सारी जानकारी रखते हों या इन्जीनियर का कोई डिप्लोमा लेकर आये हों, तो इतनी बात तो मैं नहीं समझता ।

एक माननीय सदस्य : This is objectionable.

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) मैंने जो बातें बताई हैं वे एक्सपर्टो की हैं और उसे आपको ठीक मानना चाहिये । अब मेरे इन्कार करने के बाद भी डिज़ाइन चेन्ज करने की बात बार बार कही गई । माइनर पोइन्ट्स तो उन्होंने देखे ही थे और उन पर उन्होंने अपनी राय बताई थी । अब उनकी राय को मानें या न मानें, यह हम पर है । हमारे देश के इन्जीनियर भी अपना २ दिमाग रखते हैं, उनकी बात को आंख मूंदकर मान लें, यह हमारे लिये कभी उचित नहीं होगा । जिसको हम अपने दिमाग से ठीक समझेंगे वह मानेंगे । वे अपनी डिज़ाइनें बनाते हैं, उन पर काम करते हैं और विदेशी इन्जीनियरों के मुकाबले में कहीं बहुत ज्यादा अच्छा काम वे कर सकते हैं, इसका सुबूत उन्होंने भाखरा स्कीम में करोड़ों की बचत करके, वही काम उतना ही अच्छा करके दिया है । हम भी जहां उचित समझते हैं बाहर से बुलाते हैं, उनकी राय जरूर लेते हैं, अपने इन्जीनियरों की राय से उसे मिलाते हैं और दोनों को ठीक तरह से नाप-तोल कर फिर काम करते हैं । अब भाखरा में ही बाहर से आने वालों की राय वैसी मान लेते तो करोड़ों तो रुपया अधिक लगता और समय भी अधिक लगता । तो खुद की अक्ल से और अपने आदमियों से काम लेना ही अधिक अच्छा है । तो बाहर से लोग आवें और उनकी बात मान कर हम बैठ जावें, पूंछ पकड़ कर आप जैसे लोग बैठ जावें और हमारी दलीलों को समझें ही नहीं तो मुझे फिर ऐतराज नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं । पर जो हमारे इन्जीनियर ने कहा है उसको हमने तोला है, जांचा है । वे सही तरह से बना रहे हैं । आप जिस सेन्ट्रल लेवल पर उलझन की बात करते हैं, वह कहीं पोसिबल नहीं है । वाटर की वेलोसिटी भी उन्होंने इतनी कम कर दी है कि लेवल का कण भी उस जगह से नहीं हटेगा, आप यह बात मानकर चल सकते हैं ।

श्री श्रीमानसिंह : अब तो वह रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रख देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो रिपोर्ट नहीं है, सुझाव हैं । एक फर्म का एक आदमी आया और उसने हमें कुछ सुझाव दिये और फिर वे सुझाव हमें भी उन्होंने नहीं दिये, सेन्ट्रल पॉवर कमीशन के सामने वे कागज उन्होंने रक्खे । वह हमारे पास है । वह सुझाव आये हैं । तो वह रिपोर्ट है ही नहीं । वे तो सुझाव हैं । कोई चलते रास्ते सुझाव दे जाता है, उन्हें सारे सदन में हम रखते फिरें, यह कम्पलशन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

श्री अनूपसिंह : We have so many questions to ask...

(सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ५ मिनिट पर, कल, दिनांक १६ नवम्बर, १६५७ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

पोलो विक्ट्री सिनेमाघर के मालिक को दिया गया ऋण ।

रामपुरा सिधवा (त० सूरतगढ़) में खसरा नं० ३६ को भी सोमी से लेना ।

राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी की खानें ।

लालसोट प्राथमिक विद्यालय के भवन पर अधिकार इत्यादि सम्बन्धी ।

१५ वर्ष पुराना मूलधन की एक ही किश्त में सरकार द्वारा चुकाने की राशियें ।

पूगल (बीकानेर) इलाके में जागीर पुनर्ग्रहण से रिक्त हुए चौधरियों के स्थान ।

सबसे अधिक संख्या वाली राजस्थान में बालिका हाई स्कूलें ।

दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़, में नोन ग्रेजुएट अध्यापक ।

विधवाओं व अपाहिजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली शासकीय सहायता ।

हैण्डलूम का डिप्टी डाइरेक्टर एवं उसकी योग्यता इत्यादि ।

स्कम्भ

१९८५ दौसा, लालसोट व चाकसू में एक ही स्थान पर ३ वर्ष से कार्य करने वाले कर्मचारी ।

एस. टी. सी. बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में अध्यापकों को दी जाने वाली छात्रा वृत्ति ।

त० कोटड़ी (जिला भीलवाड़ा) में कोई हाई अथवा हायर सेकण्डरी स्कूल न होना ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड कर्मचारियों की वारिष्ठता सूचियों का प्रकाशन ।

गत वर्ष एकीकरण विभाग द्वारा लिये गये नायब तहसीलदार ।

वे सब-डिवीज़नल, तहसील व उप-तहसील हेडक्वार्टर जहां हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी स्कूलों की व्यवस्था नहीं ।

धौलपुर उप-जिले में भवन निर्माण पत्थर एवं उनके ठेके ।

रूंध खेमड़ी के लगभग ५० कृषकों को तहसील बेसड़ी से इजेक्ट करना ।

सरकार द्वारा स्वीकृत राजनैतिक पीड़ित एवं उन्हें शासकीय सहायता ।

जागीरदारों में सरकार की बकाया समस्त धन-राशि।

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी शासकीय योजना।

इस वर्ष अकाल सहायतार्थ नागौर जिले में स्वीकृति व्यय हेतु धन-राशि।

जवाना में मिडिल स्कूल की स्वीकृति।

बुनियादी शिक्षा हेतु खोले गए विद्यालय।

मंडवा (जि० नागौर) की जनता द्वारा मिडिल स्कूल भवन हेतु चालीस हजार रुपया।

११ नवम्बर १९५७ का स्थगित प्रश्न।

१९५०–५१ से अब तक विभिन्न डिवीज़नों में शराब की हुई बिक्री।

अनुपस्थित के लिए अनुमति २०४३

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गईः—

श्री सम्पतराज जैन १८-११-५७से२५-११-५७
श्रीरामप्रसाद लड्ढा १४-११-५७से१५-११-५७
श्री जयसिंह रानावत ९-११-५७ से १७-११-७

विधेयक की पुरःस्थापना

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ २०४४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७ को पुरः स्थापित किया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(१) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ २०४५

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खंड ३५:—इसे स्वीकार किया गया।

खंड ३५ ए:—इस खण्ड पर श्री श्रीमानसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे वापिस ले लिया। तत्पश्चात् खंड स्वीकार किया गया।

खण्ड ३६ से ४१ एवं अनुसूची:—इन्हें स्वीकार किया गया।

खण्ड १ आदि:—स्वीकार किये गये।

इसके पश्चात् उप शिक्षा मन्त्री ने विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये:-

१. श्री जगदीशप्रसाद
२. श्री मूलचन्द डागा
३. श्री जनार्दनराय नागर
४. श्री पुरुषोत्तमलाल
५. श्री रामचन्द्र

Page No.115

स्कम्भ

उप शिक्षा मन्त्री द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

(२) राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एक्विशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५७ २०८८

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, ने राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एक्विशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान एक्साइज (संशोधी एवं विस्तारी) विधेयक, १९५७ २१०४

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, ने राजस्थान एक्साइज़ (संशोधी एवं विस्तारी) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर श्री श्रीभानसिंह ने उक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री तनसिंह एवं श्री भैरोंसिंह (१४) ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। कृषि मन्त्री द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर श्री श्रीभानसिंह ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

स्कम्भ

तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड २ व ३:—इन्हें स्वीकार किया गया।

खण्ड ४:—इस पर श्री अनूपसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कृषि मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर वापिस ले लिया गया। तत्पश्चात् खंड स्वीकार किया गया।

खण्ड ५ से ८:—इन्हें स्वीकार किया गया।

खण्ड ९:—इस पर श्री तनसिंह एवं श्री अनूपसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किए। श्री अनूपसिंह ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा श्री तनसिंह का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खंड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १० से २१, अनुसूचा एवं खण्ड १ आदि:—इन्हें स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान फ्रेजर पुल पथकर वैधकरण विधेयक, १९५७ २१६०

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री ने उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधेयक के सबन्ध में श्री तनसिंह द्वारा वैधानिक आपत्ति

स्कम्भ

उठाई जाने के कारण इस पर विचार स्थगित रहा।

२१७३ (५) राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनःप्रवर्तन) निरसन विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२१७४ (६) राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर श्री सतीशचन्द्र ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। राजस्व मन्त्री द्वारा इसका उत्तर दिये जाने पर श्री सतीशचन्द्र का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड २ से ६:—इन्हें स्वीकार किया गया।

प्रथम अनुसूची-भाग ए:— इस पर श्री अनूपसिंह एवं श्री तनसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

चम्बल बैराज सम्बंधी आधे घन्टे का वाद-विवाद २१८१

चम्बल बैराज की बुनियाद के सिलसिले में फ्रेंच विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह से संबंधित प्रश्न संख्या १०३ (२२ एच.एम) (जिस पर आधा घन्टा वाद-विवाद किये जाने की सूचना श्री पी. के. चौधरी से प्राप्त हुई थी) के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा उत्तर दिया गया।

मंगलवार, दिनांक, १९ नवम्बर, १९५७ की कार्य-सूची

अशासकीय सदस्य कार्य।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २८६ का उत्तर देखिये)

Purpose	Amount.	Date of receipt.	Rate of interest	Date of repayment.	Interest per year.
Bhakra Nangal Project	20,00,000	3/62	3¾ %	3/67	75,000.00
-do-	42,77,000	3/53	4⅛ %	3/68	1,76,426.25
-do-	57,00,000	2/54	4¼ %	2/69	2,42,250.00
-do-	95,43,000	1/55	4¼ %	1/70	4,05.576.25
-do-	60,00,000	10/55	4¼ %	10/70	2,55,000.00
-do-	40,00,000	12/55	4¼ %	12/70	1,70,000.00
-do-	37,00,000	3/56	4¼ %	3/71	1,57,350.00
-do-	40,00,000	8/56	4¼ %	8/71	1,70,000.00
-do-	50,00,000	3/57	4¼ %	3/72	2,12,500.00
-do-	50,00,000	7/57	4¼ %	5/72	2,12,500.00

२२१८

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६० का उत्तर देखिये)

निर्वाह वृति (मेन्टीनेन्स) प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जिलेवार सूची

क्रम संख्या.	नाम जिला	निर्वाह वृति प्राप्त करने वालों की संख्या.	मासिक निर्वाह वृति की रकम.
	उदयपुर डिविजन		
१.	उदयपुर	५४६	४३२८
२.	चित्तोड़गढ़	२७	२१३
३.	भीलवाड़ा	३५	२८०
४.	बांसवाड़ा	२६	२५८-८-०
५.	डूंगरपुर	६४	४६३
		७०२	५५४२-८-०.
	कोटा डिविजन		
६.	कोटा	३६६	१४०८
७.	बूंदी	१६	१४३
८.	झालावाड़	८	४३-८-०.
		३६५	१५६४-८-०.
	जोधपुर डिविजन		
९.	जोधपुर	१११४	७४१४
१०.	जालोर	११	६४
११.	नागोर	२५२	१५८०
१२.	पाली	१२५	७६९
१३.	बाड़मेर	४७	२१५
१४.	सिरोही	१	८
१५.	जैसलमेर	२	१८
		१५५२	१००६८
	बीकानेर डिविजन		
१६.	बीकानेर	४१	२५५
१७.	चूरू	१८	१३५
१८.	गंगानगर	०	०
		५९	४९०
	जयपुर डिविजन		
१९.	जयपुर	१७३	४५९२
२०.	अजमेर	१६	१०६

१	२	३	४
२१.	सीकर	११	२१३
२२.	सवाई-माधोपुर	२३३	१२६०
२३.	झुंझुंनू	२३	५७
२४.	टोंक	३२	१३३
२५.	अलवर	३३०	१४६०
२६.	भरतपुर	३०६	१४६२
		११२४	६३१२
	कुल योग	३८३३	२७००८

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३०३ का उत्तर देखिये)

Statement of expenditure during the year 1957-58 on Famine Relief works in the Tehsils of District Nagaur

Name of Tehsil	Tanks	Nadies & Roads	other	Gratuitous Relief	Relief to people employed other wise than on Relief works.	Water suppy	Taccavi	
							Tehsil	
1. Nagaur	37,000/-	5,000/-	-	350/-	200/-	-	Nagaur	12,000/-
2. Jayal	16,300/-	6,000/-	-	300/-	-	-	Jayal	9,000/-
3. Degana	12,000/-	-	-	250/-	-	-	Dagan	7,000/-
4. Parbatsar	38,600/-	29,000/-	-	350/-	-	-	Didwana	21,500/-
5. Nawa	1,150/-	11,850/-	-	250/-	-	-	Ladnun	16,000/-
6. Didwana	28,000/-	20,000/-	-	500/-	-	-	Parbatsar	16,000/-
7. Ladnun	31,603/-	42,356/6	-	-	-	-	Nawa	8,500/-
8. Collector-ate	-	-	700	500/-	-	-		
Total	1,64653/-	1,14206/6	700/-	2500/-	200			90,000/-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये)

'A'

Statement showing the consumption of Liquor in various divisions of Rajasthan from 1950-51 to 1956-57.

Sl. No.	Division.	1950-51 in L.P. Gls.	1951-52 in L.P. Gls.	1952-53 in L.P. Gls.	1953-54 in L.P. Gls.	1954-55 in L.P. Gls.	1955-56 in L.P. Gls.	1956-57 in L.P. Gls.	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Jaipur.	2,28,258.9	1,58,907.9	1,01,787.3	98,252.9	1,07,928.9	1,02,047.9	1,38,179.5	
2.	Jodhpur.	1,25,979.9	1,40,399.7	1,00,106.9	99,238.0	8,01,754.7	1,01,487.2	1,13,704.7	
3.	Udaipur	2,05,023,2	2,27,966.3	1,66,812.2	1,81,933.2	2,01,866.9	1,93,011.7	2,08,234.0	
4.	Bikaner	84.473.4	63,121.2	39,688.3	38,232.1	46,282.3	54,324.7	86,209.9	
5.	Kotah	1,02,134.9	1,43,542.3	70,729.2	76,311.7	93,070.4	92,669.2	1,17,488.3	
	Total-	7,63,368.5	7,38,937.4	4,79,123.9	4,93,967.9	5,50,903.1	5,43,539.6	663,816.4	

'B'

Statement showing the cases challaned division-wise from 1950-51 to 1956-57 in Rajasthan.

Year.	Jaipur	Udaipur	Bikaner	Kotah	Jodhpur	Remarks
1950-51	-	9	39	21	7	
1951-52	-	35	61	52	13	
1952-53	-	94	74	132	48	
1953-54	680	192	226	164	51	
1954-55	932	458	77	944	89	
1955-56	1507	115	248	354	330	
1956-57	2091	152	226	360	223	

Figures not available.

Statement 'C'

Statement showing the cases convicted and pending in the courts Divisionwise.

CONVICTION.

	Jaipur.	Udaipur.	Bikaner.	Kota.	Jodhpur.
1950-51	-	9	20	12	2
1951-52	-	20	25	24	6
1952-53	-	63	42	46	5
1953-54	162	149	111	98	10
1954-55	497	185	66	183	44
1955-56	577	150	61	199	25
1956-57	745	118	63	175	72

Figures not available.

Number of pending cases at the end of year 1956-57.

Jaipur Division.	1164
Udaipur Division.	94
Bikaner Division.	40
Kotah Division.	50
Jodhpur Division.	102

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक १८ नवम्बर, १९५७)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१९८५	१	मंगलवार, १८ नवम्बर १९५७	सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७
१९८५	पंक्ति सं. ७	४ व ५ के मध्य रिक्त स्थान पर	कृपया तारांकित प्रश्नोत्तर पढ़ें ।
१९९९-२००१	शीर्ष पंक्ति	अल्पकाल सूचना प्रश्न	तारांकित प्रश्नोत्तर
१९९९	७ व ८	इर्रेलवेन्ट	इर्रिलेवेन्ट
२००२	शीर्ष पंक्ति	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२०१३	२१	राजस्वमंत्री श्री(दामोदरलालव्यास)	राजस्व मंत्री(श्रीदामोदरलालव्यास)
२०१४	२४—२५	department it has been	departments it has been
२०२२	७	be responsible fo	be responsible for
२०२३	१४	श्री भानसिह्	श्री श्रीभानसिंह्
२०२३	अन्तिम से २री	yeea.	year.
२०२६	८	के नियम २ (३) में दी हुई ।	के नियम २(३) में दी हुई है ।
२०२७	२	Hou'ble members oi this House	Hon'ble members of this House
२०४५	१४	"thot sub	"That sub-
२०८७	अन्तिम से २	इविक्शन	एविक्शन)
२०९७-२१०३	शीर्ष	प्रेमिसेज कन्ट्रोल ऑफ रेएट	प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेएट)
२१०३	३	w............"premises"	word "premises"
२१०५-२१२८	शीर्ष	एक्साइज संशोधी तथा विस्तारी विधेयक	(एक्साइज संशोधी तथा विस्तारी विधेयक)
२१०६	अन्तिम से ६	आपकी लेजिलेचर	आपकी लेजिस्लेचर
२१०९	अन्तिम से ११	कोऑप	कोऑपरे—
२११०	२५	उनको हम पब्लिक	उनको हम पब्लिश
२११५	शीर्ष पंक्ति	—१५ नवम्बर, ५७—	—१८ नवम्बर, ५७—
२१२७	२२	(श्री निर्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)	(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)
२१३०	अन्तिम से ६	बोर्ड के नेम्बर	बोर्ड के मेम्बर
२१३३	३	फैसला रेवेयु बोर्ड	फैसला रेवेन्यु बोर्ड
२१३५	१५	इसलिये नहीं बढ़ा को	इस लिये नहीं बढ़ा कि
२१६१	अन्तिन से ६	Pules of Proced,,	Pules of Procedure
२१६६	अन्तिम पंक्ति	hte hon'ble	the Hon'ble
२१७२	६	श्री तनसहि्	श्री तनसिंह्

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२१८३	२२	the law in torct	the law in force
२१८६	२७--२८	"Committee as," difned in Rule 1 of	"Committee" as defined in our Rule 2 of
२२२१	आइटम ७ क. सं. २	8,01,754·7	1,01,754·7
२२२१	आइटम ४ क. सं. ४	63,121,2	68,121·2